



कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड
फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

43^{वीं}

वार्षिक
रिपोर्ट
2023-24



“केएपीएल एक डब्ल्यूएचओ-जीएमपी , आईएसओ/आईसी 17025:2017 (एनएबीएल),
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 प्रमाणित एवं डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त
अनुसंधान एवं विकास इकाई है।”

केएपीएल पंजी. एवं
कोर्पोरेट कार्यालय, पीण्णा



केएपीएल मैनुफैक्चरिंग प्लांट, पीण्णा



केएपीएल आयुष प्लांट, धारवाड



श्री हर्ष गुप्ता



श्री अनुराग दनायक



श्रीमती खुशबू गोयल चौधरी



श्री विजय कुमार श्रीवास्तव



श्री के. श्रीनिवास



डॉ. मधुचंदा कर



बोर्ड के निदेशक (13.12.2025 के अनुसार)

<p>श्री हर्ष गुप्ता अध्यक्ष - केएपीएल और प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक सरकार, विकास सौधा बेंगलुरु - 560 001</p>	<p>श्री अनुराग दनायक प्रबंध निदेशक कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, अर्का द बिजनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 37, साइट नंबर 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड, 2 फेज, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलुरु - 560 058</p>
<p>श्रीमती खुशबू गोयल चौधरी प्रबंध निदेशक, कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खनिज भवन, चौथी मंज़िल, ईस्ट विंग, 49, रेस कोर्स रोड, बेंगलुरु - 560 001</p>	<p>श्री विजय कुमार श्रीवास्तव निदेशक, फार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ़ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया नई दिल्ली - 110 001</p>
<p>श्री के. श्रीनिवास आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कर्नाटक राज्य पैलेस रोड, बेंगलुरु - 560 001</p>	<p>डॉ. मधुचंदा कर इंडिपेंडेंट निदेशक डीबी-106, साल्टलेक, सेक्टर-1, बिधाननगर(म) नॉर्थ-24 परगना, कोलकाता-700 064</p>

रमेश बी

मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं सहायक महाप्रबंधक (वित्त)

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी
नंबर 104 बी एस्टीम एन्क्लेव
बन्नरघट्टा रोड
अर्केरे गेट के पास
बेंगलुरु - 560 076.

आंतरिक लेखा परीक्षक

श्री एन. विश्वनाथन
चार्टरित लेखाकार
नंबर 85, विनायक लेआउट
2 स्टेज, विजयनगर
बेंगलुरु - 560 040

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा
मायो हॉल शाखा एवं
वेस्ट ऑफ चोर्ड रोड शाखा
बेंगलुरु - 560 001

भारतीय स्टेट बैंक

एसबीआई इनक्यूब शाखा, सेंट मार्क्स रोड,
बेंगलुरु - 560001

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय

अर्का द बिजनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 37, साइट नंबर 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड, 2 फेज
पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलुरु - 560 058. वेबसाइट: www.kaplindia.com

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
केएपीएल और कंपनी के विज़न और मिशन विवरण के बारे में	4
वार्षिक जनरल बैठक (एजीएम) की सूचना	5-6
निदेशक रिपोर्ट	7-26
वैधानिक लेखापरीक्षा - स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	27-46
सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	47-51
सीएंडएजी की टिप्पणियाँ और सीएंडएजी की टिप्पणियों का उत्तर	52-54
तुलन पत्र	55-56
लाभ एवं हानि का विवरण	57-58
नकदी प्रवाह विवरण	59-60
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	61
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	62-68
नोट संख्या 2 से 49	69-110
आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण	111



केएपीएल के बारे में

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) एक लाभ अर्जित करने वाली संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जिसे 13 मार्च 1981 में स्थापित किया गया था। इसमें भारत सरकार का 59% और कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से कर्नाटक सरकार का 41% हिस्सा है। इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन 1 अगस्त, 1984 से शुरू हुआ। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और अन्य संस्थानों के साथ-साथ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अच्छी क्वालिटी की लाइफसेविंग दवाएं उपलब्ध कराना है।

कर्नाटक राज्य में विनिर्माण सुविधाएं बैंगलोर और धारवाड़ में स्थित हैं।

क. फार्मा : बेंगलुरु के पीण्या प्लांट में फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। कंपनी के पास डब्ल्यूओ-जीएमपी प्रमाणित विनिर्माण सुविधाएं हैं। कंपनी के पास गुणवत्ता परीक्षण के लिए अत्याधुनिक एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला सुविधा भी है। बेंगलुरु के पीण्या संयंत्र को फॉर्मूलेशन विकास विभाग को एक पूर्ण अनुसंधान एवं विकास इकाई में उन्नत किया गया है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) से इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है।

उत्पाद श्रेणी में निम्नलिखित खंड शामिल हैं:

- ड्राई पाउडर पैरेंट्रल - बी-लैक्टम एंटीबायोटिक्स (पेनिसिलिन)/ सेफलोस्पोरिन/जनरल।
- छोटी मात्रा में तरल पैरेंट्रल।
- नॉन-पैरेंट्रल ब्लॉक (गोलियाँ, कैप्सूल, मौखिक तरल पदार्थ और पाउडर), आदि।

ख. आयुर्वेदिक: कोटूर, धारवाड़ संयंत्र, (कर्नाटक) में आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। उत्पाद श्रेणी में निम्नलिखित खंड शामिल हैं:

- गोलियाँ/तरल मौखिक/पाउडर/तेल, आदि

7 एसीए थोक औषधि संयंत्र: भारत सरकार ने थोक औषधि परियोजना 7-एसीए के लिए मपीएलआई योजना के तहत कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) को मंजूरी दे दी

कंपनी का विज़न और मिशन विवरण

विज़न	सभी को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के निर्माण और विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना
मिशन	<ol style="list-style-type: none"> 1. अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाली विनिर्माण सुविधाएं प्राप्त करना। 2. प्रत्येक वर्ष निर्यात और निजी व्यापार बाजार में 15% की वृद्धि हासिल करने के लिए विपणन प्रयासों को मजबूत करना। 3. ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना। 4. उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रेरित बहुकुशल मानव संसाधन विकसित करना।

मार्ग मानचित्र - केएपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय



कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एवं फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

पंजीकृत कार्यालय: अर्का द बिजनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 37, साइट नंबर 34/4,
एनटीटीएफ मेन रोड, 2 स्टेज, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलुरु - 560 058
टेलीफोन नंबर - 080 23571590 वेबसाइट: www.kaplindia.com

एजीएम सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 43वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक शनिवार, 13.12.2025 को शाम 4:30 बजे केएपीएल रजि. में हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कार्यालय: पीण्या द्वितीय चरण, बेंगलुरु, निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए:

साधारण व्यवसाय

- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर सीएंडएजी की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाया "यह संकल्प लिया गया कि सदस्यों ने सर्वसम्मति से वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों को सी एंड एजी टिप्पणियों सहित निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के साथ अपनाया।"
- सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान देने हेतु मैसर्स बी. पी. राव एंड कंपनी, बेंगलुरु द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सदस्यों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सी एंड एजी द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स बी. पी. राव एंड कंपनी बेंगलुरु की नियुक्ति पर गौर किया। वर्ष के लिए ऑडिट शुल्क के संबंध में, बोर्ड शुल्क निर्धारित करने के लिए उचित समझ कर अधिकृत किया गया है।

विशेष व्यवसाय

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान
निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:
"यह निर्णय लिया गया है कि धारा 148 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधानों और कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके समय के लिए पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, मैसर्स बंधोपाध्याय ए को देय 71,390/- रुपये (सभी समावेशी) के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता को 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए "लागत लेखा परीक्षक" के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।"

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते कर्नाटक एंटीबायोटेक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 13 दिसंबर, 2025

(रमेश बी)
सीएफओ एवं सहायक. महाप्रबंधक-वित्त



43वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना (जारी.....)

नोट:

- 43वीं वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर 2024 को या उससे पहले आयोजित की जानी है। हालांकि, लंबे समय तक लेखापरीक्षा के लिए बैठक आयोजित करने के लिए समय के विस्तार के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक की अनुमति लेना आवश्यक होती है। अधिकतम समय अर्थात् 30 दिसंबर 2024 तक की अनुमति मिली थी। तदनुसार, वार्षिक आम बैठक 30.12.2024 को आयोजित की गई और सीएंडएजी की टिप्पणियों के अभाव में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
- निदेशक मंडल ने 03 दिसंबर 2024 को आयोजित अपनी 194वीं बैठक में वित्त वर्ष 2023 के वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी-24 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के तहत पूरक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 18 दिसंबर 2024 को सीएंडएजी को प्रस्तुत किए गए थे। सीएंडएजी ने पूरक लेखापरीक्षा आयोजित की और 16 जुलाई 2025 को अपने पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया।
- बैठक सदस्यों की सहमति से अल्प सूचना पर बुलाई जाती है।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की सूचना में शामिल विशेष व्यवसाय के तहत मद संख्या 3 के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान।

ऑडिट समिति की सिफारिशों पर बोर्ड ने मेसर्स की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बंधोपाध्याय ए भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता, 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में 71,390/- रुपये (सभी समावेशी) के पारिश्रमिक के साथ।

कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से नोटिस के आइटम नंबर 3 में निर्धारित समाधान से चिंतित या रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

(रमेश बी)

सीएफओ एवं सहायक. महाप्रबंधक-वित्त

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 13 दिसंबर, 2025

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यों

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

देवियो/सज्जनो,

हमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर बोर्ड की ओर से अपनी 43वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

1. मुख्य अंश

आपकी कंपनी के प्रदर्शन की मुख्य अंश तालिका-1 में प्रस्तुत की गई हैं:

तालिका - 1

कार्य निष्पादन के मुख्य अंश		रु. लाखों में		
क्र. सं.	विवरण	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1.	उत्पादन	47,976	52,865	46,470
2.	बिक्री	47,387	52,757	46,133
3.	निर्यात (ऊपर क्रम संख्या 2 में शामिल)	2,459	4,241	3,494
4.	कर पूर्व लाभ	3,252	3,425	1,760
5.	कर के बाद लाभ	2,466	2,489	1,132
6.	भंडार और अधिशेष	22,560	24,644	25,542
7.	प्रदत्त शेयर पूंजी	1,349	1,349	1,349
8.	लाभोंश (%)	30	15	शून्य
9.	प्रति शेयर आय (रु.) (अंकित मूल्य रु. 100/-)	183	184	84
10.	शेयर का बुक वैल्यू (रुपये) (अंकित मूल्य 100/- रुपये)	1,772	1,927	1,993

कोविड के कारण वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान दवाओं की मांग अस्थायी रूप से अधिक हो गई। इन वर्षों में आपकी कंपनी की बिक्री क्रमशः ₹ 42,615 लाख, ₹ 47,387 लाख और ₹ 52,757 लाख थी। पूर्व-कोविड अवधि के दौरान बिक्री अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20 में ₹ 43,707 लाख थी। जैसे-जैसे महामारी कम हुई, दवाओं की मांग कम हो गई। इससे वित्त वर्ष 2023-24 में आपकी कंपनी की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 1999 (केटीपीपी अधिनियम) में कर्नाटक पारदर्शिता की 4(जी) छूट के तहत दवाएं खरीदने वाली प्रमुख ग्राहक रही है। हालांकि, कर्नाटक सरकार द्वारा छूट नहीं बढ़ाई जा सकी जिससे आपकी कंपनी की बिक्री में कमी आई।

2. शेयर पूंजी


आपकी कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी क्रमशः ₹ 1,500 लाख और ₹ 1,349 लाख है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ।

3. वित्त

31.03.2024 तक, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए बैंकों से उधार शून्य (पिछले वर्ष शून्य) था।

4. उत्पादन

आपकी कंपनी ने ₹ 46,470 लाख (पिछले वर्ष ₹ 52,865 लाख) का उत्पादन मूल्य हासिल किया। प्रति फैक्टरी कर्मचारी का वार्षिक उत्पादन मूल्य ₹ 249 लाख (पिछले वर्ष ₹ 284 लाख) था।



1. उपयोग क्षमता:

पिछले तीन वर्षों के लिए क्षमता उपयोग का विवरण तालिका - II में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका - II

उपयोग क्षमता		(% में)		
क्र.सं.	विवरण	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1	तरल पैरेंट्रल	89	99	86
2	शीशियाँ	78	77	87
3	गोलियाँ	112	144	85
4	कैप्सूल	216	292	144

6. बिक्री कारोबार

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 46,133 लाख का बिक्री कारोबार हासिल किया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने ₹ 52,757 लाख का बिक्री कारोबार हासिल किया।

बिक्री कारोबार के तुलनात्मक आंकड़े तालिका-III में प्रस्तुत किए गए हैं

तालिका-III

बिक्री कारोबार		रु. लाखों में		
क्र. सं.	विवरण	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1	तरल पैरेंटल	3,948	4,751	3,934
2	लिक्विड ओरल्स और ड्राई सिरप	1,212	3,672	1,033
3	शीशियाँ	12,450	11,944	11,360
4	गोलियाँ	15,409	22,022	12,074
5	कैप्सूल	2,685	4,645	1,983
6	अन्य	11,683	5,723	15,749
	कुल	47,387	52,757	46,133



श्री सुनील कुमार कैमल, एमडी 15.08.2023 को पीणया फैक्ट्री में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए।

7. नए उत्पाद

कंपनी बाजार सर्वेक्षण/फीडबैक के आधार पर नए उत्पाद लॉन्च करती है।

The details of new products introduced are:

क्र. सं.	उत्पाद	बिक्री मात्रा	मूल्य लाखों में (रु.)
1	कैपिट्रज - 100 मिलीग्राम/200 मिलीग्राम	13,518	53.10
2	न्यूमोल 250 निलंबन	1,89,309	47.74
3	न्यूमोल 650 टैबलेट	39,225	49.26
4	वेरक्लाव डुओ 457एमजी	67,947	64.25
5	केएपी-3 - 30 मि.ली./100 मि.ली	81,780	105.14
6	काप्टिक 6 मि.ली./15 मि.ली./50 मि.ली	1,16,548	59.02
	कुल		378.51

8. निर्यात

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की बिक्री ₹ 4,241 लाख की तुलना में ₹ 3,494 लाख का निर्यात कारोबार हासिल किया। मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, नामीबिया, युगांडा, म्यांमार, यमन, दक्षिण

अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, भूटान, सूडान, फिजी और उज्बेकिस्तान जैसे 15 देशों को निर्यात किया गया।

कंपनी ने वियतनाम, लीबिया, इराक आदि जैसे अतिरिक्त देशों में दवाएं निर्यात करने की योजना बनाई है।



केएपीएल को वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए 22.07.2023 को कर्नाटक सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग (वीटीपीसी) से निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्र द्वारा केएपीएल को प्रदान किया गया, और श्री अनिल कुमार वी, डीजीएम, निर्यात और एप्रोवेट और श्रीमती सुप्रिया कुलकर्णी, कंपनी सचिव एवं डीजीएम (प्रशासन) ने इसे प्राप्त किया।



पुरस्कार समारोह के दौरान केएपीएलवासियों के साथ ली गई एक फोटो।



अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21.06.2023 को आयोजित किया



भारत सरकार के रसायन और उर्वरक पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने 02.09.2023 को विजाग में अध्ययन यात्रा आयोजित की, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स विभाग, भारत सरकार के और केएपीएल के विभागाध्यक्ष और अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई।



भारत सरकार की अनुमान पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने 28.12.2023 को बैंगलोर में अध्ययन दौरा आयोजित किया, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों और केएपीएल की टीम के साथ मुलाकात की।

9. वित्तीय परिणाम:

वर्ष 2023-24 के लिए सारांशित वित्तीय परिणाम नीचे तालिका - IV में प्रस्तुत किए गए हैं:

तालिका-IV

वित्तीय परिणाम	(₹.लाखों में)		
विवरण	2021-2022	2022-2023	2023-2024
ब्याज, मूल्यहास और कर से पहले लाभ:	4,119	4,770	2,688
कम : ब्याज और	107	588	96
अन्य वित्तीय शुल्क	4,012	4,182	2,592
नकद लाभ	760	757	831
कम: मूल्यहास	3,252	3,425	1,760
कर पूर्व लाभ	786	936	628
कम : कराधान का प्रावधान	2,466	2,489	1,132

10. दौरान प्राप्त प्रमुख अनुपात तालिका - V में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका-V

प्रमुख अनुपात	2021-2022	2022-2023	2023-2024
प्रति शेयर आय- ₹ (अंकित मूल्य ₹ 100/-)	183	184	84
प्रति शेयर बुक वैल्यू - ₹ (अंकित मूल्य ₹ 100/-)	1,772	1,927	1,993
सकल अचल संपत्तियों का कारोबार (%)	429	451	366
टर्नओवर के लिए वित्त लागत (%)	0.23	1.11	0.21

11. लाभांश


कंपनी को 7-एसीए परियोजना से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, आपके निदेशकों ने कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग को इसके बारे में अवगत कराया गया है।


12. आरक्षित एवं अधिशेष

आपके निदेशक सामान्य रिजर्व में ₹ 800 लाख हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 31.03.2024 को संचयी भंडार और अधिशेष ₹ 25,542.07 लाख था। आरक्षित निधि और अधिशेष ₹ 1,349 लाख की चुकता इक्विटी पूंजी का 18.93 गुना था। 31.03.2024 को आपकी कंपनी की कुल संपत्ति ₹ 26,891.07 लाख थी।

आरक्षित एवं अधिशेष

(₹. लाख में)





13. इन्वेंट्री और देनदार

कच्चे माल, प्रगति पर काम और तैयार माल सहित कुल इन्वेंट्री का मूल्य ₹ 6,623 लाख था जो बिक्री कारोबार का 14.36% (पिछले वर्ष 13.76%) था। 31.03.2024 तक, देनदार ₹ 12,025 लाख थे जो 95 दिनों की बिक्री के बराबर था।

14. समझौता ज्ञापन प्रदर्शन:

कंपनी हर साल फार्मास्यूटिकल्स विभाग, सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। भारत के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर इसे खराब रेटिंग दी गई है।




श्री सुनील कुमार कैमल, प्रबंध निदेशक, सुश्री एस. अपर्णा, आईएएस, सचिव फार्मास्यूटिकल्स विभाग का 05.05.2023 को निगम कार्यालय में उनके दौरे पर स्वागत करते हुए।



सुश्री एस. अपर्णा, आईएएस, सचिव, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, 05.05.2023 को अपनी यात्रा के दौरान प्रबंध निदेशक, केएपीएल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करती हुई।

15. सरकारी खजाने में योगदान

आपकी कंपनी ने आयकर, सीमा शुल्क, जीएसटी आदि के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में ₹ 11,042 लाख (पिछले वर्ष ₹ 12,163 लाख) का योगदान दिया।



16. सूक्ष्म, लघु उद्यमों को प्रोत्साहन


भारत सरकार ने आदेश संख्या एस.ओ.581(6) दिनांक 23.03.2012 और एस.ओ. दिनांक 14.11.2018 ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित की है। आदेश के अनुसार, कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% एमएसई से खरीदा जाना है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए 20% आरक्षण भी शामिल है। आपकी कंपनी ने 2023-24 के दौरान सूक्ष्म, लघु उद्यमों से ₹ 5,035 लाख का सामान खरीदा है। केएपीएल सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए टीआरडीडीएस प्लेटफॉर्म, जीईएम, एमएसएमई, संबंध और एमएसएमई संबंध पोर्टल पर शामिल हो गया है।

17. विदेश यात्रा

वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी कर्मचारी को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया। इस संबंध में कंपनी द्वारा किया गया व्यय शून्य था।

18. मानव संसाधन

दिनांक 31.03.2024 को कंपनी की कुल मानव संसाधन 761 (नियमित और एफटीसी) थी, जिसमें 262 कार्यकारी और 499 गैर-कार्यकारी शामिल थे।



19. मानव संसाधन विकास

कंपनी इन-हाउस और इंस्टिट्यूट/कंसल्टेंट के ज़रिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, जिससे कर्मचारी अन्य पेशेवरों के साथ बातचीत कर सकें और बेहतर प्रतिभा और कौशल का विकास कर सकें।

2023-24 के दौरान, 341 मैन डेज की ट्रेनिंग दी गई। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और विकास पर ₹8.62 लाख खर्च हुए।



22 और 23 दिसंबर 2023 को फैक्ट्री ट्रेनिंग सेंटर में जूनियर एजीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर तक के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया।

20. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व

31.03.2024 तक एससी कर्मचारियों की संख्या 87, एसटी 13 और पीडब्ल्यूडी 5 है।

21. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

31.03.2024 तक अल्पसंख्यक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 21 थी।

22. कर्मचारी कल्याण

कंपनी अपने कर्मचारियों को मेडिकल चेकअप वगैरह जैसी कई वेलफेयर सुविधाएं देती रहती है। साल के दौरान वेलफेयर और दूसरी सुविधाओं पर ₹1,001 लाख (2022-23 के दौरान ₹942 लाख) खर्च हुए।

23. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण की ज़रूरतों के हिसाब से एक पॉलिसी बनाई है। यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाई गई है।

इस समिति में एक प्रेसाइडिंग अधिकारी, 2 सदस्य और एनजीओ का एक सदस्य होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान, समिति की चार बैठक हुईं।

इस पॉलिसी के तहत सभी कर्मचारी (नियमित, संविदा पर, अनियमित, प्रशिक्षु) आते हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान मिली और निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की समरी नीचे दी गई है।

प्राप्त शिकायतों की संख्या : कुछ नहीं

निपटाई गई शिकायतों की संख्या : लागू नहीं

मातृत्व लाभ एक्ट, 1961 (जैसा कि 2017 में बदला गया) के तहत छुट्टी के अधिकार भी दिए गए हैं।



श्री सुनील कुमार कैमल, प्रबंध निदेशक, डॉ. मधुचंदा कार, इंडिपेंडेंट निदेशक - केएपीएल, का 17.07.2023 को केएपीएल के अपने दौर के दौरान कॉर्पोरेशन ऑफिस में स्वागत करते हुए। केएपीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।



श्री बी यू कामथ, जीएम (प्लांट) और वरिष्ठ अधिकारी, 17.07.2023 को केएपीएल पीन्या फैक्ट्री के दौर के दौरान डॉ. मधुचंदा कर, स्वतंत्र निदेशक - केएपीएल का स्वागत करते हुए।

24. वार्षिक रिटर्न का अंश

31 मार्च, 2024 तक कंपनी का एनुअल रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है।

25. बोर्ड बैठक

वर्ष 2023-24 के दौरान, चार बोर्ड मीटिंग 18.07.2023, 29.09.2023, 02.11.2023 और 30.01.2024 को हुई।

26. निदेशकों की नियुक्ति

निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार कंपनी के ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के नियमों के अनुसार अधिसूचित करती है। सिर्फ़ एक कार्यवाहक निदेशक यानी प्रबंध निदेशक होता है और बाकी सभी नॉन-एग्जीक्यूटिव निदेशक (सरकार के नामित) और एक स्वतंत्र निदेशक होते हैं। प्रबंध निदेशक को मिलने वाली वेतन डीपीई गाइडलाइंस के अनुसार और भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा मंजूर की गई है।


27. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन पॉलिसी है। जोखिम की पहचान की जाती है और जोखिम को कम करने का प्लान भी बनाया जाता है और कार्रवाही की जाती है।

28. सतर्कता:

निवारक सतर्कता सतर्कता विभाग का प्रमुख क्षेत्र रहा है। विभाग का नेतृत्व भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक मुख्य सतर्कता अधिकारी करता है।

सतर्कता विभाग निरंतर आधार पर खरीद और प्रक्रियाओं की जांच करता है और कुछ मामलों में सिस्टम/प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश की गई है। वर्ष 2023 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह “भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें” थीम के साथ मनाया गया। पीआईडीपीआई पर जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।



29. ऋण, गारंटी या का विवरण निवेश

कंपनी अधिनियम की धारा 186 के तहतकोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया।

30. निदेशक बोर्ड का उत्तरदायित्व विवरण

उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और संबंधित एचओडी और लेखा परीक्षकों से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना देते हैं:

- वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की जाती है। हालांकि, 7 एसीए परियोजना के संबंध में पैरा 49 की टिप्पणियों को इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।
- कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते चालू चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- वे उचित प्रणालियाँ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

31. सुरक्षा

आपको सूचित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई। कंपनी परिचालन में सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

32. पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता उपाय

पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

- ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और विनियमन को लागू करना।
- सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना और निजी वाहनों का उपयोग कम करना।
- प्रकाश, उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ऊर्जा कुशल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- कार्बन को कम करने के लिए हरित पहल को अपनाना
- सौर ऊर्जा को अपनाने, डिस्पोजेबल उत्पादों के उपयोग को कम करने जैसी आदतों को बढ़ावा देना।
- बेंगलुरु और धारवाड़ की फैक्ट्रियों में और बेंगलुरु के कदबागेरे में मेडिकल-फार्म में पर्यावरण दिवस मनाना; सभी कर्मचारियों और कामगारों के बीच पौधे वितरित करना।

33. सावधि जमा

आपकी कंपनी ने जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है और, इस प्रकार, बैलेंस शीट की तारीख तक मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

34. बोर्ड में परिवर्तन

01.04.2023 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित निदेशकों का स्वागत किया:

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	त.रु.प्र.
1	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	10139260	22.06.2023
2	डॉ. सतीशा बी सी, भा.प्र.से.	08379733	21.11.2023
3	सुश्री नीरजा सराफ, प्रं.नि. (अ.का.)*	06901973	26.03.2024
4	श्री हर्ष गुप्ता, भा.प्र.से., (अध्यक्ष, केएपीएल)	05150654	23.07.2024
5	श्रीमती खुशबू गोयल चौधरी, भा.प्र.से.	03313434	24.01.2025
6	डॉ. मधुचंदा कर	09519016	21.04.2025
7	श्री मंजूनाथ हेगड़े, प्रं.नि. (अ.का.)*	ABNPH5424K (PAN)	16.05.2025
8	श्री अनुराग दनायक, प्रं.नि.	11183847	13.06.2025
9	श्री के. श्रीनिवास, भा.प्र.से.,	06969191	18.07.2025

*(अ.का.)- अतिरिक्त कार्यभार



दिनांक 01-11-2023 को कर्नाटक राज्योत्सव समारोह का आयोजन

01.04.2023 से 13.12.2025 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नहीं रहे।


क्र.सं.	नाम	डीआईएन	त.रु.प्र.
1	श्री सुमित गर्ग	08797123	22.06.2023
2	डॉ. रवि एम आर, आईएस	08254276	21.11.2023
3	श्री सुनील कुमार कैमल*, एमडी (*दुर्घट निधन के कारण)	08528088	25.03.2024
4	श्री टी के अनिल कुमार, आईएस (अध्यक्ष, केएपीएल)	06704577	23.07.2024
5	श्री बी टी खानापुरे	07778686	01.08.2024
6	डॉ. सतीशा बी सी, आईएस	08379733	14.08.2024
7	सुश्री निरजा सराफ, एमडी (अ.का.)**	06901973	06.01.2025
8	डॉ. मधुचंदा कर	09519016	07.02.2025
9	श्री मंजूनाथ हेगड़े, एमडी (अ.का.)**	ABNPH5424K (PAN)	13.06.2025

** (अ.का.)- अतिरिक्त कार्यभार

बोर्ड उपरोक्त निवर्तमान निदेशकों द्वारा बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की बहुत सराहना करता है

प्रति कर्मचारी औसत बिक्री

(रु. लाख में)



35. सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी

कंपनी की कोई सहायक/संयुक्तउद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं है

36. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 (एम) के तहत निर्धारित विवरण, कंपनी (खाता) नियम 2014 के साथ पठित, इस रिपोर्ट में शामिल **संलग्नक-क** में दिए गए हैं।

37. संबंधित पार्टी लेनदेन

फॉर्म एओसी-2 में धारा 188 की उपधारा (i) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण की सूचना शून्य है।

38. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किए हैं। प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान केएमपी इस प्रकार हैं:

क्र.स.	नाम	त.रु.प्र.	तक
1	श्री सुनील कुमार कैमल, एमडी	01.08.2019	25.03.2024
2	सुश्री निरजा सराफ, एमडी, ए/सी	26.03.2024	06.01.2025
3	सुश्री सुप्रिया कुलकर्णी	01.02.2020	रिपोर्ट की तारीख तक
4	श्री जगदीश चन्द्रशेखर, सीएफओ	01.08.2020	02.12.2024
5	श्री रमेश बी, सीएफओ	03.12.2024	रिपोर्ट की तारीख तक



22 दिसंबर, 2023 को बेंगलुरु के पास रिज़ॉर्ट में पिकनिक का आनंद लेते केएपीएलवासी।

39. वार्षिक आम बैठक

कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 30.12.2024 को आयोजित की गई थी और उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। स्थगित एजीएम दिनांक 13.12.2025 को आयोजित की गई थी।

40. राजभाषा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी और सफल कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए गए। कार्यशालाएँ, निबंध लेखन और अन्य प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। प्रपत्र, परिपत्र और सूचनाएँ द्विभाषी बनाए गए हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी हिंदी में मुद्रित की जाती है।


41. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल ने कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी दी और एक सीएसआर समिति का भी गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक ने की, जबकि केएपीएल के प्रबंध निदेशक और नामित निदेशक (अर्थात् कर्नाटक के औषधि नियंत्रक) इसके अन्य सदस्य थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए सीएसआर फंड के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में से एक में ₹65.01 लाख की राशि जमा की। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष सीएसआर विवरण **संलग्नक-ख** में संलग्न हैं।

प्रति शेयर अर्जन

(रु.)





विशेष अतिथि न्यायमूर्ति श्री एच.एन. नागामोहन दास, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय, डॉ. निर्मला सी. यालीगर आईबी प्रमुख, दूरदर्शन, बेंगलोर और श्री जी. रमेशा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, डॉ. बी.आर. की 132वीं 06-06-2023 को अम्बेडकर जयंती समारोह के दौरान एससी/एसटी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं।



दिन के दौरान लिया गया स्नेप शॉट

42. वैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी के वर्ष 2023-24 के खातों के लेखा परीक्षण के लिए मैसर्स लक्ष्मीनिवास एवं कं. चार्टरित लेखाकार को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों को 03.12.2024 को आयोजित अपनी 194वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 18.12.2024 को अस्वीकरण राय के साथ अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के संचालन में धोखाधड़ी के संदेह का आरोप लगाते हुए भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पास प्रपत्र संख्या एडीटी-4 में एक रिपोर्ट दाखिल की। परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बेंगलोर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने 14.02.2025 दिनांकित पत्र के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा दायर एडीटी-4 के संबंध में केएपीएल से जानकारी मांगी। केएपीएल ने 25.02.2025 दिनांकित अपने पत्र के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 7-एसीए परियोजना की स्थापना के संबंध में “सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति” के

अभाव के मुद्दे की घोर गलत व्याख्या करते हुए उसे “धोखाधड़ी” माना और इस बात के मूल विश्लेषण को नजरअंदाज किया कि धोखाधड़ी किसे कहा जाता है (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 तथा धोखाधड़ी रिपोर्टिंग पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शक नोट) और क्या पूर्व स्वीकृति का अभाव धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के संदेह के बराबर है।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के सतर्कता अनुभाग ने अपने पत्र संख्या 54011/6/204-Vig (C-29823) दिनांक 27.05.2025 के माध्यम से कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित किया है कि 7-एसीए परियोजना के निष्पादन के मामले में कोई सतर्कता पहलू नहीं पाया गया है और प्रशासनिक चूकों को प्रक्रिया/जांच के लिए कहा है।

लेखा परीक्षकों की आपत्तियाँ और प्रबंधन के उत्तर संलग्नक-घ में संलग्न हैं।

43. लागत लेखा परीक्षक

एम/एस जे एच एंड एसोसिएट्स, बेंगलुरु को 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लागत लेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 20.03.2025 को प्रस्तुत की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार लागत अभिलेखों का संधारण करती है। लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई भी टिप्पणी नहीं है।

44. सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने श्री के. एन. नागेश राव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.10.2024 को प्रस्तुत की। सचिवीय लेखा परीक्षक की योग्यताएँ तथा प्रबंधन की प्रतिक्रिया निदेशकों की रिपोर्ट में संलग्न हैं।

45. आंतरिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार, श्री विष्णुनाथन एन को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा कराने हेतु कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। लेखा परीक्षा समिति ने 22.02.2024, 14.03.2024 तथा 23.09.2024 को आयोजित अपनी बैठकों में आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की।



केएपीएल ने 15 सितंबर 2023 को इंजीनियर्स दिवस मनाया, जो भारत रत्न सर एम. वी. विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है। फोटो में डॉ. एस. सीतारामु, श्री एम. वी. के दीपक को प्रज्वलित करते हुए एवं बीच में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व निदेशक, सीपीआरआई, एनडीआरएफ एवं मैकेनिकल इंजीनियर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

46. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों पर टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने कंपनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया। यह लेखा-परीक्षण 12.01.2025 को प्रारंभ हुआ और 28.01.2025 को समाप्त हुआ। सीएंडएजी ने 16.07.2025 के पत्र द्वारा, कंपनी के 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कीं।

सीएंडएजी की टिप्पणियाँ तथा उनके प्रति प्रबंधन के उत्तर संलग्नक-ई के रूप में संलग्न हैं।

47. कंप्यूटरीकरण गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित कंप्यूटरीकरण गतिविधियाँ की गईं:

- फार्मासॉफ्ट सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के लिए आईएसडी में 2 संख्या में डेल सर्वर स्थापित किए गए।
- केएपीएल फैक्ट्री में लेन नेटवर्क का नवीनीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।
- आईआईएस मॉड्यूल के लिए कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- प्रयोगशाला सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर को संस्करण 6.90 से संस्करण 6.122 में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया।



ज़िम्बाब्वे के प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय ऑडिट (एमसीएजेड) के लिए हमारे प्लांट के दौरे के दौरान केएपीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ।



केएपीएल ने 25.09.2023 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया। श्री जतिश एन. शेट, उद्यमी और उद्योगपति, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। केएपीएलवासी अतिथि के साथ उपस्थित थे।

48. प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सीपीएसई के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए संलग्नक-ग के रूप में एक अलग अनुभाग में प्रस्तुत की गई है।

49. 7-एसीए थोक औषधि परियोजना

दिनांक 08.12.2020 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में बोर्ड ने बल्क ड्रग के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया। इस बैठक में बोर्ड को कंपनी द्वारा नियुक्त परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट पर प्रस्तुति दी गई। बोर्ड ने चाहा कि कंपनी के अधिकारियों की एक समिति परामर्शदाता की रिपोर्ट की आगे जाँच करे। बोर्ड ने कर्नाटक के ड्रग्स कंट्रोलर, जो कि बोर्ड सदस्य भी हैं, से अनुरोध किया कि वे प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/एपीआई से संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों एवं ड्रग्स कंट्रोल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित कर कंपनी की सहायता करें। बोर्ड ने कंपनी सचिव को इस परियोजना के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए आवेदन दायर करने के लिए भी अधिकृत किया। तदनुसार, पीएलआई योजना के अंतर्गत 7 एसीए परियोजना की स्थापना के लिए फरवरी 2021 में स्वीकृति प्राप्त हुई।

दिनांक 31.03.2021 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में निदेशक मंडल ने ₹27,500 लाख की लागत से बल्क ड्रग 7

एसीए विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की स्वीकृति दी तथा आगे के लिए प्रबंध निदेशक को निम्नलिखित कदम उठाने हेतु अधिकृत किया: (1) भूमि की पहचान कर उसके लिए आवेदन करना, (2) वित्त के साधनों को अंतिम रूप देना, (3) परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना। प्रबंध निदेशक को इन निर्णयों के क्रियान्वयन से संबंधित सहायक गतिविधियाँ करने के लिए भी अधिकृत किया गया। यह स्वीकृति तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर दी गई थी, जिसके अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत ₹27,500 लाख +/- 50% थी। उपर्युक्त स्वीकृति के आधार पर कंपनी ने उज्जैन, मध्य प्रदेश में रियायती लीज दर पर शर्तों के अधीन भूमि लीज पर प्राप्त की। भूमि कंपनी को जुलाई 2022 में आवंटित की गई। कंपनी ने अगस्त 2022 में भूमि पर पूर्व-निर्माण कार्य प्रारंभ किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, दिनांक 02.11.2023 को हुई बोर्ड बैठक में यह अवलोकन किया गया और कहा गया कि 7 एसीए परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में की गई कार्रवाइयों के बारे में बोर्ड को सूचित नहीं किया गया था। बोर्ड ने यह भी कहा कि यह एक नई परियोजना होने के कारण एमडी को सभी मामलों को बोर्ड के समक्ष रखना चाहिए था। बोर्ड ने यह भी जानना चाहा कि क्या बोर्ड इस पैमाने की परियोजना को स्वीकृति देने में सक्षम था। इसके पश्चात यह बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि बोर्ड ₹27,500 लाख के पैमाने की परियोजना को स्वीकृति देने में सक्षम नहीं था और इस परियोजना के लिए प्रशासनिक मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक थी। बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें परियोजना के लिए स्वीकृति देने में गुमराह किया गया था और यह सभी विनियमों का उल्लंघन था।

बोर्ड द्वारा यह अवलोकन किए जाने के बाद कि वे परियोजना को स्वीकृति देने में सक्षम नहीं थे, कंपनी द्वारा मंत्रालय से उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु 09.01.2024 दिनांकित एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में कंपनी अधिकारियों ने परियोजना की लागत ₹27,500 लाख बताई थी, जिसे बाद में मंत्रालय द्वारा 13.03.2024 दिनांकित पत्र के माध्यम से शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने बाद की बैठकों में यह नोट किया कि परियोजना की संशोधित लागत प्रशासनिक मंत्रालय को कंपनी अधिकारियों द्वारा सूचित नहीं की गई थी, जबकि वे संशोधित लागत के अनुसार कार्यों का आवंटन आगे बढ़ा चुके थे।

तत्कालीन प्रबंध निदेशक के निधन के कारण, 26.03.2024 से प्रभावी रूप से एक नई प्रबंध निदेशक को कंपनी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। प्रबंध निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में बोर्ड को निम्नलिखित बिंदुओं की ओर संकेत किया:

क. परियोजना को कुल ₹275.00 करोड़ के व्यय के लिए स्वीकृत किया गया था। हालांकि, लागत में हुई वृद्धि के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं थी।

ख. स्थापना एवं सेट-अप की लागत को समायोजित करने के लिए, स्वीकृत क्षमता 1440 एमटी/वर्ष (प्रारंभिक डीपीआर के अनुसार) के बजाय 1000 एमटी/वर्ष की स्थापित क्षमता के लिए परियोजना को आगे बढ़ाने का आंतरिक रूप से निर्णय लिया गया, वह भी बिना किसी औपचारिक स्वीकृति या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचार-विमर्श के।

ग. यह भी देखा गया कि परियोजना लागत में वृद्धि के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और न तो इसे औपचारिक रूप से चर्चा में लाया गया और न ही बोर्ड तथा/या प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित किया गया।

उपरोक्त के अनुसरण में, मंत्रालय को लागत में वृद्धि के बारे में सूचित किया गया और मंत्रालय ने पत्र संख्या 31026/39/2020-Policy/Scheme (Pt.2) दिनांक 18.09.2024 के माध्यम से परियोजना लागत में संशोधन को ₹43,600 लाख के रूप में नोट किया। हालांकि, आज की तिथि तक प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा परियोजना के लिए कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं दी गई है। बोर्ड ने बाद की बैठकों में यह इंगित किया कि परियोजना लागत में संशोधन को नोट करने संबंधी मंत्रालय का उक्त पत्र पीएलआई योजना के संदर्भ में था, लेकिन मंत्रालय ने अपनी प्रशासनिक क्षमता में इसकी कोई स्पष्ट स्वीकृति नहीं दी थी।

कंपनी की प्रबंध निदेशक ने बोर्ड से लागत व्यय को ₹275 करोड़ से ₹435 करोड़ तक अनुमोदित (सुधार) करने का अनुरोध किया और साथ ही निम्नलिखित को भी अनुमोदित करने का अनुरोध किया:

क. पहले से किए गए तथा प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय क्रमशः ₹89.88 करोड़ और ₹131.55 करोड़।

ख. परामर्शदाताओं की नियुक्ति

ग. रु. 258.13 करोड़ की अतिरिक्त व्यय राशि

संशोधित लागत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित लागत की स्वीकृति आदि जैसे मुद्दों पर लंबित अनुपालनों को देखते हुए बोर्ड ने उसी को अनुमोदित (सुधार) करने से इंकार कर दिया था। बोर्ड ने परियोजना के संचालन में हुई चूकों पर गहरी नाराज़गी भी व्यक्त की और प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि परियोजना के संचालन में हुई चूकों के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के कुछ अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक निलंबित किया गया। जांच अभी भी जारी है और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

बोर्ड ने परियोजना लागतों की भी जांच शुरू की। पहले लागत अनुमान तैयार करने वाली एजेंसी (इशा) और कंपनी द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (दोशी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड) को विषय पर स्पष्टीकरण देने के लिए बोर्ड द्वारा तलब किया गया।

एक स्वतंत्र परामर्शदाता भी नियुक्त किया गया, जिसने 7एसीए परियोजना की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी रिपोर्ट और निष्कर्ष प्रस्तुत किए। एक अन्य एजेंसी, जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड को भी परियोजना के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट (टीईवी रिपोर्ट) प्रदान करने हेतु नियुक्त किया गया।

स्वतंत्र परामर्शदाता की रिपोर्ट, टीईवी रिपोर्ट और वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का अवलोकन करने के बाद, बोर्ड ने निम्नानुसार कंपनी अधिकारियों को निर्देश दिए:

- क. जीपीसीएल द्वारा लागत में वृद्धि के लिए बताए गए कारण बहुत अस्पष्ट हैं और एमडी यह सुनिश्चित करें कि उचित व न्यायसंगत कारण प्रस्तुत किए जाएँ और उन्हें बोर्ड के समक्ष रखा जाए।
- ख. डीसीपीएल द्वारा प्रदान किए गए संशोधित लागत अनुमान, जिसमें रु. 436 करोड़ का अनुमान दिया गया है, को पहले परामर्शदाताओं के साथ साझा किया जाए, जिन्होंने रु. 275 करोड़ का अनुमान दिया था, और दोनों परामर्शदाताओं से कहा गया कि वे एक-दूसरे के अनुमानों की जांच और सत्यापन करें। एमडी को इन प्रतिक्रियाओं और फीडबैक का अध्ययन कर बोर्ड को अपने इनपुट देने की सलाह दी गई।
- ग. एमडी को 7एसीए परियोजना के लिए एक संशोधित और पुख्ता डीपीआर प्राप्त करने और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
- घ. एमडी को मैसर्स दोशी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्य-क्षेत्र पर स्पष्टता लाने की सलाह दी गई कि क्या उन्हें परियोजना परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था।
- ड. बोर्ड ने व्यक्त किया कि निविदा प्रक्रिया (यह नोट किया गया कि निविदाएँ मैनुअल थीं और ई-निविदा नहीं थीं), लागत निर्धारण, तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति आदि की पुष्टि करने की आवश्यकता है। चूंकि इन-हाउस क्षमता उपलब्ध नहीं है, एमडी को प्रतिष्ठित संस्थानों की सेवाएँ लेने की सलाह दी गई। उपरोक्त दिए गए निर्देशों के प्रत्युत्तर अभी बोर्ड को प्रदान किए जाने शेष हैं। तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा निपेर के एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु बोर्ड उससे संतुष्ट नहीं था। उनसे अपनी रिपोर्ट को पुष्ट करने हेतु दस्तावेज़ और विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, बाद में बोर्ड को सूचित किया गया कि कार्यभार और संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए निपेर ने तकनीकी सहायता जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

वित्त वर्ष 2023-24 के वैधानिक ऑडिट के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 7एसीए परियोजना से संबंधित पाए गए मामलों और अनियमितताओं को लेकर बोर्ड से संपर्क कर उन्हें अवगत

कराया तथा यह भी बताया कि ऑडिट पूर्ण करने हेतु आवश्यक पर्याप्त दस्तावेज़ उन्हें उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। बोर्ड के निर्देशों के आधार पर, वैधानिक लेखापरीक्षकों को ऑडिट पूर्ण करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ प्रदान किए गए। अन्य टिप्पणियों के साथ, लेखापरीक्षकों ने यह भी इंगित किया कि परियोजना की लागत में वृद्धि का उचित औचित्य नहीं दिया गया है और उसी को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। अपने ऑडिट के आधार पर, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने अस्वीकरण मत (डिस्क्लेमर राय) जारी करते हुए, फॉर्म एडीटी-4 में रिपोर्ट जारी कर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को संदिग्ध धोखाधड़ी की संभावना की सूचना दी।

बोर्ड ने 03.12.2024 को हुई अपनी बैठक में इस विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और कंपनी अधिकारियों ने बोर्ड को सूचित किया कि वैधानिक लेखापरीक्षकों की परिकल्पना के विपरीत, कंपनी में न तो वर्तमान संचालन में और न ही 7 एसीए परियोजना में कोई धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी है। उन्होंने बोर्ड को बताया कि अधिकतम, बोर्ड, भारत सरकार आदि से पूर्वानुमोदन लेने की प्रक्रियाओं से कुछ विचलन हुए हैं, और ऐसे प्रक्रियात्मक विचलनों को धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता।

यह भी उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एससीए) ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, बेंगलुरु के माध्यम से अपने पत्र दिनांक 25.02.2025 द्वारा, लेखापरीक्षकों द्वारा जारी एडीटी-4 के संबंध में कंपनी से विवरण और दस्तावेज़ मांगे। कंपनी अधिकारियों ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को अपने पत्र दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से उत्तर दिया, जिसमें कहा गया कि वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा दायर एडीटी-4, कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग से संबंधित आईसीएआई के मार्गदर्शन नोट के साथ पठित उक्त अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में तथ्यों की उनकी गलत व्याख्या के कारण है।

एमसीए के पत्र और कंपनी द्वारा दिए गए उसके उत्तर की प्रतियां 23.09.2025 को हुई बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की गईं और उत्तर का अवलोकन करने पर अध्यक्ष तथा केएसआईआईडीसी से नामित निदेशक ने यह देखा कि आरओसी को दिए गए उत्तर में यह त्रुटिपूर्ण रूप से कहा गया था कि “बोर्ड ने उत्तर दिया कि कोई धोखाधड़ी नहीं है।” हालांकि, यह उत्तर 03.12.2024 को हुई बोर्ड बैठक के कार्यवत्त पर आधारित था, जिसमें कंपनी के अधिकारियों ने बोर्ड को सूचित किया था कि कोई धोखाधड़ी नहीं है और केवल प्रक्रियात्मक चूक हुई है। लेकिन इस प्रकार की जानकारी मिलने पर भी बोर्ड ने यह राय व्यक्त नहीं की थी कि कोई धोखाधड़ी नहीं है। 23.09.2025 को हुई उसी बैठक में बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशकों ने यह भी देखा कि बाद की बैठकों में बोर्ड ने कई चिंताएं उठाई थीं, विशेष रूप से संशोधित DPR के विवरण उपलब्ध कराने, तकनीकी सक्षम प्राधिकारी से उसकी स्वीकृति प्राप्त करने, संशोधित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति आदि से संबंधित बोर्ड के पहले के कई निर्णयों के लंबित अनुपालन के संबंध में। गैर-

कार्यकारी निदेशकों ने यह भी असंतोष व्यक्त किया कि आरओसी को भेजे गए उत्तर बोर्ड से अनुमोदित कराए जाने चाहिए थे।

बोर्ड द्वारा यह भी नोट किया गया कि इस मामले की जांच कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की गई थी और इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के औषधि विभाग (डीओपी) के सीवीओ को भी संदर्भित किया गया था। मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग ने अपने पत्र संख्या 54011/6/204- vig (C-29823) दिनांक 27.05.2025 के माध्यम से किसी भी सतर्कता पहलू से इंकार किया और कहा कि यह मामला पूरी तरह प्रशासनिक चूकों से संबंधित है।

बोर्ड ने कई अवसरों पर डीओपी और प्रशासनिक मंत्रालय से 7एसीए परियोजना के अनुमोदन हेतु एक तकनीकी सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया। बोर्ड ने यह भी व्यक्त किया कि वह संशोधित लागत को तभी स्वीकृत कर सकता है जब संशोधित डीपीआर को तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए। इसी कारण से बोर्ड ने पहले से किए गए ₹212.37 करोड़ के पूंजीगत व्यय का अनुमोदन नहीं किया।

तकनीकी क्षमता की कमी को देखते हुए, 05.10.2024 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड ने कंपनी को निर्देश दिया था कि वह किसी अन्य पीएलआई आवेदक की संभावना तलाशे जो परियोजना को “जैसी स्थिति में, वहीं आधार पर” लेने के लिए तैयार हो, और इस संबंध में मंत्रालय को लिखने की इच्छा व्यक्त की थी। डीओपी ने 14.11.2024 को अपने पत्र के माध्यम से परियोजना के लिए खरीदार तलाशने के प्रस्ताव पर सहमति दी। इसके अनुसार कंपनी द्वारा अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई, जिसके प्रत्युत्तर में चार इच्छुक पक्षों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं और वे वर्तमान में विचाराधीन हैं।

50. अन्य

क) नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो भविष्य में कंपनी की निरंतर संचालन स्थिति और परिचालन को प्रभावित करे।

ख) 31.03.2024 और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं।

ग) कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है।

ड) किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के साथ एकमुश्त निपटान का कोई भी उदाहरण नहीं रहा है।

च) सचिवीय मानकों के अनुपालन: कंपनी, परिशिष्ट के पैरा संख्या 8.1 में उल्लिखित योग्यताओं और अनुपालनों के अधीन, भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

51. आभार

49.1 आपके निदेशक भारत सरकार के औषधि विभाग तथा अन्य विभागों, और कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग; कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसआईआईडीसी), तथा कर्नाटक राज्य के औषधि नियंत्रक को उनके समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

49.2 बोर्ड, सीएंडएजी, लेखा परीक्षकों, केंद्र एवं राज्य सरकारों की एजेंसियों, बैंकों, ग्राहकों तथा सभी हितधारकों को उनकी समय पर सहायता, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है।

49.3 आपके निदेशक सभी स्तरों पर ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रति अपनी सराहना दर्ज करते हैं, जिनके प्रयासों के बिना प्राप्त परिणाम संभव नहीं होते।

कृते निदेशक बोर्ड की ओर से

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 13.12.2025

हर्ष गुप्ता
अध्यक्ष

डीआईएन : 05150654

कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के अनुसार सूचना।

1. ऊर्जा संरक्षण

इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- 1) क्षतिग्रस्त संपीडित वायु लाइन को नई लाइन से बदलकर ऊर्जा हानि को न्यूनतम किया गया है।
- 2) उत्पादन क्षेत्र में सीएफएल लैंपों को एलईडी लैंपों से बदला गया है।

(i) ऊर्जा और ईंधन की खपत

विवरण	वर्तमान वर्ष (2023-24)	पूर्व वर्ष (2022-23)
बिजली		
क. खरीदी गई		
खरीदी गई बिजली (इकाइयाँ)	89,09,995	88,93,000
कुल राशि (₹)	8,33,43,116	8,30,67,636
प्रति इकाई दर (₹)	9.35	9.34
ख. अपनी द्वारा बनाई गई		
i. डीज़ल जनरेटर के माध्यम से		
उत्पन्न की गई बिजली (यूनिट)	1,10,346	47,965
उपयोग किए गए डीज़ल की मात्रा (लीटर)	36,000	12,000
डीज़ल की लागत (₹.)	28,50,362	10,22,874
डीज़ल तेल प्रति लीटर यूनिट	3.07	4.00
लागत/यूनिट (₹.)	25.83	21.33
ii. कोयला		
मात्रा (टन)	-	-
कुल लागत (₹.)	-	-
औसत दर (₹.)	-	-
iii. पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी)		
मात्रा (एमसीएम)	3,31,088	3,54,341
कुल लागत (₹.)	2,39,74,796	2,54,43,846
औसत दर (₹.)	72.41	71.81
iv. स्वयं का सौर उत्पादन		
उत्पन्न यूनिट	1,86,041	1,80,313
कुल लागत (₹.)	10,35,317	10,03,439
लागत/यूनिट(₹.)	5.56	5.57

(ii) उत्पादन मूल्य के प्रति लाख पर खपत:

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
बिजली		
रुपया	1,877	1,636
यूनिट	179	175
पाइपड प्राकृतिक गैस		
रुपया	516	411.86
यूनिट (एमएमबीटीयू)	0.29	0.26



2. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी गतिविधियाँ)

आपकी कंपनी स्वास्थ्य से संबंधित बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष दर वर्ष नई फॉर्मूलेशन विकसित कर रही है। इन गतिविधियों पर वर्ष के दौरान किया गया व्यय ₹ 59.16 लाख है। आरएंडडी गतिविधियों के लिए प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के साथ रणनीतिक गठबंधन पर विचार किया जा रहा है।

3. कुल प्रयुक्त एवं अर्जित विदेशी मुद्रा

₹.लाखों में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कुल विदेशी मुद्रा का उपयोग और अर्जन		
कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर	-	-
निर्यात बिक्री पर कमीशन आदि के लिए विदेशी मुद्राओं में व्यय	33.66	43.62
लाभांश के खाते में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में प्रेषण	-	-
कुल विदेशी मुद्रा अर्जित (एफओबी मूल्य)	3,238	3,920

कृते निदेशक बोर्ड की ओर से

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 13.12.2025

हर्ष गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन : 05150654

1. कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस संहिता

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर केएपीएल का दर्शन अपने संचालन के सभी पहलुओं में तथा अपने सभी हितधारकों-जिनमें शेयरधारक, कर्मचारी, ऋणदाता और सरकार शामिल हैं-के साथ सभी अंतःक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति की परिकल्पना करता है। केएपीएल अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक बोर्ड

क) 31 मार्च 2024 को, निदेशक मंडल में 6 निदेशक शामिल थे, जिनमें एक प्रबंध निदेशक, एक अंशकालिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष/चेयरमैन, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग से एक गैर-कार्यकारी निदेशक, कर्नाटक सरकार से दो गैर-कार्यकारी निदेशक तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

ख) वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें 18.07.2023, 29.09.2023, 02.11.2023 और 30.01.2024 को आयोजित की गईं।

निदेशकों के नाम	श्रेणी	उपस्थिति सहित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति	31.03.2024 को बाह्य निदेशक पदों की संख्या	31.03.2024 तक बाह्य बोर्ड समिति की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या
श्री टी के अनिल कुमार, भा.प्र.से.	अध्यक्ष, केएपीएल	4/4	हाँ	3	शून्य
श्री सुनील कुमार कैमल	प्रबंध निदेशक	3/4	नहीं	शून्य	शून्य
डॉ. एम. आर. रवि, भा.प्र.से.	गैर-कार्यकारी निदेशक	1/4	नहीं	8	शून्य
श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	गैर-कार्यकारी निदेशक	4/4	हाँ	1	शून्य
श्री बी टी खनापुरे	गैर-कार्यकारी निदेशक	4/4	हाँ	1	शून्य
डॉ. मधुचंदा कर	स्वतंत्र निदेशक	4/4	हाँ	शून्य	शून्य

ग) निदेशक मंडल एवं संबंधित जानकारी:

गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी तथा उसके प्रबंधन के साथ कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं है। उन्हें कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है।

घ) आचार संहिता:

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसायिक आचरण के मानकों को बनाए रखने और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता आपकी कंपनी की वेबसाइट www.kaplindia.com पर उपलब्ध है।

3. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी की भुगतान की गई पूंजी वर्तमान में ₹1,349 लाख है। कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति लंबित होने के कारण, लेखा परीक्षा समिति में केवल एक स्वतंत्र निदेशक को शामिल किया जा सका है।



14 सितंबर 2023 को कॉर्पोरेट कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। हिंदी दिवस समारोह की कुछ झलकियाँ।

4. प्रकटीकरण

निदेशकों का पारिश्रमिक:

पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक को देय पारिश्रमिक और उनकी सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रबंध निदेशक को दिया गया पारिश्रमिक:

रु.लाखों में

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	पीएफ अंशदान	अनुलाभ	कुल
श्री सुनील कुमार कैमल	41.42	---	3.74	3.98	49.14

अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड बैठकों, ऑडिट समिति की बैठकों और सीएसआर बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता है, जो इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	बोर्ड मीटिंग के लिए भुगतान किया गया बैठक शुल्क (₹)	लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए भुगतान किया गया बैठक शुल्क (₹)	सीएसआर समिति की बैठक के लिए भुगतान किया गया बैठक शुल्क (₹)
1	श्री टी के अनिल कुमार, भा.प्र.से.	4,000/-	---	---
2	श्री सुनील कुमार कैमल	---	---	---
3	डॉ. एम आर रवि, भा.प्र.से.	1,000/-	---	---
4	श्री बी टी खानापुणे	4,000/-	3,000/-	1,000/-
5	डॉ. मधुचंदा कर	60,000/-	30,000/-	10,000/-
6	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	---	---	---

5. वार्षिक सामान्य बैठकें:

क) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं

वित्तीय	दिनांक	समय	स्थान
2022-23	29.09.2023	1200 घंटे	कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलूर
2021-22	02.12.2022	1200 घंटे	कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलूर
2020-21	17.01.2022	1145 घंटे	कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलूर

उपरोक्त वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव और डाक मतपत्र नहीं लिए गए।

6. संचार के साधन:

क) वार्षिक वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.kapbindia.com पर प्रदर्शित किए जाते हैं

संयंत्र स्थान:

प्लॉट नंबर: 14, दूसरा चरण, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूर - 560 058

धारवाड़ आयुष संयंत्र:

प्लॉट नंबर 429/1/2ए, कोटूर गांव, पीबी रोड, एनएच-4, बेलूर, धारवाड़ - 580011 (कर्नाटक)

ख) पत्राचार का पता:

पंजी. का पता. कंपनी का कार्यालय

अर्का बिजनेस सेंटर

प्लॉट नंबर 37, साइट नंबर 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड

पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण बेंगलूर - 560 058

शेयरधारक उपरोक्त पते पर पत्राचार भेज सकते हैं।

कृते निदेशक बोर्ड की ओर से

हर्ष गुप्ता

अध्यक्ष

डीआईएन : 05150654

स्थान : बेंगलूर

दिनांक : 13.12.2025

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु
वर्ष 2023-24 की सीएसआर गतिविधियां

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरू किए गए थे	परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार राशि परिव्यय (बजट)।	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उपशीर्ष: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवर-हेड्स:	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)	---	--	-	65,01,000.00	-	सीधा भुगतान
	कुल				65,01,000.00		

कृते निदेशक बोर्ड की ओर से

हर्ष गुप्ता

अध्यक्ष

डीआईएन : 05150654

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 13.12.2025

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण – एक अवलोकन

फार्मास्यूटिकल उद्योग

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा है।

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग (दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों सहित) का वर्तमान बाजार आकार लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर है। फार्मास्यूटिकल उद्योग के 2030 तक 130 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण, भारतीय दवाओं को विश्वभर में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे देश को सही रूप में ‘दुनिया की फार्मसी’ कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 2% का योगदान देता है।

कंपनी:

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) की स्थापना विभिन्न सरकारी अस्पतालों और अन्य संस्थानों को जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के मूल उद्देश्य से की गई थी।

कंपनी के पास ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल, लिक्विड इंजेक्टेबल, टैबलेट्स, कैप्सूल, ड्राई सिरिप्स और सर्पेंशन्स के निर्माण की सुविधाएं हैं। खंडवार प्रदर्शन का विस्तृत विवरण बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 01.11.2017 को हुई अपनी बैठक में कंपनी में भारत सरकार की 100% इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। कंपनी ने 22.11.2017 और 02.11.2020 को भारत सरकार को आवश्यक विवरण प्रदान किए। इस संबंध में आगे कोई संचार नहीं हुआ है।

स्वोट विश्लेषण

कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न धन का उपयोग कर रही है।

कंपनी हमेशा ‘निरंतर सुधार और विकास’ की अवधारणा में विश्वास करती रही है और नवीनतम गुड मैनुफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करने तथा वर्तमान तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए समय-समय पर अपनी विभिन्न विनिर्माण सुविधाओं और प्रणालियों को उन्नत करती रही है। सभी फार्मा पीएसयू में, केवल केएपीएल को डब्ल्यूएचओ जीएमपी अनुमोदन प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है।

कंपनी की सुविधाएं विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों और पीआईसीएस मलेशिया द्वारा अनुमोदित हैं। केएपीएल के उत्पाद 25 से अधिक देशों में पंजीकृत हैं और वर्तमान में यह 15 विभिन्न देशों को निर्यात कर रही है। कंपनी के पास निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियों को कवर करने वाले उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है:

एंटीबायोटिक्स, एंटी-हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, हेमेटिनिक, एंटी माइग्रेन, एनएसएआईडीएस, सामान्य दवाएं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, पशु स्वास्थ्य उत्पाद, कृषि रसायन उत्पाद और आयुर्वेदिक।

जोखिम और चिंताएं

कंपनी को प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नियंत्रण, नियामक परिवर्तन और तीव्र प्रतिस्पर्धा आदि शामिल हैं।

दृष्टिकोण

भारत के फार्मास्यूटिकल बाजार की वृद्धि बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता, दीर्घकालिक रोगों की बढ़ती घटनाओं और धीरे-धीरे विस्तारित हो रही बीमा कवरेज से प्रेरित होने की उम्मीद है। कंपनी फॉर्मूलेशन्स के विकास और उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें आयुर्वेदिक उत्पाद भी शामिल हैं। कंपनी लगातार प्रयास कर रही है कि (क) जिन देशों में वह पहले से निर्यात कर रही है वहां अतिरिक्त उत्पाद पंजीकृत करे, और (ख) जिन देशों में वह अभी तक निर्यात नहीं कर रही है वहां अपने उत्पादों को पंजीकृत कर नए अवसरों की शुरुआत करे।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

कंपनी का मानना है कि आंतरिक नियंत्रण सुशासन की एक आवश्यक पूर्व शर्त है और उसके पास एक सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण ढांचा है, जिसे वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों की पर्याप्तता, प्रभावशीलता और दक्षता का निरंतर आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

परिचालन प्रदर्शन के संदर्भ में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा।

पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं:

रु.लाखों में

वर्ष	उत्पादन का मूल्य	बिक्री कारोबार	कर से पहले लाभ	कर से बाद लाभ
2021-22	47,976	47,387	3,252	2,466
2022-23	52,865	52,757	3,425	2,489
2023-24	46,470	46,133	1,760	1,132

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में सामग्री विकास, जिसमें नियोजित जनो की संख्या शामिल।

कंपनी समय-समय पर कर्मचारियों को उनके कौशल और दक्षताओं के उन्नयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित करती है। कंपनी के अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध हैं और स्थापना के बाद से अब तक कर्मचारी असंतोष या हड़ताल के कारण एक भी मानव-घंटा नष्ट नहीं हुआ है। 31.03.2024 तक कुल मानव संसाधन संख्या 761 थी नियमित और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट (एफटीसीएस) दोनों।

पर्यावरण संरक्षण:

पर्यावरण संरक्षण के उपाय के रूप में, कंपनी कॉर्पोरेट कार्यालय के अंदर और आसपास वृक्षारोपण कर रही है तथा फैक्ट्री के खुले क्षेत्रों में उद्यानों का रखरखाव कर रही है। ई-कचरे के उत्पादन को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

कृते निदेशक बोर्ड की ओर से

हर्ष गुप्ता

अध्यक्ष

डीआईएन : 05150654

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 13.12.2025

2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों के बिन्दु

पैरा नं	बिन्दु	प्रबंधन की प्रतिक्रिया
8.1	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173, सचिवीय मानक - SS-1 तथा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी 2010 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित क्रमिक बोर्ड बैठकों के बीच का अंतर एक अवसर पर तीन महीने से अधिक था।	ऑडिट अवलोकन को नोट कर लिया गया है।
8.2	वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने रिक्ति को नहीं भरा और एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की। इसलिए, कंपनी कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अंतर्गत तथा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010 के दिशा-निर्देशों के साथ पठित, बोर्ड सदस्यों में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के होने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकी।	कंपनी के स्मरण-पत्र और उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत सरकार के पास है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए हमारा अनुरोध भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है और वह वर्तमान में उनके विचाराधीन है।
8.3	दो स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ऑडिट समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा सीएसआर समिति की बैठकों का विधिवत गठन, आयोजन और संचालन वैध रूप से नहीं कर सकी।	कंपनी के स्मरणपत्र और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्तियाँ भारत सरकार के पास हैं। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए हमारा अनुरोध भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है और वह उनके विचाराधीन है।

कृते निदेशक बोर्ड की ओर से

हर्ष गुप्ता

अध्यक्ष

डीआईएन : 05150654

स्थान : बेंगलुरु

दिनांक : 13.12.2025

सेवा में

सदस्यगण

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
बेंगलुरु

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अस्वीकरणात्मक राय

हमें कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (“कंपनी”) के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिनमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण (जिसमें अन्य समग्र आय शामिल है), नकद प्रवाह विवरण और उस वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं।

हम कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट के “अस्वीकरणात्मक राय का आधार” अनुभाग में वर्णित मामलों के महत्व और उनसे जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण, हम इन वित्तीय विवरणों पर ऑडिट राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सके हैं।

अस्वीकरणात्मक राय का आधार

1. थोक औषधि 7 एसीए परियोजना (“परियोजना”)-(वित्तीय विवरणों के नोट 2 बी, 21, 33 बी और 46 सी देखें)

क) कंपनी के निदेशक मंडल (“बोर्ड”) ने वर्ष 2021 में बल्क ड्रग 7 एसीए के निर्माण हेतु 1,440 एमटी/वर्ष क्षमता की एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए ₹275 करोड़ के निवेश को स्वीकृति दी थी और उसी आधार पर पूंजीगत व्यय किया गया। ऐसी स्वीकृति, सार्वजनिक उद्यम विभाग के 5 अगस्त 2005 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन थी, जिसमें कंपनी को केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना नए प्रोजेक्ट्स पर ₹500 करोड़ तक या कंपनी की निवल संपत्ति के बराबर (जो भी कम हो) पूंजीगत व्यय करने की अनुमति दी गई थी। जिस तिथि को बोर्ड द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी, उस समय कंपनी की निवल संपत्ति केवल ₹230 करोड़ थी, जिसके कारण भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। अतः परियोजना का आरंभ और उस पर किया गया व्यय बोर्ड की अधिकार-सीमा से बाहर (अल्ट्रा वायर्स) है। आगे, परियोजना की क्षमता को मूल 1,440 एमटी से घटाकर 1,000 एमटी कर दिया गया, वह भी स्पष्टतः बोर्ड को सूचित किए बिना या उससे औपचारिक स्वीकृतियाँ प्राप्त किए बिना, जिससे प्रारंभिक परियोजना विनिर्देशों और लागत अनुमानों पर प्रश्न उठते हैं।

क्षमता में इस कमी के कारण पहले से किए गए व्ययों, लिए गए दायित्वों और समग्र अनुमानित परियोजना लागत पर यदि कोई प्रभाव पड़ा है, तो उसका वर्तमान में आकलन नहीं किया गया है।

ख) कंपनी ने मार्च 2024 में परियोजना की स्थापना हेतु कुल ₹288.75 करोड़ की पूंजीगत लागत (₹275 करोड़ + मार्च 2025 तक उत्पादन प्रारंभ होने तक अनुमानित ब्याज लागत ₹13.75 करोड़) पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की है। आगे, उक्त स्वीकृति के माध्यम से कंपनी को सलाह दी गई है कि वह उसी संयंत्र से 7 एसीए के साथ डी-7 एसीए का भी उत्पादन करे तथा डी-7 एसीए के लिए एक पूरक परियोजना प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करे, जो अभी लंबित है। तथापि, हमने यह पाया है कि 7 एसीए परियोजना के मामले में, कंपनी द्वारा संशोधित अनुमानित परियोजना लागत ₹436 करोड़ के आधार पर खरीद आदेश/कार्य आदेश बोर्ड की जानकारी के बिना तथा सरकार की स्वीकृति के बिना जारी किए गए हैं। यह भी देखा गया है कि इन खरीद/कार्यों की अनुमानित लागत परियोजना की टेक्नो-इकोनॉमिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में अनुमानित राशि से अधिक पाई गई है। इसके अतिरिक्त, बढ़ी हुई परियोजना लागत को ध्यान में रखते हुए परियोजना की पूर्णता के लिए आवश्यक निधि के स्रोतों का अंतिम निर्धारण अभी तक लंबित है। आवश्यक स्वीकृतियों और निधि स्रोतों के बिना कंपनी के धन को प्रतिबद्ध करना प्रबंधन की न्यासी (फिड्युशियरी) जिम्मेदारियों का घोर उल्लंघन है। बोर्ड ने संशोधित परियोजना लागत पर विस्तृत जांच की मांग की है और उसका परिणाम अभी प्रतीक्षित है। जांच के परिणाम लंबित रहने तक, हमें सूचित किया गया है कि बोर्ड ने कंपनी द्वारा पहले से किए गए व्यय तथा दिए गए आदेशों का अनुमोदन (रेटिफिकेशन) नहीं किया है।

ग) बोर्ड ने 7 एसीए परियोजना के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा/जांच करवाई है। सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट में कई उल्लंघनों/अनियमितताओं की ओर संकेत किया है। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, मामले को कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (“सीवीओ”) को जांच के लिए तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करने और/या अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति हेतु भेजा गया। सीवीओ ने 23 जुलाई 2024 की अपनी रिपोर्ट में, अन्य टिप्पणियों के साथ, कुछ अधिकारियों पर इन उल्लंघनों/अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश की है। प्रारंभिक जांच के आधार पर, कंपनी ने संबंधित अधिकारियों को चिन्हित उल्लंघनों/अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण

बताओ नोटिस जारी किए हैं। आगे की कार्यवाही और अंतिम आदेश लंबित रहने तक, इन कर्मचारियों को 21 नवंबर 2024 को निलंबित कर दिया गया है। सीवीओ ने सिफारिश की है कि इस मुद्दे को आंतरिक लेखा-परीक्षा/जांच के साथ औषधि विभाग के सीवीओ को भेजा जाए ताकि संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ इसे उठाया जा सके। इस संबंध में कंपनी की ओर से आगे की कार्रवाई लंबित है।

घ) परियोजना पर टेक्नो-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई कि 7 एसीए के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता को अंतिम रूप देने से पहले ही प्रमुख प्रक्रिया उपकरणों के लिए खरीद आदेश जारी कर दिए गए, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता पर संभावित जोखिम उत्पन्न होता है। यद्यपि परियोजना की शुरुआत लगभग जुलाई/अगस्त 2022 में हुई थी, लेकिन प्रौद्योगिकी प्रदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया केवल सितंबर 2024 में शुरू की गई।

ड) परियोजना स्थल पर हमारी यात्रा के आधार पर, हमने यह नोट किया है कि वर्तमान में सभी परियोजना कार्य रुके हुए हैं। आगे हमें यह भी समझ में आया है कि बोर्ड द्वारा 7 एसीए परियोजना के संबंध में पहले किए गए कार्यों की पुष्टि न किए जाने के कारण जनवरी 2024 से परियोजना को होल्ड पर रखा गया है। इससे परियोजना के भविष्य की संभावनाओं को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त पैरा (ख) में उल्लिखित जांच के परिणाम और आवश्यक अनुमोदनों के साथ-साथ, बोर्ड द्वारा 7 एसीए परियोजना पर पूर्व में किए गए कार्यों की पुष्टि लंबित होने के कारण, इन वित्तीय विवरणों में परिलक्षित परियोजना के पूंजीगत कार्य-प्रगति में दर्शाई गई राशियों में किसी भी संभावित समायोजन तथा ग्रहण की गई प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न किसी भी प्रभाव का वर्तमान में निर्धारण नहीं किया जा सकता है। आगे, प्रबंधन ने 7 एसीए परियोजना के लिए क्रय की गई और पूंजीगत कार्य-प्रगति के अंतर्गत रखी गई परिसंपत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया है।

च) जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 21 में उल्लेखित है, 7 एसीए परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय से संबंधित लेनदार पुष्टि के अधीन हैं। परिणामस्वरूप, इन वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के प्रति देय दायित्व सटीक और पूर्ण नहीं हो सकते हैं। अतः बल्क ड्रग 7 एसीए परियोजना से संबंधित दायित्वों की राशि में किए जाने वाले किसी भी समायोजन का वर्तमान में निर्धारण संभव नहीं है।

छ) उपर्युक्त रूप से विस्तृत विभिन्न उल्लंघनों/अनियमितताओं, चूकों और तथ्यों के छिपाव को देखते हुए, हमें यह विश्वास करने का कारण है कि कंपनी में व्यक्तिगत रूप से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि से संबंधित धोखाधड़ी का अपराध किया गया हो सकता है। तदनुसार, हमारे संदेह के आधार पर, हमने अधिनियम की धारा 143(12) के प्रावधानों को, कंपनी (लेखापरीक्षक एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पढ़ते हुए, इस विषय की सूचना केंद्र सरकार को दी है।

2. व्यापार प्राप्य और अन्य चालू देनदारियाँ (वित्तीय विवरणों के नोट 8.1, 8.2, 8.3 एवं 22.2 का संदर्भ लें)

क) अधिकांश ग्राहकों से शेष राशियों की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है - रु. 10,823.34 लाख परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा संबंधित ग्राहकों के साथ व्यापार प्राप्य शेष राशियों का मिलान नहीं किया गया है। यद्यपि कंपनी की राय में शेष राशियों की पुष्टि न मिलने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथापि यदि कोई समायोजन होता है तो उसका प्रभाव वर्तमान में इन वित्तीय विवरणों पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

ख) अन्य चालू देनदारियों में रु. 833.04 लाख शामिल हैं, जो ग्राहकों से अग्रिम के स्वरूप में हैं, जो अधिकांशतः बिक्री के संबंध में प्राप्त की गई राशियाँ हैं। भुगतान करने वाले ग्राहकों का विवरण वर्तमान में ज्ञात नहीं है। ऐसे प्राप्तियों का मिलान प्रक्रिया में है और इसलिए संबंधित पक्षों की पहचान, जिन्होंने भुगतान किया है, वर्तमान में लंबित है।

3. चालू - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (वित्तीय विवरणों के नोट 12.1, 14.1 एवं 14.2 का संदर्भ लें)

क) सरकारी विभागों के साथ जमा और सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष राशियाँ क्रमशः पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। इनके लंबित रहने तक, यदि कोई समायोजन होता है तो उसका प्रभाव वर्तमान में इन वित्तीय विवरणों पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

4. भंडार (वित्तीय विवरणों के नोट 7 का संदर्भ लें)

क) प्रबंधन ने कंपनी के शाखा कार्यालयों में पड़े ₹1,319.62 लाख के भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। भौतिक सत्यापन के अभाव में, ऐसे भंडार के अस्तित्व तथा यदि कोई हों तो समायोजनों का प्रभाव, जो इन वित्तीय विवरणों में दर्शाए

गए भंडार के मूल्यों पर आवश्यक हो सकते हैं, वर्तमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता।

- ख) प्रबंधन ने तैयार माल के मूल्यांकन में उन मदों के मूल्यों में किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया है जिन्हें बिक्री योग्य गुणवत्ता का नहीं (“एनएसक्यू”) माना गया है। वर्तमान में ऐसे मदों को भी अन्य बिक्री योग्य मदों की तरह लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो कम हो, उस पर दर्शाया गया है। इन वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए भंडार के मूल्यों पर किसी भी समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता।
- ग) प्रबंधन ने कच्चे माल के भंडार में केवल आयु के आधार पर धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए समायोजन किया है और वास्तविक उपयोग, समाप्ति तिथियों तथा स्थिति आदि पर कोई विचार नहीं किया है। परिणामस्वरूप, धीमी गति से चलने वाली, अप्रचलित तथा क्षतिग्रस्त कच्चे माल की वस्तुओं के कारण मूल्यों में किसी भी प्रकार के समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता।
- घ) कंपनी के स्टॉक अभिलेखों में तैयार माल की 130 वस्तुएँ हैं, जिनमें कुल नकारात्मक मात्रा 1,73,139.90 नग तथा नकारात्मक मूल्य रु. 80.93 लाख दर्शाए गए हैं। इन नकारात्मक मूल्यों का मिलान लंबित है और इनके कारण होने वाले किसी भी समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

5. व्यापार देयताएँ (वित्तीय विवरणों के नोट 20.1 का संदर्भ लें)

- क) अधिकांश लेनदारों से शेष राशियों की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है—रु. 5,750.74 लाख परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा संबंधित लेनदारों के साथ व्यापार देयताओं के शेष का मिलान नहीं किया गया है। यद्यपि कंपनी की राय में शेष राशियों की पुष्टि न मिलने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथापि इन वित्तीय विवरणों पर किसी भी समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता।

इन मामलों के परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ रहे कि बल्क ड्रग 7 एसीए परियोजना, व्यापार प्राप्य, अन्य चालू देनदारियाँ, चालू-अन्य वित्तीय संपत्तियाँ, अन्य चालू संपत्तियाँ, भंडार, व्यापार देय तथा लाभ और हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण बनाने वाले तत्वों के संबंध में किसी भी प्रकार के समायोजन आवश्यक पाए जाते या नहीं।

अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट में शामिल जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। चूंकि इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक की रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हैं और परिणामस्वरूप यह रिपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक गलत विवरण है या नहीं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन से जुड़े व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित हैं, ताकि ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, नकदी प्रवाह और इकट्टी में परिवर्तनों का सत्य और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करें। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का संधारण भी शामिल है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका और पहचाना जा सके; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान करना जो युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन और संधारण, जो प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हों, ताकि लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों और जो सत्य और निष्पक्ष दृश्य दें तथा किसी भी भौतिक गलत विवरण से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन कंपनी की निरंतर संचालन (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू

हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने तथा गोइंग कंसर्न आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो। निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारी जिम्मेदारी मानकों पर आधारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट करना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। हालांकि, हमारी रिपोर्ट के “अभिमत से अस्वीकरण के आधार” अनुभाग में वर्णित मामलों के कारण, हम इन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

हम अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

अन्य विषय

1. कंपनी के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का ऑडिट एक अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी दिनांक 18 जुलाई, 2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उन वित्तीय विवरणों पर बिना संशोधित अभिमत व्यक्त किया है।

अन्य विधिक और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) के अनुसार, हम संतग्रक-क में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहाँ तक लागू हो, एक विवरण प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों, उन पर की गई कार्यवाहियों तथा उनके कंपनी के वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पर विचार किया है, जिसका विवरण संतग्रक-ख में दिया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास किया है, परंतु इस रिपोर्ट के “मत अस्वीकरण के आधार” खंड में वर्णित सीमा तक, हम ऐसी सूचनाएँ प्राप्त करने में असमर्थ रहे।

ख) इस रिपोर्ट के “मत अस्वीकरण के आधार” खंड में वर्णित विषयों के संभावित प्रभावों के कारण, तथा नीचे अनुच्छेद (i) (vi) में कंपनियों (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 (संशोधित) (“नियम”) के नियम II(g) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर उल्लिखित विषयों को देखते हुए, हम यह कहने में असमर्थ हैं कि कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा समुचित लेखा-पुस्तकें रखी गई हैं या नहीं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट के “मत अस्वीकरण के आधार” खंड में वर्णित विषयों के साथ पढ़े जाने पर, इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित), नकद प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, लेखा-पुस्तकों से मेल खाते हैं।

घ) इस रिपोर्ट के “मत अस्वीकरण के आधार” खंड में वर्णित विषयों के संभावित प्रभावों के कारण, हम यह कहने में असमर्थ हैं कि उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं या नहीं।

ड) इस रिपोर्ट के “मत अस्वीकरण के आधार” खंड में वर्णित विषय, हमारे मत में, कंपनी के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

च) सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी को निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों से भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जीएसआर-463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के माध्यम से छूट दी गई है।

छ) लेखों के संधारण तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के संबंध में, अधिनियम की धारा 143(3)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर ऊपर अनुच्छेद 2(बी) में हमारी टिप्पणियों तथा नियमों के नियम II(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे अनुच्छेद (i)(vi) में दी गई टिप्पणियों का संदर्भ लिया जाता है।

ज) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, “संलग्नक-ग” में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें, जिसमें उसमें उल्लिखित कारणों के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अस्वीकरण राय व्यक्त की गई है।

झ) कंपनी अधिनियम (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (संशोधित) के अनुसार लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार:

i. कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणों में लंबित वादों के प्रभाव को अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रकट किया है (वित्तीय विवरणों के नोट 33क(i) देखें), सिवाय उस सीमा तक जहाँ दवाओं की गुणवत्ता, चिकित्सा किट की आपूर्ति आदि से संबंधित मुद्दों पर कंपनी और उसके अधिकारियों/पूर्व अधिकारियों के विरुद्ध अनेक दीवानी और आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, जिनका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव वर्तमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता।

ii. कंपनी को 31 मार्च, 2024 को लागू कानून या लेखा मानकों के अंतर्गत किसी प्रावधान को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानियाँ नहीं हैं। 31 मार्च, 2024 को कंपनी के पास कोई डेरिवेटिव अनुबंध नहीं थे।

iii. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किए जाने के लिए कोई राशि देय नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन किया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 48(vii) में प्रकटीकरण किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(यों), जिसमें विदेशी इकाइयाँ (“मध्यस्थ”) भी शामिल हैं, को या उनमें कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधियों से, शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या किसी भी प्रकार की निधियों से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी

द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों (“अंतिम लाभार्थी”) को ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई भी गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने यह प्रतिपादन किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 48(viii) में प्रकट किया गया है, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या इकाई से, जिनमें विदेशी संस्थाएँ (“फंडिंग पार्टियाँ”) भी शामिल हैं, कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों (“अंतिम लाभार्थी”) को ऋण देगी या निवेश करेगी, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा या समान व्यवस्था प्रदान करेगी; और

(ग) ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (क) और (ख) के अंतर्गत किए गए प्रतिपादन में कोई महत्वपूर्ण त्रुटिपूर्ण कथन है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित और भुगतान किया है, जो अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

vi. हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जाँच भी शामिल थीं, कंपनी ने अपनी लेखा पुस्तकों के रख-रखाव के लिए ऐसा लेखांकन सॉफ्टवेयर उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है। तथापि, उक्त सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा वर्ष भर सभी लेन-देन के लिए संचालित नहीं की गई, क्योंकि विशिष्ट पहुँच वाले कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा संशोधनों के मामलों में इसका रख-रखाव नहीं किया गया तथा सीधे डेटाबेस में परिवर्तन किए गए। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या ऑडिट ट्रेल से छेड़छाड़ की गई थी या नहीं, इस पर हम कोई टिप्पणी करें।



ब) एक सरकारी कंपनी होने के कारण, अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, जैसा कि भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार है।

ट) कंपनी के पास अधिनियम की धारा 149 तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश, 2010 के तहत निर्धारित अनुसार बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं है।

कृते लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 011168S
गौरव जशवंत शाह
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 229420
यूडीआईएन: 24229420BKGTYE6383

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 18 दिसंबर, 2024

संलग्नक - क : स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समान तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए है।

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा हमारे ऑडिट के दौरान हमारे द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर, और अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण, जिसमें मात्रात्मक विवरण और स्थिति शामिल है, दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।
 - (ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।
 - ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, जो हमारे मत में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का एक हिस्सा प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया और ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।
 - ग) सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते विधिवत पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित हैं) कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।
 - घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों सहित) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
 - ड) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निषेधात्मक बेनामी संपत्ति लेन-देन अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है और न ही लंबित है, और इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि क्या कंपनी ने वित्तीय विवरणों में विवरणों का उचित रूप से प्रकटीकरण किया है।
- ii. (क) वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन (कंपनी की शाखाओं में रखे गए स्टॉक और ट्रांजिट में माल को छोड़कर) किया गया है और हमारे मत में ऐसे सत्यापन का कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। भंडार के भौतिक सत्यापन में पुस्तकीय अभिलेखों की तुलना में पाई गई विसंगतियां प्रत्येक वर्ग के भंडार के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक नहीं थीं। प्रबंधन ने कंपनी के शाखा कार्यालयों में रखे गए भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया है और इसलिए कवरेज उपयुक्त नहीं है तथा इस संबंध में यदि कोई विसंगति हो तो उस पर रिपोर्टिंग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
- (ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की मौजूदा कार्यशील पूंजी सीमाओं का नवीनीकरण किया है। कंपनी ने ऐसे बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या विवरण दाखिल किए हैं, जो नीचे दिए अनुसार बिना अंकेक्षित लेखा पुस्तकों से मेल नहीं खाते हैं (वित्तीय विवरणों के नोट 19 को भी देखें)।

बैंक का नाम	कुल स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाएँ (रुपये लाख में)	सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत वर्तमान संपत्ति की प्रकृति	समाप्त तिमाही	त्रैमासिक रिटर्न/ विवरण के अनुसार प्रकट की गई राशि (रु. लाखों में)	लेखा पुस्तकों के अनुसार राशि (रु. लाखों में)	अंतर (रु. लाखों में)	अंतर के कारण
बैंक ऑफ बडौदा एवं एसबीआई	550	इनवेंटरी और बुक डेब्ट्स की पार्ल-पासू आधार पर।	जून' 23	19,621	22,928	3,307	कवर अवधि के बाद बैंकों को दी गई अनुमानित राशि
बैंक ऑफ बडौदा एवं एसबीआई	550	इनवेंटरी और बुक डेब्ट्स की पार्ल-पासू आधार पर।	सितंबर' 23	16,564	21,623	5,059	कवर अवधि के बाद बैंकों को दी गई अनुमानित राशि
बैंक ऑफ बडौदा एवं एसबीआई	550	इनवेंटरी और बुक डेब्ट्स की पार्ल-पासू आधार पर।	दिसंबर' 23	20,678	23,616	2,938	कवर अवधि के बाद बैंकों को दी गई अनुमानित राशि
बैंक ऑफ बडौदा एवं एसबीआई	550	इनवेंटरी और बुक डेब्ट्स की पार्ल-पासू आधार पर।	मार्च' 24	18,147	19,027	880	कवर अवधि के बाद बैंकों को दी गई अनुमानित राशि

- iii. कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- iv. कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत आने वाली पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- v. कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों, जहां लागू हो, के तहत जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- vi. हमने मोटे तौर पर अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा 1 के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों की समीक्षा की है, और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि ये सटीक हैं या पूर्ण हैं।

- vii. (क) हमारी राय में, कंपनी सामान और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, उचित अधिकारियों के पास जमा करने में आम तौर पर नियमित है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई वैधानिक बकाया नहीं था।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया का कोई बकाया नहीं था, जो कि निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है:

कानून का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख रूपये)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
वैट अधिनियम- बिहार	बिक्री कर के प्रति देयता गेज की छूट प्राप्त बिक्री के संबंध में विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील में लंबित है	7.33	वित्त वर्ष 1999-2000	जेसीसीटी, पटना
सीएसटी एक्ट- बिहार	बिक्री कर के प्रति देयता गेज की छूट प्राप्त बिक्री के संबंध में विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील में लंबित है	0.19	वित्त वर्ष 1999-2000	जेसीसीटी, पटना
वैट अधिनियम- बिहार	गेज की छूट प्राप्त बिक्री के संबंध में विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील में लंबित बिक्री कर के प्रति दायित्व	7.14	वित्त वर्ष 2000-2001	जेसीसीटी, पटना
सीएसटी एक्ट- बिहार	गेज की छूट प्राप्त बिक्री के संबंध में विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील में लंबित बिक्री कर के प्रति दायित्व	3.73	वित्त वर्ष 2000-2001	जेसीसीटी, पटना
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस क्रेडिट अस्वीकृत	4.12	वित्त वर्ष 2016-17	सीआईटी अपील

- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, खाते की किताबों में पहले से कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।
- ix. क) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- ख) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है या अन्य ऋणदाता।
- ग) कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है और 1 अप्रैल 2023 तक पिछले वर्षों में प्राप्त सावधि ऋण का कोई अप्रयुक्त शेष नहीं था। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- ड) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(ड), (ix)(च) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- x. क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xi. क) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी के प्रबंधन की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं देखा गया है या रिपोर्ट किया गया है। हालाँकि, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तारीख की रिपोर्ट के “राय के अस्वीकरण का आधार” खंड के पैराग्राफ 1 में संदर्भित मामलों को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास यह विश्वास करने का कारण है कि कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि से संबंधित धोखाधड़ी का अपराध किया गया है। तदनुसार, हमने कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 143 (12) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को मामले की सूचना दी है। बोर्ड द्वारा विस्तृत जांच के परिणाम लंबित होने तक, इसमें शामिल रकम का पता नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के “राय के अस्वीकरण का आधार” अनुभाग के पैराग्राफ एल (ख) और एल (ड) भी देखें।
- ख) हमने 25 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म संख्या एडीटी-4 में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत एक रिपोर्ट दायर की है।
- ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, चूंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए कंपनी ने व्हिसिल-ब्लोअर रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- xiv. क) हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है इसका व्यवसाय।
ख) लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया।
- xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xvi. क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय/आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ग) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (घ) कंपनी किसी भी समूह का हिस्सा नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है)। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।
- xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- xix. वित्तीय अनुपात, उग्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे एक अवधि के भीतर देय होते हैं। तुलन पत्र की तारीख से वर्ष. हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियां कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने पर चुकाई जाएंगी।
- xx. तुलन पत्र की तारीख के अनुसार, कंपनी के पास अधिनियम की धारा 135(5) के तहत कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xx) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xxi. आदेश के पैराग्राफ 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है बयान. तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त पैराग्राफ के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते **लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी**
 चार्टरित लेखाकार
 आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 011168S
गौरव जशवंत शाह
 पार्टनर
 सदस्यता संख्या: 229420
 यूडीआईएन: 24229420BKGTYE6383

स्थान: बेंगलुरु
 दिनांक: 18 दिसंबर, 2024

संलग्नक – ख: स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित।

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 5 के तहत आवश्यक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों पर रिपोर्ट

क्र.सं.	दिशा-निर्देश	प्रतिक्रिया
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहिताथों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की एक प्रणाली है। की गई ऑडिट प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है। कंपनी के खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा विशिष्ट पहुंच वाले कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा संशोधनों के मामले में और प्रत्यक्ष डेटाबेस परिवर्तनों के लिए बनाए नहीं रखी जाती है।
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि के संबंध में ऋण/ऋण/ब्याज आदि के पुनर्गठन या छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	लागू नहीं है क्योंकि कंपनी को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की किसी विशिष्ट योजना से न तो कोई राशि प्राप्त हुई है और न ही कोई राशि प्राप्त होने योग्य है।

कृते लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी
 चार्टरित लेखाकार
 आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 011168S
 गौरव जशवंत शाह
 पार्टनर
 सदस्यता संख्या: 229420
 यूडीआईएन: 24229420BKGTYE6383

स्थान: बेंगलुरु
 दिनांक: 18 दिसंबर, 2024

संलग्नक – ग: स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 3(ज) में संदर्भित।

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हम 31 मार्च, 2024 तक कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (“कंपनी”) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के ऑडिट में लगे हुए थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (“मार्गदर्शन नोट”) में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो कंपनी के पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से नीतियां, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हम आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मार्गदर्शन नोट और ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार ऑडिट में लगे हुए थे, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सम दिनांक की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के “राय के अस्वीकरण का आधार” अनुभाग में वर्णित मामलों के कारण, हम वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

राय का अस्वीकरण

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तारीख की रिपोर्ट के “राय के अस्वीकरण का आधार” अनुभाग में वर्णित मामलों के महत्व के कारण, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित



किए हैं और क्या वे 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। तदनुसार, हम वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

व्याख्यात्मक अनुच्छेद

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर दी गई राय के अस्वीकरण पर विचार किया है और इस रिपोर्ट ने कंपनी के उक्त वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण जारी किया है।

कृते लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 011168S
गौरव जशवंत शाह
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 229420
यूडीआईएन: 24229420BKGTYE6383

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 18 दिसंबर, 2024

वित्तीय विवरण 2023-24 पर वैधानिक लेखापरीक्षा प्रश्न पर प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं.	वैधानिक लेखापरीक्षा प्रश्न	प्रबंधन उत्तर
1.क	<p>कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने वर्ष 2021 में 1,440 मीट्रिक टन/वर्ष की क्षमता के लिए बल्क ड्रग 7 एसीए के निर्माण के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 275 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी थी और उस आधार पर पूंजीगत व्यय किया था। ऐसी मंजूरी सार्वजनिक उद्यम विभाग के 5 अगस्त, 2005 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन थी, जिसने कंपनी को केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 500 करोड़ रुपये तक या कंपनी के निवल मूल्य के बराबर, जो भी कम हो, नई परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय करने की अनुमति दी थी। कंपनी की कुल संपत्ति केवल रु. जिस तारीख को परियोजना को बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई थी, उस तारीख तक 230 करोड़ रुपये थे, जिसके लिए भारत सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी। इसलिए परियोजना की शुरुआत और उस पर व्यय करना बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।</p> <p>इसके अलावा, परियोजना की क्षमता को मूल 1,440 मीट्रिक टन से घटाकर 1,000 मीट्रिक टन कर दिया गया, जाहिरा तौर पर बोर्ड को सूचित किए बिना या औपचारिक अनुमोदन के बिना, प्रारंभिक परियोजना विनिर्देशों और लागत अनुमानों पर सवाल उठाया गया। क्षमता में उपरोक्त कमी का प्रभाव, यदि कोई हो, पहले से ही खर्च की गई लागतों, अनुमानित प्रतिबद्धताओं और समग्र अनुमानित परियोजना लागत पर वर्तमान में पता नहीं लगाया गया है।</p>	<p>परियोजना के शुरू होने से पहले, कंपनी ने 8 जुलाई 2020 को आयोजित समीक्षा बैठक में फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी), भारत सरकार के समक्ष और 8 दिसंबर 2020 को आयोजित 174वीं बैठक में बोर्ड के समक्ष परियोजना की जानकारी रखी थी। इस प्रकार, परियोजना के शुरू होने से पहले परियोजना की जानकारी सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखी गई थी।</p> <p>इसके अलावा, 288.75 करोड़ रुपये की लागत पर परियोजना शुरू करने की मंजूरी डीओपी से पत्र संख्या 3-35011/1/2023-पीएसयू दिनांक 13 मार्च 2024 के माध्यम से प्राप्त की गई है।</p> <p>इसलिए, अल्ट्रा वायर्स अब लागू नहीं है।</p> <p>क्षमता को 1,440 मीट्रिक टन से घटाकर 1,000 मीट्रिक टन करना, पीएलआई योजना के लिए नोडल एजेंसी, आईएफसीआई से प्राप्त पीएलआई अनुमोदन के अनुरूप था, पत्र संख्या के माध्यम से। IFCI/CASD/DoP/PLI-210201013 दिनांक 1.2.2021 और 31.03.2021 को आयोजित 175वीं बैठक में बोर्ड को इसकी विधिवत जानकारी दी गई। 1440 मीट्रिक टन के लिए तकनीकी-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। पीएलआई के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाना था और ऑनलाइन सिस्टम में क्षमता को 1000 मीट्रिक टन के गुणकों में भरने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, केएपीएल ने 2000 मीट्रिक टन के लिए आवेदन किया। हालाँकि, बाद में आईएफसीआई के साथ चर्चा में पीएलआई आवेदन की क्षमता को घटाकर 1000 मीट्रिक टन कर दिया गया।</p>
1.ख	<p>कंपनी ने, मार्च 2024 के महीने में, 288.75 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत (275 करोड़ रुपये और अनुमानित ब्याज लागत, मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू होने तक 13.75 करोड़ रुपये) पर परियोजना स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा उक्त अनुमोदन के माध्यम से, कंपनी को 7 एसीए के समान संयंत्र से डी-7 एसीए का उत्पादन करने और डी-7 एसीए के लिए एक पूरक परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने की सलाह दी गई है, जो लंबित है।</p> <p>हालाँकि, हमने नोट किया है कि 7 एसीए परियोजना के मामले में, कंपनी द्वारा रुपये की संशोधित अनुमानित परियोजना लागत के आधार पर खरीद आदेश/कार्य आदेश जारी किए गए हैं। बोर्ड की जानकारी और सरकार की मंजूरी के बिना 436 करोड़ रु. यह भी ध्यान दिया गया है कि खरीद/कार्यों की अनुमानित लागत परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में अनुमानित राशि से अधिक पाई गई है।</p>	<p>कंपनी पूरी लगन से सरकार का पालन करती है। निर्देश 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय पर डी-7 एसीए की अतिरिक्त परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव दिनांक 09.5.2024 को 188वीं बैठक में बोर्ड के सामने रखा गया था।</p> <p>बोर्ड को दिनांक 09.5.2024 की 188वीं बोर्ड बैठक में संशोधित लागत से अवगत कराया गया।</p> <p>पीओ अनुमानों पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तय की गई कीमत के आधार पर दिए जाते हैं। टेक्नो व्यवहार्यता रिपोर्ट दिनांक 08.12.2020 को बोर्ड की मंजूरी से पहले तैयार की गई थी और लागत संशोधन दिनांक 09.5.2024 को 188वीं बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। 4 साल बीतने के साथ लागत में बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा, प्रारंभिक अनुमान में अंतर्निहित सहिष्णुता /- 50% थी जो अनुमान के आत्मविश्वास स्तर और उसकी विश्वसनीयता को इंगित करती है। इसके अलावा, मेसर्स जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, एक्जिम बैंक (भारत सरकार की कंपनी) की एक शाखा ने अपने दिनांक 29.8.2024 के पत्र के माध्यम से पुष्टि की है कि पीओ को प्रचलित बाजार दरों के अनुसार उचित लागत पर रखा गया है।</p>

क्र.सं.	वैधानिक लेखापरीक्षा प्रश्न	प्रबंधन उत्तर
	<p>बढ़ी हुई परियोजना लागत को ध्यान में रखते हुए, परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन के स्रोतों को अंतिम रूप देना आज तक लंबित है। आवश्यक अनुमोदन और स्रोतों के बिना कंपनी के धन की प्रतिबद्धता कंपनी के प्रबंधन की प्रत्ययी जिम्मेदारियों का घोर उल्लंघन है।</p> <p>बोर्ड ने संशोधित परियोजना लागत पर विस्तृत जांच की मांग की है और इसके नतीजे का इंतजार है। जांच के परिणाम लंबित होने तक, हमें सूचित किया गया है कि बोर्ड ने कंपनी द्वारा पहले ही किए गए व्यय और पहले से दिए गए आदेशों की पुष्टि नहीं की है।</p>	<p>बढ़ी हुई परियोजना लागत (अर्थात एक्जिम बैंक से सावधि ऋण) के लिए धन के परिकल्पित स्रोत की जानकारी बोर्ड को इसकी 193वीं बैठक दिनांक 05.10.2024 में दी गई थी। टर्म लोन प्राप्त करने के लिए हमारी निविदा के विरुद्ध, एदखच बैंक ने अपने पत्र दिनांक 09.9.2024 के माध्यम से 360 करोड़ रुपये का टर्म लोन प्रदान करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना दी। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बढ़ी हुई परियोजना लागत के अनुमोदन पर कंपनी ने यह ऋण प्राप्त करने की परिकल्पना की है।</p> <p>जैसा कि बोर्ड की इच्छा थी, मेसर्स जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, एक्जिम बैंक (भारत सरकार की कंपनी) की एक शाखा को संशोधित परियोजना लागत 275 से 436 करोड़ रुपये के मद्देनजर इसके वित्तीय, तकनीकी और व्यवहार्यता पहलुओं पर परियोजना के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया था। इस मूल्यांकन का परिणाम बोर्ड की 190वीं बैठक दिनांक 17.8.2024 में प्रस्तुत किया गया। जीपीसीएल रिपोर्ट के निष्कर्ष (पेज 23) के अनुसार वित्तीय आंकड़े आम तौर पर सुझाव देते हैं कि परियोजना वित्तीय रूप से व्यवहार्य है।</p>
1.ग	<p>बोर्ड ने एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा 7 एसीए परियोजना में आंतरिक ऑडिट/जांच शुरू की है। सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट में कई उल्लंघनों/अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, मामले को जांच के लिए और कंपनी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने और/या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ("सीवीओ") को भेजा गया है। सीवीओ की प्रतिक्रिया के अनुसार, की गई अनियमितताएं श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं- घोर या जानबूझकर की गई लापरवाही; निर्णय लेने में लापरवाही; प्रणालियों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन; आवश्यकता से अधिक विवेक का प्रयोग, जहां कोई प्रत्यक्ष सार्वजनिक हित स्पष्ट न हो; नियंत्रण प्राधिकारी/वरिष्ठों को आवश्यक लेनदेन और मुद्दों के बारे में समय पर सूचित रखने में विफलता; किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अनुचित हानि या सहवर्ती लाभ का कारण/एक पार्टी या पार्टियाँ; और किसी मामले के निपटारे में कोई अनुचित/अनुचित देरी। सीवीओ ने अन्य लोगों के अलावा कंपनी के कुछ अधिकारियों पर उल्लंघन/अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश की है।</p> <p>प्रारंभिक जांच के आधार पर, कंपनी ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पहचाने गए उल्लंघनों/अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, सीवीओ ने कंपनी को इस बात की जांच करने का सुझाव दिया है कि क्या इस मामले में परिस्थितियां संबंधित अधिकारियों की ईमानदारी के बारे में संदेह पैदा करती हैं, जिसे सीवीओ की मदद से अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा तय करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कंपनी की ओर से आगे की कार्रवाई लंबित है।</p>	<p>सीवीओ ने 23 जुलाई 2024 को लिखे अपने पत्र में कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि गलत व्याख्या और गलत समझ के कारण हुआ है। इसमें शामिल अधिकारियों की निष्ठा पर संदेह करने के लिए कोई सबूत या बाध्यकारी परिस्थितियाँ नहीं हैं।</p> <p>उपरोक्त के मद्देनजर वैधानिक लेखा परीक्षकों के तर्क गलत हैं और सीवीओ निष्कर्षों की गलत व्याख्या के कारण हैं।</p> <p>इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, सरकार का सतर्कता अनुभाग। भारत सरकार ने दिनांक 27 मई 2025 के पत्र के माध्यम से पाया है कि इसमें कोई सतर्कता पहलू नहीं है और ये पूरी तरह से प्रशासनिक चूक हैं।</p>

क्र.सं.	वैधानिक लेखापरीक्षा प्रश्न	प्रबंधन उत्तर
1.घ	परियोजना पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट ने 7 एसीए के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता को अंतिम रूप देने से पहले ही प्रमुख प्रक्रिया उपकरणों के लिए खरीद आदेश जारी करने के बारे में चिंता जताई, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता के लिए संभावित जोखिम पैदा हो गया। हालाँकि परियोजना जुलाई/अगस्त 2022 के आसपास शुरू हुई, प्रौद्योगिकी प्रदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया सितंबर 2024 में ही शुरू की गई थी।	प्रौद्योगिकी प्रदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया 23.7.2022 को फ्लोटिंग टेंडर द्वारा शुरू की गई थी (और सितंबर 2024 में नहीं, जैसा कि ऑडिटर ने तर्क दिया था)। चूंकि अपस्ट्रीम के साथ-साथ उपयोगिता उपकरणों का मूल डिजाइन मानक है, इसलिए परियोजना के पूरा होने के समय को अनुकूलित करने के लिए इसे कार्यान्वयन के लिए लिया गया।
1.ङ	परियोजना स्थल के हमारे दौर के आधार पर, हमने पाया है कि वर्तमान में सभी परियोजना कार्य रुके हुए हैं। इसके अलावा हम समझते हैं कि 7 एसीए परियोजना के संबंध में पहले की गई कार्रवाइयों पर बोर्ड के अनुसमर्थन के अभाव में परियोजना को जनवरी 2024 से रोक कर रखा गया है। इससे परियोजना की भविष्य की संभावनाओं पर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा 7 एसीए प्रोजेक्ट पर अतीत में की गई कार्रवाइयों का अनुसमर्थन लंबित है और जांच के परिणाम और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाने हैं जैसा कि ऊपर पैरा बी में बताया गया है, इन वित्तीय विवरणों में परिलक्षित परियोजना पूंजीगत कार्य-प्रगति की मात्रा में समायोजन, यदि कोई हो और ग्रहण की गई प्रतिबद्धताओं के कारण निहितार्थ, यदि कोई हो, वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, प्रबंधन ने 7 एसीए परियोजना के लिए खरीदी गई और पूंजीगत कार्य प्रगति पर पड़ी संपत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया है।	बोर्ड ने दिनांक 05.10.2024 को अपनी 193वीं बैठक में किसी अन्य पीएलआई आवेदकों की संभावना तलाशने की इच्छा जताई, जो जैसा है-जहां है के आधार पर परियोजना को संभालने के लिए तैयार हैं। तदनुसार, दिनांक 14.11.2024 के पत्र के माध्यम से डीओपी से अनापत्ति-प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था और रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) 16.11.2024 को जारी की गई थी। ईओआई के लिए चार प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं जिनकी सूचना बोर्ड को उनकी दिनांक 09.12.2024 की बैठक में दी गई। ईओआई प्रक्रिया के सफल समापन पर ही परियोजना को उपयुक्त ईओआई आवेदक को हस्तांतरित किया जा सकता है। ईओआई की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। परियोजना के पूंजीकरण पर परिसंपत्ति सत्यापन किया जा सकता है/किया जाएगा।
1.च	जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 21 में बताया गया है, 7एसीए परियोजना के कारण पूंजीगत व्यय के लिए लेनदार पुष्टि के अधीन हैं। परिणामस्वरूप, इन वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के प्रति देनदारियां सटीक और पूर्ण नहीं हो सकती हैं। तदनुसार, बल्क ड्रग 7 एसीए परियोजना के कारण देनदारियों की राशि में समायोजन, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	7 एसीए परियोजना के लेनदारों का संबंधित लेनदार से प्राप्त पुष्टि के साथ मिलान कर लिया गया है और खाते की किताबों से मिलान किया जा रहा है।
1.छ	जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न उल्लंघनों/अनियमितताओं, चूक और तथ्यों को छिपाने के मद्देनजर, हमारे पास यह विश्वास करने का कारण है कि कंपनी पर व्यक्तिगत रूप से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि से संबंधित धोखाधड़ी का अपराध किया गया है। तदनुसार, हमारे संदेह के आधार पर, हमने कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 143 (12) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को मामले की सूचना दी है।	मामले की जांच सीवीओ, केएपीएल द्वारा की गई, जो भारत सरकार की भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। सीवीओ ने 23 जुलाई 2024 को लिखे अपने पत्र में कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि गलत व्याख्या और गलत समझ के कारण हुआ है। इसमें शामिल अधिकारियों की निष्ठा पर संदेह करने के लिए कोई सबूत या बाध्यकारी परिस्थितियां नहीं हैं। उपरोक्त के मद्देनजर वैधानिक लेखा परीक्षकों के तर्क गलत हैं और सीवीओ निष्कर्षों की गलत व्याख्या के कारण हैं। इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, सरकार का सतर्कता अनुभाग। भारत सरकार ने दिनांक 27 मई 2025 के पत्र के माध्यम से पाया है कि इसमें कोई सतर्कता पहलू नहीं है और ये पूरी तरह से प्रशासनिक चूक हैं।

क्र.सं.	वैधानिक लेखापरीक्षा प्रश्न	प्रबंधन उत्तर
2. क	अधिकांश ग्राहकों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है- रु. 10,823.34 लाख. परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा संबंधित ग्राहकों के साथ व्यापार प्राप्य शेष का समाधान नहीं किया गया है। हालाँकि कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि न मिलने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इन वित्तीय विवरणों पर समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	हमारे अधिकांश ग्राहक सरकारी एजेंसियां/संस्थान हैं। इन एजेंसियों से पुष्टि में समय लगता है और कुछ मामलों में उचित अनुवर्ती कार्रवाई के बाद भी पुष्टि नहीं मिलती है। हालाँकि, कंपनी के पास डेटा की पुष्टि करने और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार प्राप्तियों का पर्याप्त विवरण उपलब्ध है कि इसका वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। 31 मार्च 2024 को कुल विविध ऋणी रु. 12,025 लाख. इनमें से 7,061.42 लाख रुपये सरकारी संस्थानों के लिए थे. शेष 4,963.58 लाख रुपये गैर-सरकारी ग्राहकों के लिए थे।
2. ख	अन्य वर्तमान देनदारियों में रु. ग्राहकों से अग्रिम के रूप में 833.04 लाख, ज्यादातर बिक्री के कारण पार्टियों से प्राप्त राशि है। भुगतान करने वाले ग्राहकों का विवरण फिलहाल ज्ञात नहीं है। ऐसी प्राप्तियों का मिलान प्रक्रियाधीन है और इसलिए भुगतान करने वाले संबंधित पक्षों की पहचान फिलहाल लंबित है।	ईएसआईसी, रक्षा, आयुष मिशन, अन्य सरकारी संस्थान जैसे ग्राहक संबंधित चालान का विवरण प्रदान किए बिना पूरे भारत में केंद्रीकृत खजाने से भुगतान करते हैं। एक प्रथा के रूप में देश भर में फैली हमारी शाखाएँ इन चालान-वार विवरणों को एकत्र करती हैं, जहाँ बाद में समाधान किया जाता है। अतः सुलह एक सतत प्रक्रिया है जो एक समय में नहीं की जा सकती।
3. क	सरकारी विभागों में जमा राशि और सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष क्रमशः पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। इसके लंबित रहने तक, इन वित्तीय विवरणों पर समायोजनों का प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	हमारे मामले में, सरकारी विभागों के पास जमा और सरकारी अधिकारियों के पास बेसकॉम, हेसकॉम, सरकारी संस्थानों के पास ईएमडी और गैस कनेक्शन के लिए गेल के पास जमा आदि एजेंसियों से संबंधित है। आम तौर पर ईएमडी के अलावा अन्य से संबंधित पुष्टि प्राप्त की जाती है जबकि ईएमडी के विवरण में समय लगता है या सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। 31.3.2024 तक 129.94 लाख रुपये की पुष्टि कुल 346.37 लाख रुपये के सापेक्ष प्राप्त हुए।
4. क	प्रबंधन ने कंपनी के शाखा कार्यालयों में पड़े कुल 1,319.62 लाख रुपये के माल का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। भौतिक सत्यापन के अभाव में, ऐसी सूची का अस्तित्व और इन वित्तीय विवरणों में परिलक्षित सूची के मूल्यों के लिए आवश्यक समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	अवलोकन को नोट कर लिया गया है और उसका अनुपालन किया जा रहा है। 31.03.2024 तक, कुल इन्वेंट्री का 81% (यानी 6,624 लाख रुपये की कुल इन्वेंट्री के मुकाबले 5,304 लाख रुपये की इन्वेंट्री) भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था।
4. ख	प्रबंधन ने, तैयार माल के मूल्यांकन में, बिक्री योग्य गुणवत्ता नहीं ("एनएसक्यू") के रूप में पहचानी गई वस्तुओं के मूल्यों में किसी भी समायोजन पर विचार नहीं किया है। वर्तमान में ऐसी वस्तुओं को इन्वेंट्री में अन्य बिक्री योग्य वस्तुओं की तरह कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय विवरणों में परिलक्षित इन्वेंट्री के मूल्यों पर समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	प्रक्रिया के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन विभाग द्वारा उचित जांच के बाद प्रबंधन की मंजूरी के बाद ही इन्वेंट्री को एनएसक्यू के रूप में लिया जाता है। 31.03.2024 तक, केवल 2.32 लाख रुपये की इन्वेंट्री को क्यूए और प्रबंधन अनुमोदन के लिए लंबित एनएसक्यू माना गया था; और तदनुसार, खातों की पुस्तकों में एनएसक्यू इन्वेंट्री के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।
4. ग	प्रबंधन ने कच्चे माल की सूची में धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए केवल उग्र बढ़ने के आधार पर और वास्तविक उपयोग, समाप्ति तिथियों और स्थिति आदि पर कोई विचार किए बिना समायोजन किया है, परिणामस्वरूप, धीमी गति से चलने वाली, अप्रचलित और क्षतिग्रस्त सूची की वस्तुओं के कारण कच्चे माल के मूल्यों में समायोजन, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं को तय करने के लिए उग्र बढ़ने को मानदंड के रूप में उपयोग करने की प्रचलित प्रथा निर्णय में स्थिरता प्रदान करती है और इंड एस 2 के अनुरूप है।

क्र.सं.	वैधानिक लेखापरीक्षा प्रश्न	प्रबंधन उत्तर
4. घ	कंपनी के स्टॉक रिकॉर्ड में तैयार माल की 130 वस्तुएं शामिल हैं, जो 1,73,139.90 की कुल नकारात्मक मात्रा और रुपये के नकारात्मक मूल्य को दर्शाती हैं। 80.93 लाख. इन नकारात्मक मूल्यों का समाधान लंबित है और इसके कारण समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है।	इन इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन वैधानिक लेखा परीक्षक की उपस्थिति में किया गया और स्टॉक रिकॉर्ड के साथ इन्वेंट्री का मिलान किया गया।
5. क	अधिकांश लेनदारों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है-रु. 5,750.74 लाख. परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा संबंधित लेनदारों के साथ व्यापार देय शेष का समाधान नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी की राय में शेष राशि की पुष्टि न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इन वित्तीय विवरणों पर समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
	अन्य मामले	
3.ख	अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के “राय के अस्वीकरण का आधार” खंड में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों के कारण, कंपनी (लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) (नियम) के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे दिए गए पैराग्राफ (i) (vi) में बताए गए मामलों को ध्यान में रखते हुए, हम यह बताने में असमर्थ हैं कि कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं या नहीं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128(1) और अन्य लागू कानूनों के अनुसार उचित खातों का रखरखाव किया जाता है।
3.घ	इस रिपोर्ट के “राय के अस्वीकरण का आधार” खंड में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों के कारण, हम यह बताने में असमर्थ हैं कि उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं या नहीं।	कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।
3.i(i)	कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है (नोट 33ए देखें)। (i) वित्तीय विवरणों के लिए) आपूर्ति की गई दवाओं की गुणवत्ता, चिकित्सा किटों की आपूर्ति आदि से संबंधित मुद्दों पर कंपनी और उसके अधिकारियों/पूर्व अधिकारियों पर कई नागरिक और आपराधिक मुकदमों को छोड़कर, जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	कंपनी भारतीय लेखांकन मानकों/मानदंडों के अनुसार सभी लागू कानूनी मामलों के लिए उपयुक्त प्रावधान/खुलासे कर रही है।
3.i(vi)	हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है। हालांकि, विशिष्ट पहुंच वाले कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा संशोधनों के मामले में और प्रत्यक्ष डेटाबेस परिवर्तनों के मामले में इसके गैर-रखरखाव के मद्देनजर सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए उपरोक्त सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा पूरे वर्ष संचालित नहीं की गई है। इसलिए इस पर हमारी टिप्पणी का सवाल ही नहीं उठता कि क्या ऑडिट ट्रेल के साथ छेड़छाड़ की गई थी।	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 31.03.2022 की अधिसूचना के माध्यम से ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया। भले ही पहले के लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे हमारी कंपनी में वित्त वर्ष 2023-24 में ही सफलतापूर्वक लागू किया गया था। प्रारंभिक दो महीनों में कुछ लेनदेन को छोड़कर पूरे वर्ष अप्रैल और मई 2023 ऑडिट ट्रेल बनाए रखा गया था।

क्र.सं.	वैधानिक लेखापरीक्षा प्रश्न	प्रबंधन उत्तर
	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ए	
II (ख)	वर्ष के दौरान कंपनी ने रुपये से अधिक की मौजूदा कार्यशील पूंजी सीमा को नवीनीकृत किया है। चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रु. कंपनी ने ऐसे बैंकों के साथ त्रैमासिक रिटर्न या विवरण दाखिल किए हैं, जो नीचे दिए गए अनऑडिटेड खाते की किताबों से सहमत नहीं हैं (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 19 भी देखें)।	बैंक को जमा किया गया त्रैमासिक रिटर्न आम तौर पर कंपनी के खाते की किताबों से भिन्न होता है क्योंकि बैंक को जमा किए गए विविध देनदारों के संबंध में आंकड़ों में एक वर्ष से अधिक पुरानी राशि शामिल नहीं होती है।

कृते कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

रमेश बी

सहा. महाप्रबंधक - वित्त

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और
कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक)
नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार

कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

1. मैंने सीआईएन: U24231KA1981GOI004145 (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा) के साथ कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए एक उचित आधार मिला, जिससे मुझे उस पर अपनी राय मिली।
2. कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के मेरे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, और अनुबंध के रूप में संलग्न मेरे अलग पत्र के अधीन, मैं इसके द्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा, तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं।
3. मैंने बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के प्रावधानों के अनुसार:
 - (क) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
 - (ख) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके तहत बनाए गए नियम;
 - (ग) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
 - (घ) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार;
 - (ङ) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियम;
 - (च) फार्मास्युटिकल उत्पादों के विनिर्माण, परीक्षण और समग्र गुणवत्ता नियंत्रण के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अच्छा विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी) दस्तावेज़ीकरण और प्रमाणन।
 - (छ) औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियम और
 - (ज) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995
 - (झ) पेटेंट अधिनियम, 1970
 - (ञ) ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999
 - (ट) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010.

4. मैंने सचिवीय मानकों अर्थात् एसएस-1 और एसएस-2 के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठक पर जारी किए गए।
5. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे पैराग्राफ 8 में उल्लिखित योग्यताओं के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
6. मैंने कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि ये वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।
- 7.1 मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, -
 - (क) वर्ष के दौरान निदेशकों को बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए उचित अग्रिम नोटिस जारी किए गए थे; ऐसे नोटिसों के साथ संबंधित बैठकों के एजेंडा आइटम और ड्राफ्ट मिनट्स पर विस्तृत नोट्स भी शामिल होते हैं; कंपनी बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए निदेशकों को एजेंडा आइटम पर आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रणाली अपनाती है। बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को मिनट के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।
 - (ख) कंपनी ने सदस्यों और निदेशकों की बैठकें आयोजित करने और आयोजित करने में उचित बोर्ड प्रक्रियाओं का पालन किया; कंपनी ने सदस्यों की सामान्य बैठकों की कार्यवाही, बोर्ड और निदेशकों की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड करने के लिए उचित पुस्तकें बनाए रखी हैं; ई-वोटिंग द्वारा पारित प्रस्ताव, यदि कोई हो, सामान्य बैठक की कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं।
 - (ग) मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।
- 7.2 जो नीचे पैराग्राफ 8 में उल्लिखित योग्यताओं के अधीन है। कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, ताकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए;
- 7.3 कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसका कोई उदाहरण नहीं था:
 - (i) शेयरों या डिबेंचर या स्वेट इक्विटी का सार्वजनिक, तरजीही मुद्दा;
 - (ii) प्रतिभूतियों का मोचन, पुनर्खरीद;
 - (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय;
 - (iv) विलय, एकीकरण, पुनर्निर्माण आदि;
 - (v) विदेशी तकनीकी सहयोग।

8. उठाए गए बिन्दु:

- 8.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173, सचिवीय मानक - एसएस-1 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, यहां तक कि कैलेंडर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित लगातार बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल एक अवसर पर तीन महीने से अधिक था।



- 8.2 वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने एक भी स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति को नहीं भरा और उसकी नियुक्ति नहीं की। इसलिए, कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यक बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकी।
- 8.3 दो स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी वैध रूप से ऑडिट समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति की बैठकों का गठन, आयोजन और संचालन नहीं कर सकी।

स्थान: बेंगलुरु

दिनांक: 15 अक्टूबर, 2024

यूडीआईएन नंबर F003000F001563537

पीयर रिव्यू यूनिट आईडी नंबर I2014KR1122000

के एन नागेश राव

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

एफसीएस 3000 सीपी 12861

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

इस पत्र के साथ मेरी सम दिनांक की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव और कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी मेरे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड और अनुपालन पर एक राय व्यक्त करना है।
2. मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रिया का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। मेरा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का मैंने पालन किया, वे मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हुआ, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के साथ-साथ घटनाओं की घटनाओं पर प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन नहीं है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: बेंगलुरु

दिनांक: 15 अक्टूबर, 2024

यूडीआईएन नंबर F003000F001563537

पीयर रिव्यू यूनिट आईडी नंबर I2014KR1122000

के एन नागेश राव

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

एफसीएस 3000 सीपी 12861

2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की योग्यता

पैरा नं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
8.1	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173, सचिवीय मानक एसएस 1 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित लगातार बोर्ड बैठकों के बीच एक अवसर पर तीन महीने से अधिक का अंतराल था।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट कर लिया गया है।
8.2	वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने एक भी स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति को नहीं भरा और उसकी नियुक्ति नहीं की। इसलिए, कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों को रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकी।	कंपनी के ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियाँ भारत सरकार के पास हैं। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए हमारा अनुरोध भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है और विचाराधीन है।
8.3	दो स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी वैध रूप से लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति की बैठकों का गठन, आयोजन और संचालन नहीं कर सकी।	कंपनी के ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियाँ भारत सरकार के पास हैं। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए हमारा अनुरोध भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है और विचाराधीन है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके द्वारा

स्थान: बेंगलुरु

दिनांक: 13.12.2025

(हर्ष गुप्ता)

अध्यक्ष

डीआईएन: 05150654



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

No. CW/2-22/KAPL/2024-25/ 783

Date: 16.07.2025

To,

Managing Director
Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited,
ARKA-The Business centre, Plot No—37,
Site No-34/4, NTTF Main Road,
Peenya Industrial 2nd phase, Bengaluru-560058

Subject: Comment Certificate on the Financial Statements of Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited for the year ended 31st March 2024.

Sir

Please find attached along with this letter Comment certificate of the Comptroller & Auditor General of India on the Financial Statements of Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited for the year ended 31st March 2024. Management Letter on the financial statements will follow the issue of this communication.

You are requested to acknowledge the receipt of this communication.

Yours faithfully,

Encl.: As above.



(Ekta Singh)
Dy. Director (CAW)

कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 143 (6) (बी) के तहत कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के 31 मार्च 2024 को खत्म हुए साल के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 18.12.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक

क. लाभप्रदता पर टिप्पणी

कर व्यय-वर्तमान कर-512.39 लाख

चालू वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान 512.39 लाख किया गया था, जबकि करों की योग्य राशि 582.81 लाख थी। यह इंड एस 10 के पैरा 46 का उल्लंघन है जिसमें प्रावधान है कि वर्तमान कर को कराधान अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाएगा।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान कर व्यय 70.42 लाख कम बताया गया और वर्ष के लिए लाभ भी इतनी ही राशि से अधिक बताया गया।

ख. अन्य टिप्पणियाँ

09 दिसंबर 2024 को आयोजित 195वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय विवरणों को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया और हस्ताक्षरकर्ताओं को अधिकृत किया गया। लेकिन वित्तीय विवरण पर 03 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 का उल्लंघन है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि वित्तीय विवरण को बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर करने से पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से एवं उनके द्वारा



(सौरव कुमार जयपूरियार)

अपर उप. सी & एजी

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 16.07.2025

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर।

पैरा नं.	सीएंडएजी अवलोकन	कंपनी का उत्तर
क	<p>लाभप्रदता पर टिप्पणी</p> <p>कर व्यय वर्तमान कर ₹512.39 लाख</p> <p>चालू वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान ₹512.39 लाख किया गया था, जबकि करों की देय राशि ₹582.81 लाख थी। यह इंड एस 10 के पैरा 46 का उल्लंघन है जिसमें प्रावधान है कि वर्तमान कर को कराधान अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाएगा।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप वर्तमान कर व्यय ₹70.42 लाख कम बताया गया और वर्ष के लिए लाभ को इतनी ही राशि से अधिक बताया गया।</p>	<p>इंड एस 12 के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों में वर्तमान कर का प्रावधान अनुमानित कर योग्य आय और खातों को अंतिम रूप देने के समय उपलब्ध लागू कर दरों के आधार पर किया गया था। हालाँकि, 31.12.2024 को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, अंतिम कर देनदारी विभिन्न कारकों के कारण भिन्न थी, जिनमें शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • आयकर अधिनियम की धारा 43बी के तहत उपचार, जहां कुछ खर्च केवल भुगतान के आधार पर स्वीकार्य हैं। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए ₹200 लाख के ग्रेच्युटी भुगतान को कराधान के प्रावधान में माना गया था, जबकि रिटर्न में उस पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप रिफंड की स्थिति पैदा हुई थी। • कुछ मदों की चूक जैसे ₹21.45 लाख का वीआरएस खर्च और प्रावधान की गणना के समय काल्पनिक पट्टा किराया की गणना में गलती। • तदनुसार, वर्तमान कर व्यय को ₹70.42 लाख से कम बताना कर नियोजन/अनजाने कारणों के अनुसार है। • इसके अलावा, ₹70.42 लाख की इस राशि का आवश्यक समायोजन पिछले वर्षों के आयकर प्रमुख के तहत बाद के वित्तीय विवरणों में विधिवत विचार किया जाएगा। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुरूप है।
ख	<p>अन्य टिप्पणियाँ</p> <p>09 दिसंबर 2024 को आयोजित 195वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय विवरणों को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया और हस्ताक्षरकर्ताओं को अधिकृत किया गया। लेकिन वित्तीय विवरण पर 03 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 का उल्लंघन है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कहा गया है कि वित्तीय विवरण को बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर करने से पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।</p>	<p>वित्तीय विवरणों को बोर्ड द्वारा 03.12.2024 को अनुमोदित किया गया था, जिसका तथ्य इस प्रकार दर्ज किया गया था। अनुमोदन के बाद वित्तीय विवरणों पर अधिकृत निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। हालाँकि, वित्तीय विवरण को मंजूरी देने का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग मिनट्स में शामिल नहीं किया गया था। 09 दिसंबर 2024 को बाद में आयोजित बोर्ड बैठक में कार्यवृत्त नोट करते समय, संकल्प जोड़ा गया।</p>

(रुपये लाखों में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिसंपत्तियाँ			
गैर तात्कालिक परिसंपत्तियाँ :			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2क	7821.08	7688.24
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2क	65.81	3.15
(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	2ख	7215.92	923.94
(घ) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	37	907.57	995.14
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियों			
- ऋण	3		0.02
- अन्य	4	598.67	419.35
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	5	-	-
(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों	6	225.70	2765.56
कुल गैर - मौजूदा परिसंपत्तियाँ		16834.75	12795.40
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) सूची	7	6623.80	7262.01
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
- व्यापार प्राप्य	8	12025.00	12312.07
- नकद और नकद समकक्ष	9	2360.17	1478.26
- उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष	10	2019.09	4788.02
- ऋण	11	96.32	98.33
- अन्य	12	187.05	208.08
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	321.59	217.41
(घ) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	14	2013.78	1887.20
कुल मौजूदा परिसंपत्तियाँ		25646.80	28251.38
कुल परिसंपत्तियाँ		42481.55	41046.78

(रुपये लाखों में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी और देनदारियां			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	1349.00	1349.00
(ख) अन्य इक्विटी	16	25542.08	24644.28
कुल इक्विटी		26891.08	25993.28
देनदारियां			
गैर-वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
- उधार	17		
- पट्टा देनदारियां	37	431.39	554.37
(ख) प्रावधान	18	547.43	512.96
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	5	127.42	27.73
कुल गैर-वर्तमान देनदारियां		1106.24	1095.06
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
- उधार	19	-	75.68
- व्यापार देय	20		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया		676.70	2420.65
(ii) दूसरों को देय		6183.59	7144.67
- लीज देनदारियां	37	122.98	68.25
- अन्य वित्तीय देनदारियां	21	3979.10	794.42
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	22	3049.05	3069.12
(ग) प्रावधान	23	472.81	385.65
कुल वर्तमान देनदारियां		14484.23	13958.44
कुल शेयर और देनदारियां		42481.55	41046.78

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट संख्या 1 से 49 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

यह वहीं बैलेंस शीट है जिसका उल्लेख इसी तिथि की लेखा परीक्षण रिपोर्ट में किया गया है।

लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार
एफआरएन: 0111685

गौरव जशवंत शाह
पार्टनर
सदस्यता सं. 229420

बोर्ड के लिए एवं उनके द्वारा
कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुश्री नीरजा सराफ
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06901973

डॉ. मधुचंद्रा कार
निदेशक
डीआईएन: 09519016

दिनांक: 03 दिसंबर 2024
स्थान: बेगलुरु

रमेश बी
सीएफओ

दिनांक : 18 दिसंबर, 2024

स्थान : बेगलुरु

(रुपये लाखों में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय:			
I. परिचालन से राजस्व	24	46237.04	52889.66
II. अन्य आय	25	751.14	749.68
III. कुल आय (I+II)		46988.18	53639.34
IV. व्यय:			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	26	16075.16	22973.60
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		7880.73	6326.02
तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर है और स्टॉक-इन-ट्रेड	27	506.03	(377.13)
कर्मचारी लाभ व्यय	28	8540.35	8049.24
वित्त लागत	29	96.13	587.88
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	30	831.07	757.19
अन्य व्यय	31	11298.30	11897.14
कुल व्यय (IV)		45227.77	50213.94
V. असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-IV)		1760.41	3425.40
VI. असाधारण वस्तु		-	-
VII. कर पूर्व लाभ (V-VI)		1760.41	3425.40
VIII. कर व्यय			
क) वर्तमान कर		512.39	876.47
ख) आस्थगित कर		99.66	117.49
ग) पहले के वर्षों के लिए कर समायोजन		16.38	(57.35)
कुल कर व्यय		628.43	936.61
IX. वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)		1131.98	2488.79

(रुपये लाखों में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
X. अन्य व्यापक आय	32		
क (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		31.83	0.68
(ii) उन बस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(8.01)	(0.17)
		23.82	0.51
XI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)		1155.80	2489.30
XII. प्रति इक्विटी शेयर आय रु. 100/- प्रत्येक			
बेसिक और डाइल्यूटिड	36	83.91	184.49

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट संख्या 1 से 49 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

यह वही लाभ और हानि का विवरण है। जिसका उल्लेख उसी तिथि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार
एफआरएन: 0111685
गौरव जशवंत शाह
पार्टनर
सदस्यता सं. 229420

बोर्ड के लिए एवं उनके द्वारा
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुश्री नीरजा सराफ
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06901973

डॉ. मधुचंदा कर
निदेशक
डीआईएन: 09519016

दिनांक: 03 दिसंबर 2024
स्थान: बेगलुरु

रमेश बी
सीएफओ

दिनांक : 18 दिसंबर, 2024
स्थान : बेगलुरु

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	1760.42	3425.40
गैर-नकद और गैर-परिचालन मदों के लिए समायोजन:		
मूल्यहास और परिशोधन	831.08	757.19
पट्टा पुनर्मापन शुल्क	0.00	37.29
पट्टे पर ब्याज	19.67	20.88
बैंकों से प्राप्त ब्याज	(321.16)	(212.41)
ब्याज व्यय को अलग से माना गया	1.43	25.14
अंकुर मामले में ब्याज प्रावधान	50.47	509.78
अतिरिक्त प्रावधान उलट दिया गया	(17.37)	(38.14)
आकस्मिक स्थितियों के लिए प्रावधान	(5.00)	0.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	90.95	143.33
धीमी गति से बिकने वाले/न बिकने वाले माल के लिए प्रावधान किया गया/(वापस लिया गया)	157.88	29.92
अवास्तविक विदेशी मुद्रा हानि (लाभ)	(8.68)	(10.25)
अचल संपत्तियों की बिक्री से होने वाली हानि (लाभ)	0.00	(4.95)
विविध ऋण शेष राशि वापस लिखी गई	(275.21)	(340.70)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ:	2284.48	4342.48
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
इन्वेंट्री में कमी / (वृद्धि)	480.33	947.74
व्यापार और अन्य प्राप्त्य राशियों में कमी (वृद्धि)	1686.86	631.09
व्यापार देयताओं और अन्य देनदारियों में (कमी) / वृद्धि	823.33	55.55
परिचालन से उत्पन्न नकदी	5,275.00	5,976.86
आयकर का भुगतान किया गया	(632.95)	(771.49)
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी	4,642.05	5,205.37
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद, पूंजीगत परियोजना (विप), पूंजीगत अग्रिम	(6463.04)	(2464.18)
पीपीई की बिक्री से प्राप्त आय	-	9.17
बैंकों से प्राप्त ब्याज	321.16	212.41
निवेश गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी	(6141.88)	(2242.60)



31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
ब्याज का भुगतान किया	(1.43)	(25.14)
दीर्घकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान	0.00	(75.00)
अल्पकालिक उधारों में वृद्धि (कमी)	(75.68)	(225.00)
पट्टे पर दी गई भूमि के लिए पंजीकरण शुल्क	0.00	(350.15)
पट्टे की देनदारियों का भुगतान	(88.06)	(52.23)
पट्टे पर ब्याज	(19.67)	(54.38)
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(202.35)	(404.70)
वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी	(387.19)	(1186.60)
घ. नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	(1,887.02)	1,776.17
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	6,266.28	4490.11
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	4,379.26	6266.28
नकद और नकद समतुल्य का तुलन-पत्र के साथ मिलान		
तुलन-पत्र के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य	2,360.17	1,478.26
जमा: बैंक बैलेस को नकद और नकदी के रूप में शामिल नहीं किया गया		
इड एस 7 नकदी प्रवाह विवरण में परिभाषित समतुल्य	2,019.09	4,788.02
शुद्ध नकदी और नकदी समतुल्य	4,379.26	6,266.28
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं: (नोट संख्या 9 और 10 भी देखें)		
क) हाथ में नकदी	0.43	0.34
ख) नकद ऋण	1,502.00	910.70
ग) सावधि जमा खाते में	2,384.67	4,987.47
घ) सावधि जमा खाते में मार्जिन मनी	492.16	367.77

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट संख्या 1 से 49 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

यह वही नकद प्रवाह विवरण है जिसका उल्लेख इसी तिथि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार
एफआरएन: 0111685

गौरव जशवंत शाह
पार्टनर
सदस्यता सं. 229420

बोर्ड के लिए एवं उनके द्वारा
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GO1004145

सुश्री नीरजा सराफ
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06901973

डॉ. मधुचंदा कर
निदेशक
डीआईएन: 09519016

दिनांक: 03 दिसंबर 2024
स्थान: बेगलुरु

रमेश बी
सीएफओ

दिनांक : 18 दिसंबर, 2024
स्थान : बेगलुरु

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	मात्रा	शेयरों की संख्या	मात्रा
वर्ष के प्रारंभ में जारी और पूर्णतः भुगतान किए गए 100 रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर।	1349000	1,349.00	1349000	1,349.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	1349000	1,349.00	1349000	1,349.00

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	आरक्षित और अधिशेष					कुल अन्य इक्विटी
	प्रतिधारित कमाई	अन्य आरक्षित				
	लाभ और हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	सामान्य आरक्षित	सीएसआर फंड रिजर्व	सलल विकासनिधि आरक्षित	अन्य व्यापक आय	
1 अप्रैल 2023 तक कर शेष	476.88	24176.51			(9.11)	24644.28
वर्ष का लाभ	1131.98					1131.98
अन्य व्यापक आय वर्ष के लिए (नोट 32 देखें।)					(31.83)	(31.84)
कुल व्यापक आय	1131.98				(31.83)	1100.15
सामान्य आरक्षित दीर में स्थानांतरण	(800.00)	800.00				-
अंतिम लाभांश	(202.35)					(202.35)
31 मार्च 2024 तक का शेष	606.51	24976.51			(40.94)	25542.08

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	आरक्षित और अधिशेष					कुल अन्य इक्विटी
	प्रतिधारित कमाई	अन्य आरक्षित				
	लाभ और हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	सामान्य आरक्षित	सीएसआर फंड रिजर्व	सलल विकासनिधि आरक्षित	अन्य व्यापक आय	
1 अप्रैल 2022 तक कर शेष	392.79	22176.51			(9.62)	22559.68
वर्ष का लाभ	2488.79					2488.79
अन्य व्यापक आय वर्ष के लिए (नोट 32 देखें।)					0.51	0.51
कुल व्यापक आय	2488.79				0.51	2489.30
सामान्य आरक्षित दीर में स्थानांतरण	(2,000.00)	2000.00				
अंतिम लाभांश	(404.70)					(404.70)
31 मार्च 2023 तक का शेष	476.88	24176.51			(9.11)	24644.28

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट संख्या 1 से 49 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

यह वही इक्विटी में बदलाव का विवरण है जिसका उल्लेख इसी तिथि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी

चाटेरित लेखाकार
एफआरएन: 0111685

गौरव जशवंत शाह
पार्टनर

सदस्यता सं.229420

दिनांक : 18 दिसंबर, 2024

स्थान : बैंगलुरु

बोर्ड के लिए एवं उनके द्वारा
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुश्री नीरजा सराफ
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06901973

दिनांक: 03 दिसंबर 2024
स्थान: बैंगलुरु

डॉ. मधुचंद्रा कर
निदेशक
डीआईएन: 09519016

रमेश बी
सीएफओ

संक्षिप्त विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 कंपनी अवलोकन:

कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) भारत में स्थित एक सरकारी कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित है, जिसका सीआईएन नंबर 24231198101004145 है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्का द बिजनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 37, साइट नंबर 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड, द्वितीय चरण, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलुरु - 560058 में स्थित है। कंपनी मिनी रत श्रेणी-1 का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और भारत सरकार के रसायन मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

1981 में स्थापित केएपीएल मुख्य रूप से विभिन्न जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी की बेंगलुरु स्थित विनिर्माण इकाई ने वर्ष 1984 में ड्राई पाउडर वायल, लिक्विड पैरेंटरल, टैबलेट, कैप्सूल आदि के निर्माण के लिए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। 03/12/2024 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015, संशोधित रूप में, के तहत अधिसूचित किया गया है।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपार्जन आधार पर लेखांकन द्वारा तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों के जिन्हें संबंधित औद्योगिक अनुबंध के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है:

- कुछ वित्तीय उपकरण (नोट 1.17 देखें)
- परिभाषित लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (नोट 1.8 देखें)।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया जाता है, अन्यथा इंगित किए जाने को छोड़कर।

1.3 अनुमानों का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान, निर्णय और मान्यताएँ बनानी पड़ती हैं जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के खुलासे तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधियों में भावी रूप से मान्यता प्राप्त होता है।

1.4 राजस्व मान्यता

- बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब ग्राहक बिक्री अनुबंध के अनुसार माल पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और ऋण लाइसेंस रूपांतरण अनुबंधों के मामले में, जब रूपांतरण अनुबंध के तहत माल का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तदनुसार,
 - i) “एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन” बिक्री अनुबंधों के मामले में, जहां ग्राहक की पावती/डिलीवरी का प्रमाण पत्र हाथ में नहीं है, बिक्री को गंतव्य तक पहुंचने के लिए खेप के अनुमानित औसत समय के आधार पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय वर्ष के अंत के निकट बिक्री लेनदेन के संबंध में, ग्राहकों से पावती/डिलीवरी प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित वास्तविक डिलीवरी पर भी विचार किया जाता है।
 - ii) “एफओबी” बिक्री अनुबंधों के मामले में, माल के जहाज पर पहुंचने की दिनांक के आधार पर बिक्री को मान्यता दी जाती है।
 - iii) बिक्री से लौटाए गए उत्पादों का लेखा-जोखा उसी वर्ष में किया जाता है जिस वर्ष उत्पाद लौटाया जाता है।
 - iv) बिक्री की राशि में रिटर्न, जीएसटी और लागू व्यापार छूट और भत्ते शामिल नहीं हैं
 - v) खेप बिक्री के मामले में, अंतिम ग्राहक द्वारा उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त करने पर बिक्री को मान्यता दी जाती है।

- ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल या उपयुक्त होने पर उससे कम अवधि में अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य पर सटीक रूप से छूट देती है।

1.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

- पीपीई का मूल्य अधिग्रहण या निर्माण लागत में से संचित मूल्यहास और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर निर्धारित किया जाता है। इस लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य कर और शुल्क, पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अन्य लागतें शामिल होती हैं।
- निर्माण अवधि के दौरान परियोजना से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय पूंजीकृत किए जाते हैं। उत्पादन के साथ-साथ चलने वाली परियोजना गतिविधियों के संबंध में, प्रशासन और पर्यवेक्षण पर किए गए व्यय (जिनका उत्पादन और निर्माण के बीच विभाजन निर्धारित नहीं किया जा सकता) राजस्व में प्रभारित किए जाते हैं।
- पीपीई पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 8 में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के दौरान सीधी रेखा विधि से दिया जाता है, सिवाय कुछ प्रयुक्त परिसंपत्तियों के जिन्हें तकनीकी सलाह के आधार पर खरीदा गया है। मूल्यहास की गणना स्थापना की तिथि से लेकर परिसंपत्ति की बिक्री या निपटान की तिथि तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।
- जिन संपत्तियों की व्यक्तिगत लागत 10,000 रुपये या उससे कम है, उन्हें खरीद के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यहास कर दिया जाता है।
- मूल्यहास की गणना स्थापना की तिथि से लेकर परिसंपत्तियों की बिक्री या निपटान की तिथि तक की जाती है। जहां पीपीई की किसी वस्तु की लागत अधिक हो और उनका उपयोगी जीवनकाल भिन्न-भिन्न हो, उन्हें अलग-अलग घटक माना जाता है और उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मूल्यहास किया जाता है।
- पूंजीगत कार्य प्रगति में पीपीई की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। बैलेंस शीट तिथि पर पीपीई की खरीद के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को “अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों” के तहत दर्शाया गया है।
- किसी परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या हानि लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

1.6 सरकारी अनुदान

- क. सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात का उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त होंगे।
- ख. राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर दर्ज किया जाता है।
- ग. परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि की गणना करते समय अनुदान में कटौती करके मान्यता दी जाती है।

1.7 इन्वेंट्री का मूल्यांकन

- क. कच्चे माल का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। तैयार माल के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों को लागत से नीचे नहीं लिखा जाता है यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, लागत पर या उससे ऊपर बेचे जाने की उम्मीद है। लागत का निर्धारण पहले आओ-पहले-बाहर के आधार पर किया जाता है। लागत में कर, शुल्क और माल ढुलाई शामिल है और यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर है। अप्रचलित के रूप में पहचाने गए कच्चे माल उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ख. प्रगति पर काम का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत भौतिक लागत और प्रत्यक्ष श्रम का निश्चित प्रतिशत और उचित निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन ओवरहेड्स का प्रतिनिधित्व करती है।

- ग. तैयार माल का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उचित निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन ओवरहेड्स का प्रतिनिधित्व करती है।
- घ. रु. 5,000/- और उससे अधिक (भौतिकता के आधार पर) यूनिट मूल्य के स्पेयर और टूल्स के स्टॉक का मूल्यांकन भूमि लागत पर किया जाता है और वर्ष के अंत में माना जाता है।
- ड. चिकित्सक नमूनों के अंतिम स्टॉक का मूल्य शून्य है। चिकित्सक के नमूनों का मूल्य सामग्री की खपत के अंतर्गत गिना जाता है।

1.8 कर्मचारी लाभ:

- क) **परिभाषित अंशदान योजना:** कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त भविष्य निधि जैसी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भुगतान की गई/देय अंशदान राशि को लाभ-हानि विवरण में उपार्जन के आधार पर दर्ज किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कंपनी की मासिक अंशदान राशि के अतिरिक्त कोई अन्य दायित्व नहीं है।
- ख) **परिभाषित लाभ योजना:** ग्रेच्युटी और दीर्घकालिक लाभ जैसे अवकाश एवं बीमारी लाभ, जो परिभाषित लाभ हैं, एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बैलेंस शीट की तिथि पर अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित किए जाते हैं। बीमांकिक लाभ और हानि से युक्त पुनर्मूल्यांकन को बैलेंस शीट में तत्काल मान्यता दी जाती है और इसके लिए ओसीआई के माध्यम से संचित आय में तदनुसार डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन को बाद की अवधियों में लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

वित्त पोषित योजनाओं के मामले में, शुद्ध आधार पर दायित्व को पहचानने के लिए परिभाषित लाभ योजना के तहत योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सकल दायित्वों से कम कर दिया जाता है।
- ग) **अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:** अन्य अल्पकालिक लाभों के संबंध में व्यय को उस अवधि के लिए भुगतान या देय राशि के आधार पर पहचाना जाता है, जिसके दौरान कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।
- घ) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना:** सरकार के आदेशों के अनुसरण में। भारत सरकार ने 01.01.2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों या कर्मचारियों के जीवनसाथियों (कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई) के लिए “केएपीएल पोस्ट सुपरनेशन हेल्थ इश्योरेंस स्कीम” नामक एक योजना शुरू की है। आदेश के अनुसार अधिकतम योगदान पीबीटी का 1.50% है। तदनुसार, कंपनी लाभप्रदता के आधार पर प्रत्येक वर्ष व्यय प्रदान कर रही है।

1.9 विदेशी मुद्रा लेनदेन

- **प्रारंभिक पहचान:**
प्रारंभिक मान्यता के समय, कंपनी द्वारा विदेशी मुद्राओं में किए गए लेन-देन दर्ज किए जाते हैं। चालू मुद्रा (अर्थात् भारतीय रुपये) में, विदेशी मुद्रा राशि और लेनदेन की तिथि पर चालू मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर को लागू करके विनिमय अंतर का आकलन किया जाता है। वर्ष के दौरान निपटाए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।
- **रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा वस्तुओं का मापन:**
कंपनी की विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं का अनुबाद समापन विनिमय दरों पर किया जाता है। इन लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ के विवरण में मान्यता दी जाती है।

गैर-मौद्रिक वस्तुएं जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके अनुवादित किया जाता है।

1.10 कराधान

आयकर व्यय में चालू कर (अर्थात् लागू आयकर कानून के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर की राशि) और आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट (जो लेखा आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभावों को दर्शाता है) शामिल हैं। लाभ या हानि से बाहर मान्यता प्राप्त मर्दों से संबंधित चालू आयकर और आस्थगित करों को लाभ या हानि से बाहर (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में) मान्यता दी जाती है।

स्थगित कर प्रभार या क्रेडिट और संबंधित स्थगित कर देनदारियों या परिसंपत्तियों को बैलेंस शीट की तिथि तक लागू या सारतः लागू की गई कर दरों का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। स्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों को आगे ले जाने का उपयोग किया जा सकता है। स्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उसे उस सीमा तक कम किया जाता है जहाँ तक यह संभावना न रह जाए कि स्थगित कर परिसंपत्ति के पूर्ण या आंशिक उपयोग के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। अपरिचित स्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो जाती है कि भविष्य के कर योग्य लाभ स्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की अनुमति देंगे।

कंपनी चालू (साल दर साल आधार पर) और आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को समायोजित करती है, जहां उसके पास कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और आस्थगित कर एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हैं।

1.11 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल कमाई की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले वर्ष के शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर पतला आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी पतला संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

1.12 प्रावधान और आकस्मिकताएं

कंपनी एक प्रावधान बनाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिःप्रवाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिःप्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवतः नहीं होगी या जिसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। जहां कोई पूर्व दायित्व या वर्तमान दायित्व है जिसके संबंध में संसाधन के बहिःप्रवाह की संभावना दूरस्थ है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया गया है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, वित्तीय विवरणों में खुलासा तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

1.13 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यहास

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति के मूल्यहास का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि या उस नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिससे परिसंपत्ति संबंधित है, उसके वहन मूल्य से कम है, तो वहन मूल्य को उसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है। इस कमी को मूल्यहास हानि माना जाता है और इसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है। यदि बैलेंस शीट तिथि पर यह संकेत मिलता है कि पहले मूल्यांकित मूल्यहास हानि अब मौजूद नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिसंपत्ति को अधिकतम मूल्यहास ऐतिहासिक लागत के अधीन वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है।

1.14 पट्टों

पट्टेदार के रूप में:

पट्टे की पहचान के लिए गहन विवेक की आवश्यकता होती है। अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है यदि अनुबंध किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके बदले में प्रतिफल दिया जाता है। किसी व्यवस्था के पट्टा होने (या उसमें पट्टा शामिल होने) का निर्धारण पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित होता है। व्यवस्था पट्टा कहलाती है या उसमें पट्टा शामिल होता है यदि व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर करती है और व्यवस्था परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार प्रदान करती है, भले ही वह अधिकार व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

पट्टा प्रारंभ होने की तिथि पर, कंपनी उन सभी पट्टा समझौतों के लिए उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति (“आरओयू”) और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देती है जिनमें वह पट्टेदार है, बारह महीने या उससे कम अवधि के पट्टों (अल्पकालिक पट्ट) और कम मूल्य वाले पट्टों को छोड़कर। इन अल्पकालिक और कम मूल्य वाले पट्टों के लिए, कंपनी पट्टा भुगतान को व्यय के रूप में मान्यता देती है। उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टा प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में से पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर शामिल किया जाता है। बाद में, इन्हें संचित मूल्यहास और हानि हानि को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का मूल्यहास पट्टे की शुरुआत की तारीख से सीधी रेखा पद्धति के आधार पर पट्टे की अवधि और अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल तक किया जाता है। पट्टे की देनदारी का प्रारंभिक मूल्यांकन भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत के आधार पर किया जाता है। पट्टा भुगतानों पर छूट पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो इन पट्टों के मूल देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके की जाती है। यदि कंपनी अपने इस आकलन में परिवर्तन करती है कि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं, तो संबंधित उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति में तदनुसार समायोजन के साथ पट्टा देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पट्टा देनदारी और उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को बैलेंस शीट में अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतानों को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1.15 नकद और नकद के समान

नकद में हाथ में मौजूद नकदी और बैंकों में जमा मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष राशि हैं जिनकी मूल परिपक्वता अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम है, ये अत्यधिक तरल निवेश हैं जिन्हें आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

1.16 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके दर्शाया जाता है, जिसमें कर पूर्व लाभ को प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन और अतीत या भविष्य में प्राप्त होने वाली नकद राशियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय को अलग-अलग रखा जाता है। कंपनी की परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग-अलग रखा जाता है।

1.17 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देनदारी या इकिटी साधन को जन्म देता है। गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम तथा पात्र चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों को तब अमान्य घोषित किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े पर्याप्त जोखिम और लाभहस्तांतरित हो जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व से जुड़े पर्याप्त जोखिम और लाभ न तो हस्तांतरित होते हैं और न ही बरकरार रखे जाते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी अमान्य घोषित किया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर अपना नियंत्रण बरकरार नहीं रखा हो।

- वित्तीय देनदारियां, जिनमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण और उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देमलाएं, पात्र चालू और गैर-चालू देनदारियां शामिल हैं।

प्रारंभिक पहचान और माप

कंपनी अनुबंध के प्रावधानों के तहत पक्षकार बनने पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता देती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रारंभिक मान्यता के समय उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, सिवाय व्यापार प्राप्य राशियों के जिन्हें प्रारंभ में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या निर्गमन से सीधे संबंधित लेनदेन लागत, जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं, प्रारंभिक मान्यता के समय उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं।

अनुवर्ती माप

आगे के मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय साधनों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- क) परिशोधित लागत पर दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीओसीआई)
- ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)
- घ) वित्तीय देनदारियाँ

क) परिशोधित लागत पर दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं। मिले:

- i) यह परिसंपत्ति एक ऐसे व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है, और
- ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो कि केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) बकाया मूलधन राशि पर किया जाता है। प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय संपत्तियों का बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

ख) एफवीटीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को एफवीटीओसीआई में तभी दर्ज किया जाता है जब निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- i) इस व्यावसायिक मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, और
- ii) परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ग) एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति जिसे उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी वर्गीकृत नहीं किया गया है, उसका उचित मूल्यांकन बाद में लाभया हानि के माध्यम से किया जाता है।

इसके अलावा, उन मामलों में जहां कंपनी ने अपने व्यावसायिक मॉडल के आधार पर एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है, अपने उन निवेशों के लिए जिन्हें इक्विटी उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

घ) वित्तीय देनदारियाँ

इसके बाद, वित्तीय देनदारियों को ईआईआर का उपयोग करके परिशोधित लागत पर दर्ज किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अवमूल्यन

इंड एस 109 के अनुसार, कंपनी हानि हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

कंपनी हानि भत्ते की पहचान के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य; और
- इंड एस 17 के दायरे में आने वाले लेन-देन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्य राशियाँ

सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाने से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता को मान्यता देती है।

वित्तीय उपकरणों की मान्यता रद्द करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब अमान्य घोषित करती है जब उस वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या कंपनी उस वित्तीय परिसंपत्ति का हस्तांतरण करती है और यह हस्तांतरण इंड एस 109 के अंतर्गत अमान्य घोषित करने के योग्य होता है। वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक भाग) कंपनी की बैलेंस शीट से तब अमान्य घोषित कर दिया जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्ति हो जाती है।

1.18 कृषि गतिविधि

कंपनी कृषि उपज को तभी और केवल तभी मान्यता देती है जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है। पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप, यदि यह संभावना है कि ऐसी संपत्तियों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और संपत्तियों के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

जैविक संपदा का मूल्यांकन प्रारंभिक मान्यता के समय और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसके उचित मूल्य में से विक्रय लागत घटाकर किया जाता है। किसी संस्था की जैविक संपदा से प्राप्त कृषि उपज का मूल्यांकन कटाई के समय उसके उचित मूल्य में से विक्रय लागत घटाकर किया जाता है।

कृषि उपज को उचित मूल्य पर बेचने की लागत घटाकर प्रारंभिक रूप से मान्यता देने पर होने वाला लाभ या हानि, उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

वर्तमान में कंपनी कडाबागरे भूमि पर थोड़ी मात्रा में औषधीय पौधों की खेती कर रही है। राजस्व में योगदान 10 लाख रुपये से अधिक होने पर कंपनी जैविक संपत्तियों को मान्यता देना शुरू करेगी।

1.19 पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहीकरण

बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण में कुछ मदों के प्रभाव के बारे में अधिक विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए, कंपनी ने कुछ मदों का वर्गीकरण बदल दिया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्समूहीकृत या पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इन पुनर्समूहीकरणों के कारण इक्विटी या शुद्ध लाभ / (हानि) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट 2 क: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

परिसंपत्तियों का वर्ग	लागत या अनुमानित लागत				संचित मूल्यहास और परिशोधन				शुद्ध बहन मूल्य	
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए मूल्यहास शुल्क	वर्ष के दौरान विलोपन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
मूर्त परिसंपत्तियाँ, स्वामित्व वाली										
फ्रीहोल्ड भूमि	493.48	0.00	0.00	493.48	0.00	0.00	-	0.00	493.48	493.48
इमारत	3890.72	218.34	0.00	4109.06	813.80	158.48	-	972.28	3136.78	3076.92
संयंत्र और उपकरण	6619.81	583.43	0.00	7203.24	2874.16	498.91	-	3373.07	3830.17	3745.63
फर्नीचर और फिक्स्चर	368.92	27.67	0.00	396.59	157.72	37.09	-	194.81	201.78	211.20
कार्यालय उपकरण	67.48	7.58	0.00	75.06	38.25	11.19	-	49.44	25.62	29.23
कंप्यूटर	176.25	33.92	0.00	210.17	109.10	29.64	-	138.74	71.43	67.15
कैटीन उपकरण	33.53	1.91	0.00	35.44	9.37	6.42	-	15.79	19.65	24.16
मोटर वाहन	45.47	8.16	0.00	53.63	5.00	6.46	-	11.46	42.17	40.47
उप-कुल	11695.66	881.01	0.00	12576.67	4007.40	748.19	0.00	4755.59	7821.08	7688.24
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.31	65.00	0.00	68.31	0.16	2.34	-	2.50	65.81	3.15
उप-कुल	3.31	65.00	0.00	68.31	0.16	2.34	0.00	2.50	65.81	3.15
पूँजीगत कार्य प्रगति पर है	923.94	6527.95	235.97	7215.92	0.00	0.00	-	0.00	7215.92	923.94
उप-कुल	923.94	6527.95	235.97	7215.92	0.00	0.00	-	0.00	7215.92	923.94
कुल	12622.91	7473.96	235.97	19860.91	4007.58	750.53	0.00	4758.11	15102.80	8615.33
पिछला वर्ष	11083.97	1557.34	18.40	12622.91	3290.62	731.14	14.18	4007.58	8615.33	

(वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 46 से 47 का भी संदर्भ लें)

नोट 2ख: पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) आयु निर्धारण अनुसूची

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च 2024 तक	सीडब्ल्यूआईपी में राशि की अवधि के लिए				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजना प्रगतिशील	6527.94	687.97	-	-	7215.91
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	6527.94	687.97	0.00	0.00	7215.91

31 मार्च 2023 तक	सीडब्ल्यूआईपी में राशि की अवधि के लिए				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजना प्रगतिशील	890.04	33.90	-	-	923.94
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	890.04	33.90	0.00	0.00	923.94

नोट: 7-एसीए प्रोजेक्ट पर नोट

- 31 मार्च, 2024 तक चल रहे ऊपर दिए गए प्रोजेक्ट में 7135.07 लाख रुपये (पिछले साल 684 लाख रुपये) शामिल हैं, जो 7 एमिनोसेफालूस्पोरानिक एसिड (7-एसीए) प्रोजेक्ट के लिए है। यह प्रोजेक्ट पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू हुआ था, जिसे निदेशक मंडल ने 31.03.2021 की 175 वीं बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी थी। कृपया नोट नंबर 46 सी और नोट 33बी में दिए गए 7 एसीए प्रोजेक्ट पर विस्तृत नोट देखें।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
3. गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-ऋण (परिशोधन लागत पर)		
कर्मचारियों को अग्रिम राशि	0.00	0.02
	0.00	0.02
4. गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य (परिशोधन लागत पर)		
सरकारी विभागों में जमा राशि (नीचे दिए गए नोट को देखें)	174.79	150.71
किराया जमा राशि	65.79	61.28
थोक औषधि के लिए सुरक्षा जमा (उपार्जित लागत पर)	5.29	5.29
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश समूह अवकाश नकदीकरण योजना बीमा पॉलिसी - (प्रावधान घटाकर)	352.80	202.07
	598.67	419.35
टिप्पणी: सरकारी विभागों के पास जमा राशि में सुरक्षा जमा/बयाना जमा, बिजली बोर्ड जमा और जल विभाग जमा शामिल हैं, जिनका वर्तमान मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है और शेष राशि की पुष्टि प्रतीक्षित है। हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
5. स्थगित कर परिसंपत्तियाँ/ (देनदारियाँ) (शुद्ध)		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
क) संदिग्ध ऋणों, दावों आदि के लिए प्रावधान।	22.89	36.07
ख) अवकाश वेतन	88.79	175.34
ग) ग्रेच्युटी	75.19	80.30
घ) अन्य	178.90	161.98
	365.77	453.69
आस्थगित कर देनदारियाँ		
क) अचल संपत्तियाँ - मूल्यहास अंतर	493.19	481.42
ख) अवकाश वेतन	0.00	0.00
	493.19	481.42
	(127.42)	(27.73)
6. अन्य गैर तात्कालिक परिसंपत्ति (असुरक्षित निवेश को अच्छा माना जाता है)		
पूंजी अग्रिम	164.57	939.52
प्रीपेड खर्च	61.33	66.04
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा खाते में	0.00	1760.00
	225.70	2765.56

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
7. सूची (लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर)		
केएपीएल में कच्चा माल	2739.41	2684.11
ऋण लाइसेंस प्राप्त पक्षों के पास कच्चा माल	0.00	29.33
कम: अप्रचलन के लिए प्रावधान	(285.73)	(127.85)
	2453.68	2585.59
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	97.39	74.56
काम जारी है	1079.21	1177.84
तैयार माल	2085.31	2107.01
व्यापार का कुल माल	574.34	730.84
परिवहन माल		
कच्चा माल	51.16	74.25
तैयार माल	217.18	372.50
व्यापार का कुल माल	65.53	139.42
	6623.80	7262.01
8 व्यापार प्राप्तियाँ (परिशोधन लागत पर)		
क) व्यापार प्राप्य को अच्छा-सुरक्षित माना जाता है	479.10	481.16
ख) व्यापार प्राप्य को अच्छा-असुरक्षित माना जाता है	11545.90	11830.91
ग) व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	760.83	669.89
कम: व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	(760.83)	(669.89)
	12025.00	12312.07
8.1 विविध देनदारों में सरकारी संस्थानों/निकायों से देय 7061.42 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8448.76 लाख रुपये) शामिल हैं, जिनके संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्रतीक्षित है।		
8.2 सरकारी संस्थानों/निकायों के अतिरिक्त व्यापार प्राप्य राशियों के लिए कंपनी द्वारा मांगे गए शेषों की पुष्टि का कुल योग 3761.92 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4250.94 लाख रुपये) तक प्रतीक्षित है। प्राप्य राशियों से प्राप्त पुष्टिकरणों में अंतर पाए जाने की स्थिति में, कंपनी ने आवश्यक मिलान करने के बाद वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लेखा पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है।		
8.3 हालाँकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।		

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च, 2024 तक	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 साल-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	8333.93	1282.00	1625.54	783.53	0.00	12025.00
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00	0.00	0.00	760.83	760.83
कम: व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00	0.00	0.00	(760.83)	(760.83)
कुल	8333.93	1282.00	1625.54	783.53	0.00	12025.00

31 मार्च, 2023 तक	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 साल-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	9858.95	933.70	1190.48	328.94	0.00	12312.07
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00	0.00	0.00	669.89	669.89
कम: व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00	0.00	0.00	(669.89)	(669.89)
कुल	9858.95	933.70	1190.48	328.94	0.00	12312.07

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
-------	------------------	------------------

9 नकद और नकद समकक्ष (परिशोधन लागत पर)

हाथ में नकद	0.43	0.34
बैंकों के साथ शेष		
चालू खातों में	1502.00	910.70
सावधि जमा खाते में		
3 महीने से कम की परिपक्वता अवधि के साथ	857.74	567.22
(कर्मचारियों के कल्याण के लिए गठित कल्याण कोष के संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा, बेंगलुरु के पास रखी गई 7.70 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7.22 लाख रुपये) की राशि सावधि जमा खाते में शामिल है)		
	2360.17	1478.26

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
10 अन्य बैंक शेष (परिशोधन लागत पर)		
सावधि जमा 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि के साथ	1526.93	4420.25
सावधि जमा (मार्जिन मनी) 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि के साथ (बैंक ऑफ बडौदा में ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित 492.16 लाख रुपये की सावधि जमा राशि (पिछले वर्ष 367.77 लाख रुपये)	492.16	367.77
	2019.09	4788.02
11 चालू ऋण और अग्रिम (परिशोधन लागत पर)		
असुरक्षित अच्छा माना जाता है		
फील्ड कर्मचारियों को अग्रिम सहित कर्मचारियों को अग्रिम	61.38	61.35
अन्य अग्रिम (दूसरे अग्रिम में धारवाड़ जमीन से काटे गए रु 34.94 लाख शामिल हैं, जो 26 गुंटा जमीन की कमी है, जो सी एजी लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार कर्नाटक स्टेट फ़ाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (केएसएफसी) से रिकवर किया जा सकता है। हालांकि, केएसएफसी ने कंपनी के मांग को स्वीकार नहीं किया है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।)	34.94	36.98
	96.32	98.33
12 वर्तमान – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
सरकारी विभागों में जमा (संदर्भ 12.1)		
अच्छा माना जाता है	83.92	99.60
संदिग्ध माना जा रहा है	-	7.12
	83.92	106.73
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	(7.12)
	83.92	99.60
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	80.07	90.09
अन्य प्राप्य	23.06	18.39
कम: प्रावधान-अन्य प्राप्य	-	-
	23.06	18.39
	187.05	208.08

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
12.1 सरकारी विभागों (वर्तमान और गैर चालू) के पास जमा राशि के संबंध में 83.92 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99.60 लाख रुपये) की शेष राशि की पुष्टि की प्रतीक्षा है। ऐसे मामलों में जहां प्राप्त पृष्टियों में अंतर देखा जाता है, कंपनी ने आवश्यक समाधान करने के बाद, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खातों की किताबों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है। हालाँकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि न मिलने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खातों की किताबों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है। हालाँकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि न मिलने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
13 वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		
अग्रिम आयकर, टीडीएस (चालू वर्ष)	607.97	871.18
कम: आयकर के लिए प्रावधान (चालू वर्ष)	(512.39)	(876.47)
चालू वर्ष में प्राप्य रिफंड	95.58	(5.29)
प्राप्य आयकर रिफंड (पिछले वर्ष) (नीचे नोट देखें)	226.01	222.70
	321.59	217.41
नोट 13.1: 226.01 लाख रुपये (पिछले वर्ष 222.70 लाख) की राशि पिछले वर्षों के लिए प्राप्त आयकर रिफंड को दर्शाती है वित्तीय वर्ष 2008-09-21.62 लाख रुपये, 2009-10 13.93 लाख रुपये, 2017-18 36.86 लाख रुपये, 2018-19 रु. 31.10 लाख, वित्त वर्ष 2020-21-119.25 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2021-22 1.02 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 2.23 लाख रुपये। आयकर विभाग ने इन रिफंडों को अन्य वर्षों की कर मांगों के साथ समायोजित किया है, जिसके खिलाफ कंपनी ने सुधार आवेदन दायर किया है और विभाग से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। कंपनी की राय में कंपनी पर कोई भी महत्वपूर्ण एवं प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
14 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष (जीएसटी/उत्पाद शुल्क बैट)	1871.03	1776.07
आपूर्ति और अन्य के लिए अग्रिम	70.67	15.34
पूर्वदात व्यय	72.08	95.79
	2013.78	1887.20
14.1 31.03.2023 की अवधि तक, कंपनी ने खातों की पुस्तकों में आपूर्तिकर्ता से चालान के लेखांकन के आधार पर इनपुट/इनपुट सेवाओं/पूँजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है। हालांकि, 01.04.2023 से, कंपनी ने बिना किसी समाधान के जीएसटीआर 2ए/2बी में प्रदर्शित लाइन आइटम के आधार पर इनपुट/इनपुट सेवाओं/पूँजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए अपनी कार्यप्रणाली बदल दी है। इसके परिणामस्वरूप खातों की पुस्तकों की तुलना में जीएसटीआईएन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के समापन शेष में अंतर आ गया है और यह समाधान के अधीन है।		

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
<p>14.2 कंपनी के पास 19 राज्यों (कर्नाटक में एचओ सहित) में जीएसटी पंजीकरण हैं और प्रत्येक पंजीकरण के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किए जाते हैं। हालाँकि, खातों की पुस्तकों में कंपनी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त लेजर और आउटपुट टैक्स देयता देय लेजर के लिए सभी शाखाओं (एचओ को छोड़कर) के लिए समेकित खाता बनाए रखा है। इसके कारण, प्रत्येक राज्य में शेष राशि का समाधान नहीं किया जा सका है।</p> <p>सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष राशि में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में खातों की पुस्तकों में अग्रेषित 1422.48 लाख रुपये की राशि शामिल है। 14.1 और 14.2 में उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, ऊपर बताई गई सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष राशि कंपनी द्वारा किए जाने वाले समाधान के अधीन है। कंपनी की राय में कंपनी पर कोई भी महत्वपूर्ण एवं प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p>		
15 शेयर पूंजी		
अधिकृत		
1500000 (पिछला वर्ष: 1500000) प्रत्येक 100/- रुपये के इक्विटी शेयर	1500.00	1500.00
	1500.00	1500.00
जारी, अभिदत्त और पूर्ण भुगतान		
1349000 (पिछला वर्ष: 1349000) प्रत्येक 100/- रुपये के इक्विटी शेयर	1349.00	1349.00
	1349.00	1349.00

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

(i) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का समाधान:

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयर की संख्या	मात्रा	शेयर की संख्या	मात्रा
वर्ष की शुरुआत में	1349000	1349.00	1349000	1349.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	1349000	1349.00	1349000	1349.00

(ii) इक्विटी शेयरों के विभिन्न वर्गों के अधिकार, पात्रता और दायित्व का उल्लेख यहां नीचे दिया गया है:

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य मूल्य रु. 100 प्रति शेयर, इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक बोट का हकदार है। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने इक्विटी शेयरधारकों को कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, यदि कोई हो, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) कंपनी के 5% से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति	798180	59.17%	798180	59.17%
केएसआईआईडीसी लिमिटेड	550820	40.83%	550820	40.83%
कुल	1349000	100.00%	1349000	100.00%

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

(iv) वर्ष के अंत में प्रमोटर्स द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर्स का नाम	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	धारित शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का %	
भारत के राष्ट्रपति	7,98,180	59.17%	7,98,180	59.17%	0.00
केएसआईआईडीसी लिमिटेड	5,50,820	40.83%	5,50,820	40.83%	0.00

- (v)** भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के दिनांक 27.05.2016 के परिपत्र संख्या एफ संख्या 5/2/2016-पॉलिसी के अनुसार, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक सीपीएसई बोनस शेयर जारी करेगा यदि उनका परिभाषित भंडार और अधिशेष उसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 10 गुना के बराबर या उससे अधिक है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया है।

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
16. अन्य इक्विटी		
सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	24176.51	22176.51
जोड़ें: अधिशेष से लाभ में स्थानांतरण	800.00	2000.00
जोड़ें: सीएसआर फंड रिजर्व से स्थानांतरण	-	-
जोड़ें: सतत विकास निधि रिजर्व से स्थानांतरण	-	-
जमा शेष	24976.51	24176.51
प्रतिधारित कमाई		
प्रारंभिक शेष	476.88	392.79
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (हानि)।	1131.98	2488.79
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	1608.86	2881.58
विनियोग:		
जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	800.00	2000.00
अंतिम लाभांश	202.35	404.70
	1002.35	2404.70
अंत शेष	606.51	476.88

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य व्यापक आय		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ (हानि)।		
प्रारंभिक शेष	(9.11)	(9.62)
जोड़े या (कम): वे वस्तुएँ जिन्हे लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(23.82)	0.68
जोड़े या (कम करे) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(8.01)	(0.17)
अंत शेष	(40.94)	(9.11)
कुल अन्य इकिटी	25542.08	24644.28
17 गैर चालू उधार		
बैंक ऑफ बड़ौदा से: सुरक्षित (नोट संख्या 19 देखें)		
सावधि ऋण	0.00	0.00
	0.00	0.00
कार्यशील पूंजी सीमा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ सममूल्य आधार पर विशिष्ट अचल संपत्तियों के बंधक और कंपनी की अन्य अचल संपत्तियों की निरंतर सुरक्षा के खिलाफ सुरक्षित ।		
वर्तमान स्थिति 0.00 लाख रुपये (नोट संख्या 19 देखें) (पिछले वर्ष 75.68 लाख रुपये)		
उपरोक्त सावधि ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।		
18 गैर-वर्तमान प्रावधान		
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान (नोट 23 भी देखें):		
ग्रेच्युटी	169.80	140.04
बीमारी के लिए अवकाश	377.63	372.92
	547.43	512.96
19 वर्तमान उधार		
मांग पर चुकाने योग्य सुरक्षित ऋण		
बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	0.00	0.00
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता तिथियाँ (नोट 17 देखें)	0.00	75.68
	0.00	75.68

कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुल ₹ 550.00 लाख (31 मार्च, 2023: ₹ 550.00 लाख) मूल्य की नकद ऋण सुविधा का लाभ उठाया है (वर्ष के दौरान इसका नवीनीकरण किया गया), जिसमें से कंपनी ने शून्य (31 मार्च, 2023: ₹ 75.68 लाख) राशि का उपयोग किया है। यह ऋण स्टॉक-इन-ट्रेड और बही खातों के समतुल्य आधार पर गिरवी, अचल संपत्तियों जैसे मशीनरी, फर्नीचर और फिटिंग, विद्युत फिटिंग, कार्यालय उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, कंप्यूटर आदि और पीन्या द्वितीय चरण औद्योगिक क्षेत्र, बैंगलोर में प्लॉट संख्या 14, सर्वे संख्या 37, 38, 39 पर स्थित भूमि की संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में सुरक्षित है। नकद ऋण गिरवी खाते के तहत डेबिट शेष राशि नकद और बैंक शेष के अंतर्गत दर्शायी गई है। नकद ऋण सुविधा पर ब्याज दर मासिक अंतराल पर देय होती है, जो फंड की सीमांत लागत-आधारित उधार दर (एमसीएलआर)+ 1% से जुड़ी होती है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

वर्तमान परिसंपत्तियों के बदले सुरक्षित ऋण

तिमाही	बैंक का नाम	प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण	लेखा-पुस्तकों के अनुसार राशि	त्रैमासिक रिटर्न/विवरण में बताई गई राशि	राशि अंतर	सामग्री संबंधी विसंगतियों का कारण
जून-23	बैंक ऑफ बडौदा और एसबीआई	परिपासु आधार पर इन्वेंट्री और बुक ऋण	22928	19621	3307	
सितं-23	बैंक ऑफ बडौदा और एसबीआई	परिपासु आधार पर इन्वेंट्री और बुक ऋण	21623	16564	5059	कवर अवधि के बाद बैंक देनदारों को दी गई अनुमानित राशि
दिस-23	बैंक ऑफ बडौदा और एसबीआई	परिपासु आधार पर इन्वेंट्री और बुक ऋण	23616	20678	2938	
मार्च-24	बैंक ऑफ बडौदा और एसबीआई	परिपासु आधार पर इन्वेंट्री और बुक ऋण	19027	18147	880	

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
-------	------------------	------------------

20. व्यापार देयताएँ

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कारण*	676.70	2420.65
अन्य लेनदार	6183.59	7144.67
	6860.29	9565.32

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तहत विक्रेताओं की पहचान कंपनी द्वारा की गई है और लेखा परीक्षकों द्वारा उस पर भरोसा किया गया है।

20.1 व्यापार देय के शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध प्रसारित किया गया था और कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। कुल 5750.74 लाख रुपये की पुष्टि की प्रतीक्षा है।

ऐसे मामलों में जहां प्राप्त पुष्टि में अंतर देखा जाता है, कंपनी ने आवश्यक समाधान करने के बाद वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खातों की किताबों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है। हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि न मिलने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20.2 विवरण

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष के अंत तक मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया	676.70	2,420.65
वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि	-	-
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ वर्ष के दौरान नियत तिथि से परे किए गए भुगतान की राशि।	-	-

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज के बिना भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि।	-	-
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से उपरोक्त के अनुसार बकाया व्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यमों को किए जाने तक, आगामी वर्षों में शेष शेष ब्याज की राशि।	-	-

व्यापार देय आयु अनुसूची

31 मार्च 2024 तक	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	676.70	0.00	0.00	0.00	676.70
(ii) अन्य	5,761.50	4.07	-0.43	-1.68	5,763.46
(iii) विवादित देय राशि अन्य	0.00	0.00	0.00	420.13	420.13
कुल	6438.20	4.07	-0.43	418.45	6860.29

31 मार्च 2023 तक	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	2,420.65	0.00	0.00	0.00	2,420.65
(ii) अन्य	6,147.26	22.58	42.18	932.65	7,144.67
(iii) विवादित देय राशि अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	8567.91	22.58	42.18	932.65	9565.32

21 अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ

(परिशोधन लागत पर)

प्राप्त ईएमडी और सुरक्षा जमा (उस पर प्राप्त ब्याज सहित)	489.78	426.33
पूँजीगत व्यय के लिए लेनदार*	3489.32	368.09
	3979.10	794.42

*इसमें 7 एसीए परियोजना के लेनदार शामिल हैं और पुष्टि के अधीन हैं।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
22 अन्य वर्तमान देनदारियाँ		
वैधानिक देय शुल्क	276.44	364.47
ग्राहकों से अग्रिम राशि	833.04	636.24
बकाया व्यय	1917.03	2044.87
अन्य देय राशियाँ	22.54	23.54
	3049.05	3069.12
22.1 अन्य देय में 12.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष 13.91 लाख रुपये) शामिल हैं, जो कार्यकारी कल्याण निधि के लिए देय राशि 5.22 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5.23 लाख रुपये) और गैर-कार्यकारी कल्याण निधि के लिए रुपये हैं। 7.69 लाख (पिछले वर्ष 8.69 लाख रुपये) जो प्रबंधन के सदों और कर्मचारियों वाली समिति द्वारा प्रशासित होते हैं। रुपये में से. 7.69 लाख (पिछले वर्ष 8.69 लाख) गैर-कार्यकारी कल्याण निधि, 7.70 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7.22 लाख) की राशि बैंक ऑफ बड़ौदा, बेंगलुरु में सावधि जमा के रूप में रखी गई है।		
22.2 ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि, व्यक्तियों से प्राप्त राशि को दर्शाती है, जो अधिकतर बिक्री के मद में प्राप्त होती है। चूंकि मिलान के अधीन भुगतान करने वाले ग्राहक का विवरण उपलब्ध है, इसलिए इसे ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि के रूप में लेखांकित किया गया है।		
22.3 बकाया व्यय में 1874.94 लाख रुपये की राशि शामिल है, जिसमें सी एंड एफ कमीशन, बिक्री प्रोत्साहन, एसए कमीशन और अन्य ऐसी देनदारियों के रूप में दर्ज विभिन्न देनदारियाँ शामिल हैं। कुल 1874.94 लाख रुपये में से 791.25 लाख रुपये की राशि एक वर्ष से अधिक पुरानी है, जिसके लिए तदर्थ प्रावधान किया गया था। इस देनदारी को संबंधित आपूर्तिकर्ता खालों में दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि इसे तदर्थ प्रावधान के रूप में दर्ज किया गया है।		
23 वर्तमान प्रावधान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट 18 भी देखें)		
बीमारी के लिए अवकाश	20.60	19.68
ग्रेच्युटी	128.95	122.72
सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान	25.00	5.00
प्रावधान अन्य		
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	65.01	
आकस्मिक स्थितियों के लिए प्रावधान	233.25	238.25
	472.81	385.65

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
24. संचालन से राजस्व		
(क) उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	42639.30	48516.77
निर्यात	3494.01	4240.57
	46133.31	52757.34
(ख) अन्य परिचालन राजस्व		
ऋण लाइसेंस श्रम	71.70	99.58
स्क्रेप बिक्री	32.03	32.74
	103.73	132.32
	46237.04	52889.66
इंड एस 115 से संबंधित प्रकटीकरण		
अनुबंधित कीमत	46867.47	53279.92
समायोजन		
- छूट	24.95	26.01
- बिक्री वापसी	489.44	294.67
- परिसमाप्त क्षति	219.77	201.90
	46133.31	52757.34
25. अन्य आय		
बैंकों से ब्याज	321.16	212.41
दूसरों से ब्याज	6.80	9.24
निर्यात प्रोत्साहन	84.39	50.81
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लाभ (शुद्ध)	35.73	65.96
माल भाड़ा वसूल किया गया	0.00	3.06
पार्टियों से छूट प्राप्त हुई	0.85	9.48
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखे गए	275.21	340.70
अतिरिक्त प्रावधान उलट दिया गया	17.37	38.14
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0.00	4.95
स्क्रेप विनिर्माण के अलावा	3.68	3.07
अन्य गैर परिचालन आय	5.95	11.86
	751.14	749.68
26 उपभोग की गई सामग्री की लागत		
क. कच्चा माल		
I. स्वदेशी	12562.87	18286.18
II. आयातित	0.00	0.00
	12562.87	18286.18

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
26 ख. बैंकिंग सामग्री		
I. स्वदेशी	3339.46	4687.42
	3339.46	4687.42
(क+ख)	15902.33	22973.60
कम: सेनबैट क्रेडिट	0.00	0.00
कम: बैट क्रेडिट	0.00	0.00
जोड़ें: जीएसटी क्रेडिट अयोग्य	172.83	0.00
शुद्ध उपभोग	16075.16	22973.60
<p>टिप्पणी: मार्च 2019 के दौरान, कंपनी ने उपभोग की गई सामग्री की लागत खाते में जमा करके 258.05 लाख रुपये की अतिरिक्त जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। इसमें से 85.22 लाख रुपये की आंशिक राशि वर्ष 2019-20 में वापस कर दी गई और शेष 172.83 लाख रुपये चालू वित्तीय वर्ष में वापस कर दी गई है और इसे उपभोग की गई सामग्री की लागत खाते में डेबिट कर दिया गया है।</p>		
27 तैयार माल, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन		
शुरुआती स्टॉक:		
कार्य प्रगति पर है	1177.84	528.66
तैयार माल	2479.51	3014.95
स्टॉक-इन-ट्रेड	870.25	615.41
	4527.60	4159.02
कम: का समापन स्टॉक:		
कार्य प्रगति पर है	1079.21	1177.84
तैयार माल	2302.50	2479.51
स्टॉक-इन-ट्रेड	639.86	870.25
	4021.57	4527.60
सीएसआर व्यय के तहत तैयार माल की आपूर्ति	0.00	8.55
	506.03	(377.13)
28 कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, बोनस और भत्ते	6683.19	6308.74
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	860.18	798.20
कामगारों और कर्मचारियों के कल्याण व्यय	996.98	942.30
	8540.35	8049.24

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
29 वित्त लागत		
बैंक उधार पर व्याज	1.43	25.14
अन्य व्याज	94.70	562.74
	96.13	587.88
30 मूल्यहास और परिशोधन व्यय		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास	750.53	731.13
पट्टे पर ली गई संपत्तियों पर परिशोधन	80.54	26.06
	831.07	757.19
31 अन्य व्यय		
- विनिर्माण व्यय		
उपभोज्य भंडार और पुर्जे	189.76	143.34
प्रयोगशाला व्यय	104.01	203.10
बिजली और ईंधन	1134.47	1097.55
भवन की मरम्मत	254.12	160.42
मशीनरी की मरम्मत	305.46	246.89
संविदा श्रम शुल्क	2008.16	1817.57
अन्य विनिर्माण व्यय	556.28	1093.27
	4552.26	4762.14
- बिक्री और वितरण व्यय		
बाहर का सामान	663.83	752.48
कमीशन और छूट	3647.24	4297.60
विज्ञापन, बिक्री और वितरण व्यय	435.67	304.02
	4746.74	5354.10
- स्थापना व्यय		
किराया	19.35	15.20
दरें और कर	211.41	179.50
यात्रा और परिवहन	653.00	634.14
कानूनी और पेशेवर शुल्क	99.82	130.31
सामान्य रखरखाव व्यय	241.44	248.87
बैंक कमीशन और शुल्क	34.03	45.93
बीमा शुल्क	34.70	31.86
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षक के रूप में	5.55	5.55
संचार व्यय	17.27	15.66
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	38.94	43.34
विविध प्राप्य राशियाँ बट्टे खाते में	86.57	9.99
भर्ती और प्रशिक्षण व्यय	10.07	4.66

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विविध व्यय	183.12	142.17
सीएसआर व्यय	65.01	63.18
पट्टा पुनर्माप हानि	0.00	37.29
अन्य प्रावधान	299.02	173.25
	1999.30	1780.90
	11298.30	11897.14
<p>(दरें एवं करों में ₹132.75 लाख (पिछले वर्ष ₹116.44 लाख) का जीएसटी शामिल है, जो नमूना औषधियों की बिक्री पर अदा किया गया है, जिस पर जीएसटी क्रेडिट के लिए पात्रता नहीं है।)</p>		
<p>32. प्रतिधारित आय के अंतर्गत अन्य व्यापक आय के घटक</p>		
<p>क (i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा</p>		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ (हानि)।	31.83	0.68
उप-कुल	31.83	0.68
<p>क (ii) क(i) पर आयकर</p>		
उप-कुल	(-8.01)	(0.17)
	23.82	0.51

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

33. आकस्मिक देयताएं

क) जिन आकस्मिक देनदारियों का प्रावधान नहीं है:

i) कंपनी के विरुद्ध जिन दावा को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रकृति	दिनांक	दिनांक
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बिक्री कर: वैधानिक प्रपत्र प्राप्त न होने पर बिक्री कर में अंतर	18.93	18.93
बिक्री कर: पिछले वर्षों से संबंधित विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील में लंबित बिक्री कर के प्रति दायित्व:		
1. वित्तीय वर्ष 1999-00 के संदर्भ में गॉज़ एवं बैंडेज, फीड सप्लीमेंट्स की कर-मुक्त बिक्री तथा निर्यात बिक्री को अस्वीकृत करते हुए स्थानीय विक्रय कर (एलएसटी) अधिरोपित किया गया।	7.33	7.33
2. वित्तीय वर्ष 1999-00 के संदर्भ में गॉज़ एवं बैंडेज, फीड सप्लीमेंट्स की कर-मुक्त बिक्री तथा निर्यात बिक्री को अस्वीकृत करते हुए केंद्रीय विक्रय कर (सीएसटी) अधिरोपित किया गया।	0.19	0.19
3. वित्तीय वर्ष 2000-01 के संदर्भ में गॉज़ एवं बैंडेज, फीड सप्लीमेंट्स की कर-मुक्त बिक्री तथा निर्यात बिक्री को अस्वीकृत करते हुए स्थानीय विक्रय कर (एलएसटी) अधिरोपित किया गया।	7.14	7.14
4. वित्तीय वर्ष 2000-01 के संदर्भ में गॉज़ एवं बैंडेज, फीड सप्लीमेंट्स की कर-मुक्त बिक्री तथा निर्यात बिक्री को अस्वीकृत करते हुए केंद्रीय विक्रय कर (सीएसटी) अधिरोपित किया गया।	3.73	3.73
5. अन्य दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
क. कर्मचारी संबंधी कानूनी मामले	83.00	72.00

ख) पूंजीगत मदों पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य (अग्रिमों की कटौती के पश्चात), जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ₹ 19,401.91 लाख है (पिछले वर्ष ₹ 10,782.25 लाख)।

भारत सरकार ने पत्र संख्या 3-35011/1/2023- दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अंतर्गत 7 एसीए (एमिनोसेफालोस्पोरानिक अम्ल) के विनिर्माण हेतु ₹ 28,875 लाख की लागत से पूंजीगत व्यय किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है।

ग) दिनांक 31.03.2024 तक जारी एवं बकाया बैंक गारंटी ₹ 596.49 लाख है (पिछले वर्ष ₹ 788.77 लाख)।

34. कर्मचारी लाभ:

(क) **ग्रेच्युटी योजना:** कंपनी के पास एक निश्चित लाभ योजना है, जो ग्रेच्युटी (सेवानिवृत्ति लाभ) भुगतान की व्यवस्था प्रदान करती है। कंपनी ने जीवन बीमा निगम, भारत के साथ समूह ग्रेच्युटी योजना मास्टर पॉलिसी ली है। यह ग्रेच्युटी पॉलिसी योग्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के समय एकमुश्त ग्रेच्युटी भुगतान प्रदान करती है। भुगतान की राशि प्रत्येक कर्मचारी के अंतिम वेतन और कंपनी में सेवा वर्षों के आधार पर निर्धारित होती है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

निम्नलिखित सारणी में ग्रेच्युटी (फंडेड) योजना की स्थिति को इंड एएस 19 के अनुसार दर्शाया गया है।

मान्यता प्राप्त व्यय	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
वर्तमान सेवा लागत	203.59	189.58
व्याज लागत	262.82	259.53
योजना परिसंपत्तियों की अपेक्षित वापसी	(250.96)	(240.18)
लाभ और हानि के बिबरण में व्यय को मान्यता दी गई	215.45	208.93

दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य और योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य	3436.99	3431.40
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	(3735.74)	(3694.15)
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति / (देयता)	(298.75)	(262.75)

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	
	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
प्रारंभिक निश्चित दायित्व	3694.15	3644.77
व्याज लागत	262.82	259.53
वर्तमान सेवा लागत	203.59	189.58
भुगतान किए गए लाभ	(425.99)	(359.44)
पुनर्मापन के कारण:		
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण आकस्मिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण आकस्मिक (लाभ)/हानि	71.42	44.92
अनुभव में परिवर्तनों के कारण आकस्मिक (लाभ)/हानि	(70.27)	(85.21)
समाप्ति पर निश्चित लाभ दायित्व	3735.74	3694.15

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियाँ, बास्तविक मूल्य पर	3431.39	3182.57
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी (अनुमानित)	250.96	240.18
योगदान	211.29	407.70
निपटाए गए लाभ	(425.99)	(359.44)
योजना परिसंपत्तियों पर आकस्मिक लाभ / (हानि)	(30.68)	(39.61)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियाँ, बास्तविक मूल्य पर	3436.99	3431.40

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

तुलन-पत्र में दर्ज देयता में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
प्रारंभिक देयता	262.75	462.20
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	215.46	208.93
ओसीआई में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन प्रभाव	31.83	(0.68)
भुगतान किया गया योगदान	(211.29)	(407.70)
समाप्ति पर देयता	298.75	262.75

अन्य व्यापक आय	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
आकस्मिक (हानि)/लाभ:		
- जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	0.00	0.00
- वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	71.42	44.92
- अनुभव में परिवर्तनों के कारण	(70.27)	(85.21)
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल दर (छूट दर) से अधिक/कम प्रतिफल	30.68	39.61
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल पुनर्मापन प्रभाव	31.83	(0.68)

मूल्यांकन तिथि पर की गई मान्यताएँ	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
छूट कारक	7.25%	7.55%
बेतन वृद्धि दर	9.00%	9.00%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर (अपेक्षित)	7.55%	7.49%
संघर्षण दर	10.00%	10.00%
मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012-14) (अल्टीमेट)	

संवेदनशीलता का विश्लेषण	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
31.03.2023 की स्थिति में प्रमुख मान्यताओं के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नलिखित है:	डीबीओ में वृद्धि (कमी)	डीबीओ में वृद्धि (कमी)
छूट दर + 100 आधार अंक	(211.51)	(200.09)
छूट दर- 100 आधार अंक	238.13	224.67
बेतन वृद्धि 100 आधार अंक	104.60	101.66
बेतन वृद्धि - 100 आधार अंक	(114.70)	(113.10)
संघर्षण दर + 100 आधार अंक	(12.20)	(8.93)
संघर्षण दर 100 आधार अंक	13.75	10.24
मृत्यु दर में 10% की वृद्धि	(0.29)	(0.20)

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

योजना परिसंपत्तियों का पृथक्करण: परिसंपत्ति श्रेणी के अनुसार 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को ग्रेच्युटी योजना का भारित-औसत परिसंपत्ति आवंटन इस प्रकार था:

विवरण	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
बीमाकर्ताओं द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
अन्य	-	-

31 मार्च, 2024 तक ग्रेच्युटी के संबंध में अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह निम्नलिखित थे:

संवेदनशीलता का विश्लेषण	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
अपेक्षित योगदान		
समाप्त वर्ष के दौरान	128.94	122.72
भविष्य में अपेक्षित लाभ भुगतान		
31 मार्च 2024	-	524.81
31 मार्च 2025	492.98	486.36
31 मार्च 2026	511.47	487.33
31 मार्च 2027	442.80	419.70
31 मार्च 2028	395.83	375.98
31 मार्च 2029	357.46	-
अगले 5 साल का भुगतान (31 मार्च 2029-2033 को समाप्त वर्ष)	1307.12	1316.41
दस वर्ष से अधिक का भुगतान	2952.18	2801.86
निहित लाभ दायित्व यथावत	3640.21	3638.42

(ख) भविष्य निधि के लाभ: कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में भविष्य निधि योजना में 643.35 लाख और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष में ₹ 587.71 लाख का योगदान दिया।

(ग) प्रतिपूर्ति योग्य अवकाश: कंपनी द्वारा अर्जित अवकाश दायित्व के लिए दर्ज कुल देयता 31 मार्च, 2024 को ₹2,110.95 लाख और 31 मार्च, 2023 को ₹ 1,989.58 लाख थी। कंपनी द्वारा बीमार अवकाश दायित्व के लिए दर्ज कुल देयता 31 मार्च, 2024 को ₹ 398.23 लाख और 31 मार्च, 2023 को 392.61 लाख थी।

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस): कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (बीआरएस) को मंजूरी नहीं दी है।

(ङ) सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना: भारत सरकार के आदेशों के पालन में, निदेशक मंडल ने अपनी 171वीं बैठक में 01.01.2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों या कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके पति/पत्नी के लिए “केएपीएल पोस्ट सुपरनेशन स्वास्थ्य बीमा योजना नामक योजना के लागू करने को स्वीकृति दी। आदेश के अनुसार अधिकतम योगदान लाभ कर पूर्व लाभ () का 1.50% निर्धारित है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 25.00 लाख (पिछले वर्ष 2.5.00 लाख) का प्रावधान किया गया है। कंपनी ने इस योजना के प्रशासन हेतु एक ट्रस्ट स्थापित किया है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

35. **खंडीय जानकारी:** यह कंपनी मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन के निर्माण और विपणन के एक ही व्यवसाय क्षेत्र में लगी हुई है और अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए एक इकाई के रूप में प्रबंधित होती है तथा समान जोखिमों और प्रतिफलों द्वारा शासित होती है। अतः, कोई भी प्राथमिक खंड रिपोर्ट करने योग्य नहीं है।

भौगोलिक खंड: प्रबंधन के दृष्टिकोण से, भारतीय और निर्यात बाजार भौगोलिक खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बाजार के अनुसार बिक्री – भौगोलिक बाजार के अनुसार कंपनी की बिक्री का वितरण निम्नलिखित है:

भौगोलिक खंड	2023-24	2022-23
भारत	42639.30	48516.77
भारत के नाहर	3494.00	4240.57
कुल	46133.30	52757.34

खंड परिसंपत्तियों की वहन राशि:

भौगोलिक खंड	2023-24	2022-23
भारत	42010.04	40546.03
भारत के बाहर	471.50	500.75
कुल	42481.54	41046.78

वर्ष के दौरान ऐसे खंडीय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण प्राप्त करने पर हुए कुल व्यय, जिन्हें एक से अधिक अवधि के लिए उपयोग किए जाने की अपेक्षा है:

भौगोलिक खंड	भारत 2023-24	भारत के बाहर 2023-24	भारत 2022-23	भारत के बाहर 2022-23
मूर्त परिसंपत्तियों	7473.96	-	1557.34	-
अमूर्त परिसंपत्तियों	-	-	-	-

36. **प्रति शेयर आय की गणना (बेसिक और डाइल्यूटेड):**

विवरण	2023-24	2022-23
1. इक्विटी शेयरों की संख्या	13,49,000	13,49,000
2. प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹ में)	₹ 100.00	₹ 100.00
3. इक्विटी शेयरों से संबंधित शुद्ध लाभ	₹ 1,131.99	₹ 2,488.79
4. बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस (₹ में)	₹ 83.91	₹ 184.49

37. पट्टा:**(I) कंपनी एक पट्टेदार के रूप में****पट्टे**

यदि कोई अनुबंध किसी निश्चित अवधि के लिए किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रतिफल के बदले में प्रदान करता है, तो वह अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है।

परिचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी की पट्टा संपत्ति वर्ग मुख्य रूप से भवन और भूमि के पट्टों से संबंधित हैं। कंपनी पट्टे की शुरुआत की तिथि पर अंतर्निहित संपत्ति के उपयोग के अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली राइट ऑफ-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है। आरंभ में मापी गई राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति की लागत में पट्टा दायित्व के प्रारंभिक मापन की राशि शामिल होती है, जिसे शुरुआत की लिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के अनुसार समायोजित किया जाता है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाया जाता है, साथ ही प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और पट्टेदार द्वारा अंतर्निहित संपत्ति को हटाने या उसे बहाल करने या उस स्थल/साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए किए जाने वाले अनुमानित खर्च शामिल होते हैं। बाद में राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों को लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें किसी भी संचित मूल्यहास, संचित हासहानि (यदि कोई हो) को घटाया जाता है और पट्टा दायित्व के पुनर्मापन के लिए समायोजन किया जाता है। राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों का मूल्यहास पट्टे की शुरुआत की तिथि से सीधे रेखीय विधि द्वारा किया जाता है, जो पट्टे की अवधि और राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में छोटे समय पर आधारित होता है। राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के समान आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि परिसंपत्ति के मूल्यहास पुनः प्राप्त न किए जाने का कोई संकेत मिलता है, तो राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों का हास परीक्षण किया जाता है और हास होने पर इसे लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी पट्टा दायित्व को पट्टे की शुरुआत की तिथि पर भुगतान न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापती है। पट्टा भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूटित किया जाता है, यदि यह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं हो सकती, तो कंपनी इन्क्रीमेंटल बॉरोइंग रेट का उपयोग करती है।

कंपनी ने 12 महीने या उससे कम अवधि के सभी परिसंपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों और उन पट्टों पर, जिनमें अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम है, इंड एस 116 पट्टे की आवश्यकताओं को लागू न करने का विकल्प चुना है। इन पट्टों से संबंधित भुगतान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों का मूल्यहास पट्टे की शुरुआत की तिथि से सीधे रेखीय विधि के आधार पर किया जाता है, जो पट्टे की अवधि और अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन में छोटे समय पर आधारित होता है। पट्टा दायित्व को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट के रूप में मापा जाता है। पट्टा भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूटित किया जाता है, या यदि यह दर आसानी से निर्धारित न की जा सके, तो इन पट्टों के देश की इन्क्रीमेंटल बॉरोइंग रेट का उपयोग किया जाता है। यदि समूह अपने मूल्यांकन को बदलता है कि वह पट्टे का विस्तार या समाप्ति विकल्प उपयोग करेगा या नहीं, तो पट्टा दायित्व को पुनर्मापा जाता है और संबंधित राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति में समायोजन किया जाता है।

पट्टा दायित्व और राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह में वर्गीकृत किया गया है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

परिसंपत्ति निर्माण के उपयोग के अधिकार का मूल्य वहन करना

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रारंभिक शेष सकल ब्लॉक	995.14	362.63
जमा: परिवर्धन	0.00	738.88
कम: पुनः माप	0.00	19.16
कम: संचित मूल्यहास	87.57	87.21
समापन शेष	907.57	995.14

पट्टे की देनदारियों में बदलाव

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रारंभिक शेष	622.62	308.76
जमा: परिवर्धन	0.00	360.76
जमा: पुनः माप	0.00	7.49
कम: पट्टा देनदारियों का भुगतान	68.25	54.39
समापन शेष	554.37	622.62

वर्तमान और गैर-वर्तमान पट्टा देनदारियों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
गैर-चालू पट्टा देनदारियां	431.39	554.37
वर्तमान पट्टा देनदारियां	122.98	68.25
कुल	554.37	622.62

पट्टे की देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
एक वर्ष से कम	122.98	68.25
एक से पाँच वर्ष	172.45	193.68
पाँच साल से अधिक	258.94	360.69
कुल	554.37	622.62

38. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय

(क) कुल खर्च की जाने वाली राशि - ₹65.01 लाख (पिछले वर्ष ₹63.18 लाख)

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

क्र.सं.	विवरण	भुगतान किया गया	अभी भुगतान होना बाकी है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य (पि.व.शून्य)	शून्य (पि.व.शून्य)	शून्य (पि.व.शून्य)
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	शून्य (पि.व. 63.18)	65.01 (पि.व.शून्य)	65.01 (पि.व. 63.18)

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	65.01	63.18
(ii) किए गए व्यय की राशि	65.01	63.18
(iii) वर्ष के अंत में कमी	0.00	0.00
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी	0.00	0.00
(v) कमी का कारण	-	-
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	स्वास्थ्य एवं शिक्षा
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	-	-
(viii) जहां किसी दायित्व के संबंध में कोई प्रावधान किया जाता है संविदात्मक दायित्व, वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले उतार-चढ़ाव को अलग से दिखाया जाएगा।	-	-

(सभी राशियाँ लाख रुपये में है. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

39. वास्तविक मूल्य मापन

(क) नीचे दिए गए सेट में, कंपनी के वित्तीय साधनों की वहन राशियों और उचित मूल्य की श्रेणी के अनुसार तुलना की गई है, उन अन्य राशियों के अलावा जो उचित मूल्यों के उचित अनुमान हैं:

31 मार्च, 2024 तक

विवरण	परिशोधित लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:					
- व्यापार देयियाँ	12025.00	0.00	0.00	12025.00	12025.00
- नकद एवं नकद समकक्ष	2360.17	0.00	0.00	2360.17	2360.17
- अन्य बैंक शेष	2019.09	0.00	0.00	2019.09	2019.09
- ऋण	61.38	0.00	0.00	61.38	61.38
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों	785.72	0.00	0.00	785.72	785.72
कुल	17251.36	0.00	0.00	17251.36	17251.36
वित्तीय देयताएँ:					
- उधारियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- व्यापार देय					
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	676.70	0.00	0.00	676.70	676.70
• अन्य को देय	6183.59	0.00	0.00	6183.59	6183.59
पट्टा देयताएँ	554.37	0.00	0.00	554.37	554.37
- अन्य वित्तीय देयताएँ	3979.10	0.00	0.00	3979.10	3979.10
कुल	11393.76	0.00	0.00	11393.76	11393.76

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

31 मार्च, 2023 तक

विवरण	परिशोधित लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य एफवीटीपीएल)	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:					
- व्यापार देयियाँ	12312.07	0.00	0.00	12312.07	12312.07
- नकद एवं नकद समकक्ष	1478.26	0.00	0.00	1478.26	1478.26
- अन्य बैंक शेष	4788.02	0.00	0.00	4788.02	4788.02
- ऋण	98.35	0.00	0.00	98.35	98.35
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों	627.43	0.00	0.00	627.43	627.43
कुल	19304.13	0.00	0.00	19304.13	19304.13
वित्तीय देयताएँ:					
- उधारियाँ	75.68	0.00	0.00	75.68	75.68
- व्यापार देय					
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	2420.65	0.00	0.00	2420.65	2420.65
• अन्य को देय	7144.67	0.00	0.00	7144.67	7144.67
पट्टा देयताएँ	622.62	0.00	0.00	622.62	622.62
- अन्य वित्तीय देयताएँ	794.42	0.00	0.00	794.42	794.42
कुल	11058.03	0.00	0.00	11058.03	11058.03

उचित मूल्य पदानुक्रम

- स्तर 1 - सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए उद्धृत (बिना समायोजित) मूल्य।
 स्तर 2 - स्तर 1 में सम्मिलित उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त ऐसे इनपुट, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष (अर्थात् मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (अर्थात् मूल्यों से व्युत्पन्न) रूप से प्रेक्षणीय हों।
 स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए ऐसे इनपुट, जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित न हों (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

40. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियों उसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों, जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा तरलता जोखिम, के प्रति उजागर करती है। कंपनी का प्रमुख जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बाजार जोखिम के उसकी वित्तीय कार्यप्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन आकलन, नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ इस प्रकार स्थापित की गई हैं कि कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की पहचान और विश्लेषण किया जा सके, उपयुक्त जोखिम सीमाएँ एवं नियंत्रण निर्धारित किए जा सके तथा ऐसे जोखिमों और उनके अनुपालन की निरंतर निगरानी की जा सके। जोखिम आकलन और प्रबंधन संबंधी नीतियों एवं प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, ताकि बाजार परिस्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों को परिलक्षित किया जा सके। निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति कंपनी की जोखिम आकलन और प्रबंधन नीतियों एवं प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी की नीति के अनुसार सट्टात्मक उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव्स में किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं किया जाता है।

क. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसके अंतर्गत यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन से संबंधित प्रतिपक्ष अपनी संविदात्मक देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो कंपनी को वित्तीय हानि हो सकती है। यह जोखिम मुख्यतः ग्राहकों से प्राप्तियों के संबंध में उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का प्रबंधन ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं, ऋण सीमाओं के निर्धारण तथा सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

दौरान जिन ग्राहकों को ऋण शर्तें प्रदान की जाती हैं, उनकी ऋण-योग्यता की निरंतर निगरानी के माध्यम से किया जाता है। कंपनी निवेशों, व्यापार देयियों तथा अन्य प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षित हानियों के अपने आकलन का प्रतिनिधित्व करने हेतु ऋण हानि और हास के लिए प्रावधान स्थापित करती है।

व्यापार एवं अन्य प्राप्तियाँ

कंपनी का ऋण जोखिम के प्रति जोखिम उद्भासन मुख्यतः प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, जिसमें उस उद्योग और देश का डिफॉल्ट जोखिम भी शामिल है जिसमें ग्राहक कार्यरत है, ऋण जोखिम के आकलन को प्रभावित करती है। ऋण जोखिम का प्रबंधन ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं, ऋण सीमाओं के निर्धारण तथा सामान्य व्यावसायिक संचालन के दौरान जिन ग्राहकों को ऋण शर्तें प्रदान की जाती हैं, उनकी ऋण योग्यता की निरंतर निगरानी के माध्यम से किया जाता है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो न तो अतिदेय हैं और न ही अवमूल्यित हैं।

31 मार्च, 2024 की स्थिति में कंपनी के किसी भी नकद समकक्ष, जिसमें बैंकों के साथ सावधि जमा (अर्थात् जमा प्रमाणपत्र) शामिल हैं, न तो अतिदेय थे और न ही अवमूल्यित थे।

अतिदेय किन्तु अवमूल्यित नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों

कंपनी द्वारा ग्राहकों को सामान्यतः 30 से 180 दिनों की ऋण अवधि प्रदान की जाती है। जो व्यापार प्राप्तियों देय नहीं है तथा जो अतिदेय तो हैं परंतु अवमूल्यित नहीं की गई हैं, उनका आयु-वर्गीकरण निम्नानुसार है:

विवरण	2023-24	2022-23
< 6 महीने	8333.93	9858.95
> 6 महीने से 1 साल तक	1282.00	933.70
> 1 वर्ष से 2 वर्ष तक	1625.54	1190.48
> 2 वर्ष और उससे अधिक	783.53	328.94
कुल	12025.00	12312.07

व्यापार प्राप्य के अलावा, कंपनी के पास वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई महत्वपूर्ण वर्ग नहीं है जो बकाया हो लेकिन क्षतिग्रस्त न हो।

ऋण हानि के लिए भत्तों का समाधान

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ऋण हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-23
1 अप्रैल को शेष राशि	669.89	526.55
वर्ष के दौरान किये गये परिवर्धन	760.83	251.41
वर्ष के दौरान किया गया उलटफेर	(669.89)	(108.07)
31 मार्च तक शेष राशि	760.83	669.89

इंड एस 109 को अपनाने के कारण, कंपनी हानि हानि का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि राशि की गणना करने के लिए एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान मैट्रिक्स बाहरी और आंतरिक क्रेडिट जोखिम कारकों और विभिन्न ग्राहकों से क्रेडिट घाटे के ऐतिहासिक डेटा को ध्यान में रखता है। प्रबंधन का मानना है कि 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रेडिट हानि भत्ते में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

ऋण और अग्रिम

ऋण और अग्रिम मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों (ईएमडी) और ठेकेदारों को दिए जाते हैं।

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के प्रावधान में बदलाव का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	2023-24	2022-23
1 अप्रैल को शेष राशि	54.34	7.12
वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया		
वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम बढ़ते खाते में डाले गए		
वर्ष के दौरान प्रावधान प्रत्यावर्तित		
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव		
31 मार्च तक शेष राशि	54.34	7.12

ख. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसके अंतर्गत कंपनी अपनी वित्तीय देनदारियों को उनकी देयता पर पूरा करने में असमर्थ हो सकती है। कंपनी अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करके करती है कि सामान्य और दबावपूर्ण परिस्थितियों दोनों में, जब भी देयताएँ आएँ, कंपनी के पास उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो, बिना अस्वीकार्य हानियों या कंपनी की प्रतिष्ठा को जोखिम में डाले।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधारी सुविधाएँ शामिल हैं) और नकद एवं नकद समकक्ष का लगातार निरीक्षण करता है। यह निरीक्षण सामान्यतः कंपनी के संचालन खंडों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है, प्रबंधन द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार। ये सीमाएँ स्थान के अनुसार बदलती हैं ताकि उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखा जा सके जिसमें संस्था कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान करना, आवश्यक तरल परिसंपत्तियों का स्तर निर्धारित करना, आंतरिक और बाहरी नियामक आवश्यकताओं के खिलाफ बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

रिपोर्टिंग वर्षों के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित कार्यशील पूंजी थी:

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्तमान परिसंपत्तियाँ (क)	25646.80	28251.38
वर्तमान देनदारियाँ (ख)	14484.23	13958.44
कार्यशील पूंजी (ग) = (क-ख)	11162.57	14292.94

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं। जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नीचे दी गई तालिका महत्वपूर्ण देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में विवरण प्रदान करती है।

31 मार्च, 2024 तक

विवरण	2025	2026	2027	2028	इसके बाद	कुल
गैर-चालू उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय	6860.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6860.29
वर्तमान उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	3979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3979.10
पट्टे की देनदारियाँ	68.23	78.85	90.62	24.19	360.70	622.59
कुल	10907.62	78.85	90.62	24.19	360.70	11461.98

31 मार्च, 2023 तक

विवरण	2024	2025	2026	2027	इसके बाद	कुल
गैर-चालू उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय	9565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9565.32
वर्तमान उधार	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	75.68
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	794.42	0.00	0.00	0.00	0.00	794.42
पट्टे की देनदारियाँ	68.25	78.85	90.62	24.19	360.70	622.61
कुल	10503.67	78.85	90.62	24.19	360.70	11058.03

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसके अंतर्गत भविष्य की आय, वास्तविक मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में हानि हो सकती है, जो बाजार दरों और मूल्यों (जैसे ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें और वस्तु मूल्य) में प्रतिकूल बदलावों या ऐसे प्रतिकूल बदलावों के कारण बाजार जोखिम संवेदनशील उपकरणों के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न हो सकती है। बाजार जोखिम सभी बाजार जोखिम संवेदनशील वित्तीय उपकरणों, सभी विदेशी मुद्रा प्राप्तियों और देयताओं, तथा सभी अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋणों से जुड़ा होता है। कंपनी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम से संबंधित बाजार जोखिम के प्रति उजागर है। अतः, कंपनी का बाजार जोखिम के प्रति जोखिम निवेश और उधारी गतिविधियों तथा विदेशी मुद्राओं में राजस्व उत्पन्न करने और संचालन गतिविधियों का फल है।

घ. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम उसकी विदेशी मुद्रा आय और व्यय (मुख्यतः अमेरिकी डॉलर में) से उत्पन्न होता है। यह जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन-देन और कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपये) के अलावा किसी अन्य मुद्रा में अंकित मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों से भी उत्पन्न होता है। कंपनी की निर्यात आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी विदेशी मुद्रा में है, जबकि इसकी लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय रुपये में है। परिणामस्वरूप, यदि भारतीय रुपये का मूल्य इन विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष बढ़ता है, तो भारतीय रुपये में मापी गई कंपनी की आय में कमी आ सकती है। हाल के समय में भारतीय रुपये और इन विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में काफी बदलाव आया है और भविष्य में भी इसमें काफी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2024 तक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है
(\$ लाखों में)

विवरण	अमेरिकी डॉलर \$	अन्य	कुल
परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्तियाँ	5.96	-	5.96
कुल	5.96		5.96
देनदारियाँ			
व्यापार देयताएँ	-	-	-
कुल	-	-	-

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2023 तक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है
(\$ लाखों में)

विवरण	अमेरिकी डॉलर \$	अन्य	कुल
परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्तियाँ	5.99	-	5.99
कुल	5.99	-	5.99
देनदारियाँ			
व्यापार देयताएँ	-	-	-
कुल	-	-	-

निम्नलिखित तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है:

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
यूएसडी की संवेदनशीलता		
₹ / यूएसडी - 2% की वृद्धि	9.93	9.85
₹ / यूएसडी - 2% की कमी	(9.93)	(9.85)

ड. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी की निश्चित दर उधार परिशोधन लागत पर ली जाती है। इसलिए वे इंड एएस 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो बहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। इसके अलावा, जमा राशि में कंपनी का निवेश बैंकों और बिजली प्राधिकरणों के पास है और इसलिए कंपनी को महत्वपूर्ण ब्याज दरों के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं। जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

कंपनी की परिवर्तनीय दर उधार ब्याज दर जोखिम के अधीन है। निश्चित दर और परिवर्तनीय दर उपकरणों के संपर्क का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
निश्चित दर वाले उपकरण		
वित्तीय पूंजी		
वित्तीय देनदारियां	0.00	75.68
परिवर्तनीय दर उपकरण		
वित्तीय देनदारियां	0.00	0.00

सावधि जमा में कंपनी का निवेश बैंकों में है और इसलिए कंपनी को महत्वपूर्ण व्याज दरों के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है।

कमोडिटी दर जोखिम

कमोडिटी की कीमतों के संबंध में बाजार जोखिम का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की सक्रिय दवा सामग्री और तैयार खुराक फॉर्मूलेशन की खरीद और बिक्री से उत्पन्न होता है, जिसमें ऐसी सक्रिय दवा सामग्री और तैयार खुराक के लिए कच्चे माल के घटक भी शामिल हैं। ये कमोडिटी उत्पाद हैं, जिनकी कीमतों में कम समय में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है। कंपनी के कच्चे माल की कीमतें आम तौर पर कमोडिटी चक्रों के अनुरूप उतार-चढ़ाव करती हैं, हालांकि कंपनी के सक्रिय दवा सामग्री व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की कीमतें आम तौर पर अधिक अस्थिर होती हैं। कच्चे माल की लागत कंपनी के परिचालन खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा है। कमोडिटी मूल्य जोखिम जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन परिचालन प्रक्रियाओं और सोर्सिंग नीतियों के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचाव के लिए किसी भी डेरिवेटिव अनुबंध में प्रवेश नहीं किया था।

41. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करना है, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रख सकें। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को दिए गए लाभांश की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है या कर्ज कम करने के लिए संपत्ति बेच सकती है।

उद्योग में अन्य लोगों के अनुरूप, कंपनी निम्नलिखित गियरिंग अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है:

शुद्ध ऋण (नकद और नकद समकक्षों को मिलाकर कुल उधार) को कुल इक्विटी और शुद्ध ऋण से विभाजित किया जाता है (जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाया गया है)

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

गियरिंग अनुपात इस प्रकार थे:

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
उधार	0.00	75.68
कम: नकद और नकद समकक्ष	2360.17	1478.26
शुद्ध ऋण (क)	-	-
इक्विटी शेयर पूंजी	1349.00	1349.00
अन्य इक्विटी	25542.07	24644.28
कुल इक्विटी (ख)	26891.07	25993.28
इक्विटी और शुद्ध ऋण (ग) = (क+ख)	26891.07	25993.28
गियरिंग अनुपात (क/ग)	लागू नहीं	लागू नहीं

इस समय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी के पूंजी प्रबंधन का अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करना है कि यह उधार से जुड़ी वित्तीय संविदाओं को पूरा करता है जो पूंजी संरचना आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं। वित्तीय अनुबंधों को पूरा करने में उल्लंघन से बैंक को तुरंत ऋण और उधार लेने की अनुमति मिल जाएगी। वर्तमान अवधि में किसी भी उधार के वित्तीय अनुबंधों में कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन नहीं हुआ है।

42. इंड एस 24 के तहत संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

क) क) केएपीएल एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जिसमें भारत सरकार द्वारा 59.17% शेयर और कर्नाटक राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से कर्नाटक सरकार द्वारा 40.83% शेयर है। 31.03.2024 को प्रमोटरों की शेयरधारिता निम्नानुसार है:

क्र. स.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	संबंध
1.	भारत के राष्ट्रपति	798180	59.17	नियंत्रण
2.	केएसआईआईडीसी	550820	40.83	उल्लेखनीय प्रभाव
	कुल	1349000	100.00	

सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी को इंडस्ट्रीज एस 24 के पैरा 25 के तहत सरकार/सरकारी संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

ख) (i) नोट संख्या 28 के तहत कर्मचारी लाभ व्यय में श्री सुनील कुमार कैमल, प्रबंध निदेशक (इंड एस-24 के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक) का पारिश्रमिक शामिल है: (डीओडी-25.3.2024)।

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
क) वेतन एवं भते	41.42	41.63
ख) पीएफ में योगदान	3.74	3.49
ग) अन्य	3.98	3.71
कुल	49.14	48.83

अंतिम निपटान देय ₹48.48 लाख

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

ख) (ii) नोट नंबर 28 के तहत कर्मचारी लाभ व्यय में अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक शामिल है, जो इस प्रकार है

विवरण	मुख्य वित्तीय अधिकारी		कंपनी सचिव	
	31-मार्च-24	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-23
क) वेतन एवं भत्ते	22.17	20.43	20.90	19.25
ख) पीएफ में योगदान	1.87	1.70	1.87	1.70
ग) अन्य	1.76	1.53	0.21	2.71
कुल	25.80	23.66	22.98	23.66

ग) अन्य निदेशकों को बोर्ड बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान इस प्रकार किया जाता है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	31-मार्च-24	31-मार्च-23
1.	श्री टी. के. अनिल कुमार	0.04	0.03
2.	श्री कृष्ण पिल्ली	0.00	0.01
3.	श्री बी टी खानपुरे	0.08	0.05
4.	श्रीमती मधुचंद्र कर	1.00	0.90
5.	डॉ. एम आर रबि	0.01	0.01
6.	श्री सुमित गर्ग	0.00	0.01

43. प्रभावी कर दर का समाधान

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
आयकर पूर्व लाभ	1760.43	3425.40
भारत में लागू कर दर	25.17%	25.17%
गणना किया गया कर व्यय	512.39	876.47
कर उद्देश्यों के लिए व्यय पर कर (कटौती योग्य)/अकटौती योग्य	99.66	117.49
पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन	16.38	(57.35)
आयकर व्यय	628.44	936.61
प्रभावी कर दर	35.70%	27.34%

44. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछले वर्ष ₹15/-) के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है। वास्तविक लाभांश राशि रिकॉर्ड तिथि/पुस्तक बंद होने पर बकाया प्रासंगिक शेयर पूंजी पर निर्भर होगी।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं। जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

45. वर्ष के दौरान प्रावधानों का संचलन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	वर्ष के दौरान प्रदान की गई राशि	वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित की गई राशि	वर्ष के अंत में शेष राशि
आकस्मिक स्थितियों के लिए प्रावधान:				
क) विवादित कानूनी मामले	238.25 (341.25)	0.00 (37.00)	5.00 (140.00)	233.25 (238.25)
कुल	238.25 (341.25)	0.00 (37.00)	5.00 (140.00)	233.25 (238.25)

46. मूल परिसंपत्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) पर अतिरिक्त जानकारी

क. कड़बागोरे – बेंगलुरु में भूमि:

कर्नाटक सरकार ने कड़बागोरे गांव, दसानपुरा होबली, बेंगलुरु उत्तर तालुक में सर्वे नं. 80 (नया नं. 197) में 20 एकड़ और सर्वे नं. 22 (नया नं. 196) में 10 एकड़ भूमि प्रदान की है। सर्वे नं. 22 (नया नं. 196) में 56 पिछड़ा वर्ग के लोग (कर्नाटक के मन्चनबले योजना प्रोजेक्ट से संबंधित) निवास कर रहे थे। इस भूमि पर स्थित बगराकुम कृषक कंपनी को भूमि खाली करने के लिए सहमत नहीं हुए। अंततः मैसर्स. केएपीएल ने बगराकुम कृषकों के साथ आपसी समझौते के माध्यम से मामला सुलझाने पर सहमति दी, और उन्होंने मैसर्स. केएपीएल को शेष भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी। इसलिए, 10 एकड़ में से मैसर्स. केएपीएल के पास सर्वे नं. 22 (नया नं. 196) में 4 एकड़ और 20 गंटास भूमि है। कर्नाटक राजस्व विभाग ने इस संबंध में 31.12.2001 को सरकारी आदेश संख्या आरडी: 193: एलजीबी: 2000, बेंगलुरु जारी किया। सर्वे नं. 80 (नया नं. 197) के संबंध में आरटीसी प्राप्त हो चुका है। हालांकि, वर्तमान में सर्वे नं. 22 के आरटीसी में 10 एकड़ दिखाए गए हैं जबकि वास्तविक रूप से 4 एकड़ 20 गंटास हैं और कंपनी इस मामले की निगरानी कर रही है। 10 एकड़ से 4 एकड़ 20 गंटास तक कम होने के संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा जारी मूल आरटीसी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 10 एकड़ का राजस्व कर स्वीकार कर लिया गया है, जो केएपीएल के स्वामित्व अधिकार (4) एकड़ 20 गंटास की पुष्टि करता है। 4 एकड़ 20 गंटास के लिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। कंपनी ने 25.03.2024 को पुनः पत्र लिखा, जिसे अधिकारियों द्वारा मान्यता दी गई और बेंगलुरु उत्तर तालुक के तहसीलदार को आवश्यक निर्देश दिए गए। कंपनी ने उक्त सर्वे नंबरों के लिए कर्नाटक सरकार से सर्वे रिपोर्ट के लिए आवेदन किया। सर्वे नं. 80 (नया नं. 197) की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें लगभग 3 एकड़ 25 गंटास की अतिक्रमण की जानकारी दी गई। इसके अलावा, सर्वे रिपोर्ट में दिखाए गए अतिक्रमण के अलावा, लगभग 1 एकड़ का अतिरिक्त अतिक्रमण है जिसे रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया है। कंपनी ने राजस्व अधिकारियों से इस अतिरिक्त अतिक्रमण को रिपोर्ट में शामिल करने और सभी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच, कहा गया कि सर्वे रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया है।

कंपनी ने तब से शेष भूमि के हिस्से की बाड़बंदी कर दी है। सर्वे रिपोर्ट में दिखाए गए 3 एकड़ 25 गंटास अतिक्रमण में से, एक अतिक्रमित पार्टी ने कंपनी के खिलाफ बेंगलुरु सिविल जज कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया है, जिसे कंपनी चुनौती दे रही है। इसके बाद, मामला नेलमंगला स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अपनी 131 वीं बैठक, जो 19.02.2010 को हुई, में फेज-1 में 10 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधे उगाने का निर्णय लिया। इसके अनुसार, कड़बागोरे भूमि पर औषधीय पौधे उगाए जा रहे हैं।

कंपनी ने दोनों सर्वे नंबरों की भूमि के सर्वे के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है और लगातार राजस्व विभाग के साथ इस मामले में फॉलो-अप कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा राजस्व विभाग के मुख्य सचिव को 11.07.2018 और 22.03.2019 के पत्रों के माध्यम से सर्वे और अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया। साथ ही, प्रबंध निदेशक द्वारा बेंगलुरु अर्बन जिले के उप आयुक्त को 27.07.2018 और 22.03.2019 को पत्र भेजे गए। भूमि अभिलेख के संयुक्त निदेशक को 18.09.2018 को भी पत्र भेजा गया, जिसके बाद संयुक्त निदेशक ने सहायक निदेशक, भूमि अभिलेख को 11.10.2018 और 21.01.2019 के पत्रों के माध्यम से लिखा। 21.03.2019 को पुनः पत्र लिखा गया। इसके अतिरिक्त, हमने 29.03.2019 को बेंगलुरु उत्तर तालुक के तहसीलदार से भूमि के सर्वे के लिए अनुरोध किया।

2019-20 के दौरान, कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा 20.03.2020 को राजस्व विभाग के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया और कंपनी सचिव एवं सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा 20.03.2020 को बेंगलुरु उत्तर तालुक के तहसीलदार को पत्र भेजा गया। 2020-21 के दौरान, प्रबंध निदेशक द्वारा राजस्व विभाग के मुख्य सचिव को 29.06.2020, 17.12.2020 और 31.03.2021 को पत्र लिखे गए, तथा उप आयुक्त को 29.06.2020 और 31.03.2021 को पत्र भेजे गए। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु उत्तर तालुक के तहसीलदार को 08.07.2020 और 17.12.2020 को और भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक को 21.09.2020 को कंपनी सचिव एवं सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा पत्र लिखा गया।

2021-22 के दौरान, कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा 31.03.2022 को राजस्व विभाग के मुख्य सचिव तथा बेंगलुरु अर्बन जिले के उप आयुक्त को पत्र लिखा गया। इसके उत्तर में, राजस्व विभाग के मुख्य सचिव ने बेंगलुरु अर्बन जिले के आयुक्त को पत्र लिखा, जिसकी प्रति मैसर्स. कर्नाटक एंटीबायोटेक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को 20.05.2022 को प्राप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कंपनी सचिव और उप महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा 29.11.2022 और 01.02.2023 को बेंगलुरु उत्तर भूमि राजस्व एवं भूमि अभिलेख विभाग के सहायक निदेशक, भूमि अभिलेख को पत्र लिखे गए। हमने 06.07.2023 को पुनः अतिरिक्त निदेशक, भूमि अभिलेख और तहसीलदार से संपर्क किया। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से 25.03.2024 को फिर से संपर्क किया गया। इस मामले का लगातार पालन किया जा रहा है।

ख. धारवाड़ संयंत्र:

बोर्ड ने अपनी 157वीं बैठक, जो 26.09.2016 को आयोजित हुई, में धारवाड़ में फार्मास्युटिकल यूनिट (6 एकड़ 14 गंटास भूमि, जिसमें 7 गंटास खरब-ए भूमि शामिल हैं) के ई-नीलामी के माध्यम से कर्नाटक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (केएसएफसी) से खरीद को मंजूरी दी और बोली की राशि निर्धारित करने का अधिकार प्रबंध निदेशक को सौंपा। इसके अनुसार, विजयवाणी में 24.10.2016 को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर कंपनी ने ई-नीलामी में भाग लिया और भूमि और भवन के लिए 517.37 लाख रुपये तथा संयंत्र और मशीनरी के लिए 93.64 लाख रुपये की बोली प्रस्तुत की। कंपनी की बोली केएसएफसी द्वारा 08.12.2016 के पत्र के माध्यम से स्वीकार कर ली गई। बोली राशि का भुगतान करने के बाद, 12.12.2016 को भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का कब्जा “जैसा है वहां वैसा” आधार पर लिया गया। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, नवीनीकरण गतिविधियाँ पूरी की गईं और आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण शुरू किया गया। 517.37 लाख रुपये की भूमि और भवन की लागत का लेखांकन अलग-अलग भूमि और भवन में किया गया, जो कि चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर है, जिसमें 6 एकड़ 7 गंटास भूमि का मूल्यांकन किया गया और 7 गंटास खरब-ए भूमि को अलग रखा गया।

कंपनी ने पंजीकरण से पहले, 17.01.2017 के पत्र के माध्यम से धारवाड़ के तहसीलदार से और 18.01.2017 के पत्र के माध्यम से मैसर्स. कर्नाटक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बेंगलुरु के महाप्रबंधक से कोतुर गांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, पी.बी. रोड, बेलूर औद्योगिक क्षेत्र में सर्वे नं. 429/1 और सर्वे नं. 429/2 की भूमि का सर्वे और सीमा निर्धारण करने का अनुरोध किया। मैसर्स. कर्नाटक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (केएसएफसी) के पत्र संख्या KSFC/BO/DWR/2605/2016-17, दिनांक 04.02.2017 के अनुसार, दोनों सर्वे नंबरों में कुल भूमि 6 एकड़ 14 गंटास थी, जिसमें सर्वे नं. 429/1 के अंतर्गत 5 एकड़ 18 गंटास और सर्वे नं. 429/2 के अंतर्गत 36 गंटास शामिल थे। सर्वे विभाग से अनुरोध के आधार पर, भूमि का सबै 16.03.2017 को कर लिया गया।

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, यह देखा गया कि भूमि में 26 गंटास की कमी है। इस पर, केएपीएल ने मैसर्स कर्नाटक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (केएसएफसी) से अनुरोध किया कि उपलब्ध संशोधित भूमि के अनुसार भूमि की लागत पर विचार किया जाए, अंतर राशि वापस की जाए और संपत्ति को हमारे नाम पर पंजीकृत किया जाए।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, कंपनी ने मैसर्स कर्नाटक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (केएसएफसी), धारवाड़ और बेंगलुरु के साथ लगातार फॉलो-अप किया है। इस संबंध में हमारे पत्र दिनांक 07.06.2017, 05.12.2017 और 29.01.2018 के माध्यम से अंतर राशि की वापसी और संपत्ति को मैसर्स कर्नाटक एंटीबायोटेक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) के नाम पर पंजीकृत करने के मामले में कार्यवाही तेज करने का अनुरोध किया गया। इस मामले का पालन 02.07.2018 के पत्र के माध्यम से भी किया गया। मैसर्स कर्नाटक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (केएसएफसी) ने उपलब्ध भूमि का संयुक्त मापन करने का निर्णय लिया। संयुक्त मापन में 26 गंटास भूमि की

कमी पाई गई और इसके बाद हमने अंतर राशि की वापसी और संपत्ति के नाम पर पंजीकरण के लिए 24.01.2019, 09.04.2019, 17.05.2019, 03.02.2020, 31.03.2020, 17.11.2020 और 24.11.2020 को पत्र लिखकर अनुरोध किया। इस मामले का निरंतर फॉलो-अप किया जा रहा है।

इस बीच, मेसर्स एल्विना फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, प्रबंध निदेशक और अन्य ने मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के खिलाफ रिट याचिका संख्या 100258/2018 के माध्यम से माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ बेंच में एक रिट याचिका दायर की, जिसका प्रतिनिधित्व इसके उप महाप्रबंधक, रायपुर तालुका, धारवाड़ जिला ने किया। प्रथम पक्ष, उप महाप्रबंधक, मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) रायपुर तालुका, धारवाड़ जिला। द्वितीय पक्ष और मेसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) का प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक, बैंगलुरु तृतीय पक्ष द्वारा किया जाता है। कंपनी ने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त किया है। मामला अभी भी लंबित है और मामले की जांच की जा रही है।

सभी वैधानिक बकाया का भुगतान करके धारवाड़ भूमि का पंजीकरण 07.04.2022 को पूरा कर लिया गया है।

इसके अलावा कंपनी मेसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) को भुगतान की जाने वाली भूमि की कमी पर राशि के अंतर की वापसी के लिए मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के साथ भी इसका अनुसरण कर रही है।

ग. 7 एसीए थोक औषधि परियोजना रिपोर्ट 2023-24

निदेशक मंडल ने 31.03.2021 को आयोजित अपनी 175 वीं बैठक में बल्क ड्रग एसीए के निर्माण के लिए एक सुविधा की स्थापना को मंजूरी दी और प्रबंध निदेशक को परियोजना से संबंधित सभी सक्षम गतिविधियों को पूरा करने के लिए अधिकृत किया। यह मंजूरी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट के आधार पर दी गई थी, जिसके अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 275 करोड़ रुपये थी। उपरोक्त अनुमोदन के आधार पर, कंपनी को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पट्टे पर एक भूमि प्राप्त हुई है। कंपनी को जुलाई 2022 में जमीन आवंटित की गई थी। कंपनी ने अगस्त 2022 में जमीन पर पूर्व-निर्माण कार्य शुरू किया था। 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत तक बल्क ड्रग प्रोजेक्ट के संबंध में 6.84 करोड़ रुपये की राशि का पूंजीगत कार्य प्रगति पर बताया गया था। 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के अंत तक 107.82 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध अनुबंध किए गए थे।

नई सुविधा में निवेश केंद्र सरकार की उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना के तहत अपेक्षित प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए किया गया था जिसके लिए कंपनी को मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, ये प्रोत्साहन योजना और अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अधीन हैं। प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, कंपनी को नवंबर 2023 के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना आवश्यक था। इसके अलावा सरकार। भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग ने दिनांक 18.09.2024 के पत्र के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन तिथि (एससीओडी) को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है।

जिस भूमि पर परियोजना स्थापित की जा रही है, वह रियायती पट्टे पर 99 साल की लंबी अवधि के पट्टे पर ली गई है, इस शर्त के साथ कि वाणिज्यिक संचालन आदेश दिनांक 07.07.2022 से 3 साल के भीतर शुरू हो जाएगा। परियोजना की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए डीएमआईसी, विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन से इस मामले पर चर्चा की गई। यह उल्लेख किया गया है कि, चूंकि वर्तमान समय 06.07.2025 तक है, इसलिए डीएमआईसी से समय विस्तार मई 2025 के दौरान लागू किया जाएगा, यह बोर्ड बैठक दिनांक 05.10.2024 के दौरान नोट किया गया था।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने नोट किया कि परियोजना बोर्ड की मंजूरी के साथ शुरू की गई थी जो निवेश को मंजूरी देने और अधिकृत करने के लिए सक्षम नहीं था। पूंजीगत व्यय को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार का प्रशासनिक मंत्रालय था। 13.03.2024 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पत्र संख्या 3-35011/1/2023-पीएसयू दिनांक 13.03.2024 द्वारा रुपये के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी गई। 288.75 करोड़ मिले। मंत्रालय द्वारा यह भी नोट किया गया है कि एससीओडी के विस्तार के लिए मंजूरी देते समय फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा संख्या 31026/39/2020 नीति/योजना (पीटी 2) के तहत परियोजना लागत को 275 करोड़ रुपये की मूल अनुमानित और अनुमोदित लागत के मुकाबले 436 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया है। खरीद आदेश/कार्य आदेश बोर्ड या सक्षम प्राधिकारियों को सूचना दिए बिना और उनके अनुमोदन के बिना जारी किए गए हैं। इस संबंध में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और फाइनल ऑडिट किया जा चुका है। अंतिम ऑडिट रिपोर्ट प्रबंधन को सौंप दी गई है और इसे सीवीओ को

उनकी राय और सलाह के लिए भेज दिया गया है। इन वित्तीय विवरणों की तारीख तक सीवीओ को सौंपी गई रिपोर्ट के नतीजे की प्रतीक्षा की जा रही है।

कंपनी ने एसीए प्रोजेक्ट के लिए टर्म लोन सुविधा के लिए टेंडर की मेजबानी की, और इंडिया एक्जिम बैंक ने 360 करोड़ रुपये की टर्म लोन सुविधा प्रदान करने के लिए सबसे कम बोली की पेशकश की है और स्वीकृति पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

हाल ही में बोर्ड मीटिंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने की मंजूरी दी गई और 04.10.2024 को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी मंत्रालय के दिनांक 18.09.2024 के पत्र के अनुसार 31.12.2025 की प्रतिबद्ध तिथि के भीतर परियोजना को पूरा करने और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया में है।

कंपनी ने 175वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी के अनुसार सरकार के पक्ष में 4 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है। यदि कंपनी निर्धारित तिथि या विस्तारित तिथि के अनुसार 31.12.2025 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं करती है, तो दी गई बैंक गारंटी भुनाई जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को नुकसान होगा।

ऑडिट रिपोर्ट के परिणाम और सक्षम प्राधिकारियों से मंजूरी मिलने और परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन के स्रोत को अंतिम रूप दिए जाने तक, कंपनी ने परियोजना को प्रगतिशील के रूप में मान्यता दी है और कंपनी की राय है कि उपरोक्त का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सामग्री या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

47. खरीदी गई प्रयुक्त परिसंपत्तियों (धारवाड़ संयंत्र) के उपयोगी जीवन का विवरण इस प्रकार है:

परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन		
	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार	तकनीकी सलाह के अनुसार	कंपनी द्वारा अपनाया गया
इमारतें	30	39	30
संयंत्र और मशीनरी	15	12	12
विद्युत प्रतिष्ठान	10	12	10
कार्यालय उपकरण	5	3	3
कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	3	2	2
फर्नीचर और फिटिंग	10	2	2

48. अन्य प्रकटीकरण

- (i) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।
- (ii) कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लिया है। कंपनी मासिक रिटर्न दाखिल कर रही है क्योंकि बैंक द्वारा तिमाही रिटर्न की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है।
- (iii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (iv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गड़े कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया।
- (v) कंपनी के पास ऐसा कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ("आरओसी") के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।
- (vi) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान या पूर्ववर्ती अवधि में क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- (vii) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को इस समझ के साथ धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ:
 - क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना; या
 - ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना।
- (viii) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी:
 - क. फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना; या
 - ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें

- (ix) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा की गई कोई आय नहीं है, जिसे खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया है।
- (x) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है जिसका मालिकाना हक कंपनी के नाम पर न हो या जिसे अन्य किसी के साथ संयुक्त रूप से न रखा गया हो।
- (xi) कंपनी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है, जिनके लिए यह ऋण लिया गया था।
- (xii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के साथ कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।
- (xiii) कंपनी ने ऐसी किसी भी व्यवस्था की योजना में प्रवेश नहीं किया है जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव पड़ता हो।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

49. अनुसूची III के अनुसार 25% से अधिक के अंतर के कारण सहित अनुपात

क्र. सं.	अनुपात	अंश	विभाजक	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	% परिवर्तन	कारण
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देनदारिया	1.77	2.02	12.63%	
2	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण (उधार)	शेयरधारक की इक्विटी	0.00	0.00	0.00%	
यह बदलाव उधारी में कमी के कारण हुआ है							
3	ऋण सेवा	कमाई ज़ेरेस्ट, कर, मूल्यद्वारा और असाधारण वस्तुएँ	+ दीर्घकालिक ऋणों के लिए वर्ष के दौरान किया गया मूलधन भुगतान	678.47	537.29	-26.28%	टर्नओवर में कमी के कारण अनुपात प्रभावित हुआ है
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	असाधारण वस्तुओं से पहले की अवधि के लिए लाभ/(हानि)	औसत शेयरधारक की इक्विटी	4.28%	9.97%	57.08%	टर्नओवर में कमी के कारण अनुपात प्रभावित हुआ है
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	बेची गई वस्तुओं की लागत = उपभोग की गई सामग्री की लागत, इन्वेंट्री में परिवर्तन	औसत इन्वेंट्री सूची	3.52	3.73	5.58%	
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	3.85	3.90	1.31%	
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	सामग्री की लागत + इन्वेंट्री में बदलाव + अन्य व्यय (मूल्यहास और संपत्ति बिक्री पर हानि को छोड़कर)	औसत व्यापार देय	2.54	2.99	15.22%	
8	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियाँ - चालू देयताएँ	4.16	3.70	-12.29%	
9	शुद्ध लाभ अनुपात	असाधारण वस्तुओं से पहले की अवधि के लिए //(हानि)।	संचालन से राजस्व	3.81%	6.48%	41.21%	टर्नओवर में कमी के कारण अनुपात प्रभावित हुआ है
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज, कर और असाधारण वस्तुओं से पहले की कमाई	औसत नियोजित पूंजी = कुल इक्विटी कुल ऋण	6.90%	15.39%	55.15%	टर्नओवर में कमी के कारण अनुपात प्रभावित हुआ है
11	निवेश पर रिटर्न	समापन कुल इक्विटी - प्रारंभिक कुल इक्विटी - शेयरधारकों को नकद भुगतान	कुल इक्विटी खोलना	2.68%	7.03%	61.92%	टर्नओवर में कमी के कारण अनुपात प्रभावित हुआ है

यह वही टिप्पणियों हैं जिनका उल्लेख इसी तिथि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

लक्ष्मीनिवास एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार
एफआरएन: 0111685

गौरव जशवंत शाह
पार्टनर
सदस्यता सं. 229420

दिनांक : 18 दिसंबर, 2024
स्थान : बंगलुरु

बोर्ड के लिए एवं उनके द्वारा
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI1004145

सुश्री निरजा सराफ
प्रबंध निर्देशक
डीआईएन: 06,901973

दिनांक: 3 दिसंबर 2024
स्थान: बंगलुरु

डॉ मधुचंदा कर
निर्देशक
डीआईएन: 09519016

रमेश बी
सीएफओ

(₹. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
01	उत्पादन का मूल्य	27573	28181	34201	40551	36682	38863	48957	43464	47976	52865	46470
02	बिक्री कारोबार	24159	24724	32692	38627	35383	36036	43708	42616	47387	52757	46133
03	निर्यात (उपर्युक्त 2 में शामिल)	2554	2952	3397	2272	2397	2803	2417	2917	2459	4241	3494
04	नकद लाभ	1428	2071	3358	5108	2380	3136	3868	3813	4066	4182	2592
05	कर पूर्व लाभ	1207	1733	3019	4707	1903	2523	3151	3074	3252	3425	1760
06	कर के बाद लाभ	776	1106	1951	3033	1174	1582	2299	2318	2466	2489	1132
07	शेयर पूंजी	1349	1349	1349	1349	1349	1349	1349	1349	1349	1349	1349
08	आरक्षित	8913	9724	11432	14465	15628	16609	18538	20548	22560	24644	25542
09	उत्पादन का मूल्य	10262	11073	12781	14814	16977	17958	19887	21897	23909	25993	26891
10	सकल ब्लॉक	3852	3945	4204	8092	8005	8443	9720	10344	11050	11699	12645
11	दीर्घकालिक उधार	498	624	477	310	1300	975	1008	675	376	76	-
12	राजकोष में योगदान	2757	2780	4113	5046	6269	7370	8190	8666	10158	12163	11042
13	श्रमशक्ति	738	728	712	731	717	658	681	618	578	748	761
14	प्रति कर्मचारी औसत बिक्री (₹.)	38	32	46	53	49	55	64	69	82	71	61
15	प्रति फैक्टरी कर्मचारी औसत उत्पादन (₹.)	123	128	162	192	176	196	244	230	270	284	249
16	लाभांश (%)	20	14	15	18	20	22	28	30	30	15	0
17	प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹. रुपये) (अंकित मूल्य 100 रुपये)	761	820	947	1172	1258	1331	1474	1623	1772	1927	1993
18	प्रति शेयर आय (₹. रुपये) (अंकित मूल्य 100 रुपये)	58	82	145	225	87	117	170	172	183	184	84
19	बिक्री के लिए विविध देनदार (%)	29	26	25	24	29	30	34	20	31	23	26
20	सकल अचल संपत्तियों का कारोबार (%)	627	627	777	477	442	427	450	412	429	451	364
21	बिक्री के लिए समापन सूची का मूल्य (%)	16	20	14	14	15	22	13	15	17	14	14
22	टर्नओवर के लिए चित्त लागत (%)	0.12	0.06	0.04	0.18	0.28	0.54	0.31	0.21	0.23	1.11	0.21
23	सामग्री लागत टोज (%)	50	48	47	45	47	48	50	50	55	55	53

पीन्या मैनुफैक्चरिंग यूनिट



सेफैलोस्पोरिन ब्लॉक



उत्पादन सुविधाएं



स्मॉल वॉल्यूम पेट्रॉल



पेनिसिलिन ब्लॉक



कारखाना परिसर



गुणता नियंत्रण



भारत सरकार की केमिकल और फर्टिलाइजर पर संसदीय स्टैंडिंग समिति के सदस्यों का 02.09.2023 को विजांग में अध्ययन दौरा हुआ, जिसमें भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधिकारीगण और केएपीएल के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।



भारत सरकार की संसदीय स्टैंडिंग समिति ऑन एस्टिमेट्स के सदस्यों का 28.12.2023 को बेंगलूर में स्टडी दौरा हुआ, जिसमें भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट के अधिकारीगण और केएपीएल के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।



कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत एवं कोर्पोरेट कार्यालय: अर्का द बिजनेस सेंटर, प्लॉट नं. 37, साइट नं. 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड,
पीण्पा औद्योगिकी क्षेत्र, 2 फेस, बेंगलूर - 560058. website: www.kapindia.com

CIN: U24231KA1981GOI004145